लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक सभा

शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पिछडे वर्ग आयोग का प्रतिवेदन

*५३८. **श्री अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के कब तक इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को भी इस मामले के सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट करने का कोई अवसर दिया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार को अभी तक पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतः सरकार यह बताने में असमर्थ है कि कब तक उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(ख) जी हां ।

श्री अमजद अली : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ राज्यों की राज्य सरकारों से आयोग ने पहले ही परामर्श कर लिया है ?

श्री दातार : जी हां, हमारी सूचना यह है कि जहां भी आयोग गया उस ने अन्य व्यक्तियों के साथ साथ राज्य सरकारों से भी परामर्श किया ।

श्री अमजद अली : क्या उन सभी राज्य सरकारों से, जिन राज्यों का आयोग ने दौरा किया, परामर्श किया गया था अथवा केवल कुछ ही से परामर्श किया गया था ?

श्री दातार : मेरी सूचना यह है कि जिन जिन राज्यों का आयोग ने दौरा किया उन सभी की राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था--मेरा यह कथन सम्भोदनाधीन है ।

श्री इब्राहिम : क्या पिछड़े वर्ग आयोग ने काश्मीर तथा निकोबार द्वीपों का भी दौरा किया है ?

श्री दातार : आयोग ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों का दौरा नहीं किया है । जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि उक्त राज्य का भी उस ने दौरा नहीं किया है ।

श्री वेलायुधन : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था । क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि उक्त प्रतिवेदन न तो अभी भारत सरकार को और न ही उस के अध्यक्ष राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत किया गया है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि बैकवर्ड क्लासैस कमीशन जब वह हर स्टेट में गया था तो उन सब गैर-सरकारी संस्थाओं से मिला था जो कि बैकवर्ड क्लासैस की भलाई के कार्य कर रही हैं ?

श्री दातार : जी हां, नान-आफ़िशल संस्थाओं से मिला था ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो बैकवर्ड क्लासैस कमीशन है क्या यह सभी राज्यों में हो गया है और सभी राज्यों की रिपोर्टें इस को मिल गई हैं या अभी कुछ मिलनी बाक़ी हैं और कहां कहां और किन किन ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से यह मिला है ?

श्री दातार : सभी राज्यों की रिपोर्टें इस को मिली हैं और यह अपनी रिपोर्ट इस महीने के आख़िर में देने वाला है ।

सेठ गोविन्द दास : मेरा एक सवाल और था कि किन किन ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से यह कमीशन मिला है ?

श्री दातार : यह जानने के लिये नोटिस मिलना ज़रूरी है ।

जनता कालिज

*५४०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ३० नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस में निर्दिष्ट जनता कालिजों के संधारण की अनुमानित लागत क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : औसत संधारण (आवर्त्ती) व्यय का अनुमान कोई २४,००० रुपये प्रति वर्ष प्रति कालिज लगाया गया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत सरकार ने ग्रामीण शिक्षा के लिए कोई नयी नीति बनाई है, यदि हां, तो उस नीति में इन जनता कालेजों की क्या स्थिति होगी ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का मतलब ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति से है, तो मैं उन को बता दं कि समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस बात में कुछ सत्यता है कि अलीपुर के जनता कालेज को ६० एकड़ भूमि दी जाने वाली थी और अभी तक केवल एक एकड़ भूमि दी गयी है ?

डा० एम० एम० दास : अलीपुर के जनता कालेज का प्रबन्ध दिल्ली राज्य सरकार द्वारा होता है और इस सम्बन्ध में हमें ठीक ठीक कोई जानकारी नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : केन्द्रीय सरकार ने १९५४ में राज्य सरकारों को जनता कालेज स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि दी है ?

डा० एम० एम० दास : राज्य सरकारों को तुलनात्मक आधार पर अनुदान दिये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार प्रथम वर्ष में आवर्तक व्यय का ६० प्रतिशत, दूसरे वर्ष में ५० प्रतिशत और तीसरे वर्ष में ३३ १।३ प्रतिशत देती है ।

श्री टी एस० ए० चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवर्तक व्ययों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला अनुदान प्रत्येक वर्ष कम होता जायेगा और तीन वर्ष बाद समाप्त हो जायेगा, क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि उत्साहपूर्वक शुरू किये जाने वाले जनता कालेज तीन वर्ष बाद बन्द हो जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास: यह शर्तें प्रारम्भ से ही लगा दी गयी थीं । अतः जब राज्य सरकारों ने इस योजना में भाग लिया तो उन्हें पता चला कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता मिलेगी ।

श्री गिडवानी : विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने कालेज खोले जा चुके हैं ?

डा० एम० एम० दास : अब तक कुल २१ ।

पुलिस वाले

*५४१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगल दोल म खोयराबाडी के निकट भगवतीपाड़ा के कुछ आदिम जातियों के लोगों ने तीन पुलिस वालों को जिन में एक पुलिस सब इन्सपेक्टर भी थे को गिरफ्तार कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-अमरीकी शिल्पिक सहयोग कार्यक्रम

*५४२. **श्री हेडा** : क्या **वित्त मंत्री** पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) भारत-अमरीकी शिल्पिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन अब तक भारत में कितन औद्योगिक शिल्पिक दल अमेरिका से आ चुके हैं; और

(ख) उन को कौन कौन से विशेष उद्योग सुपुर्द कर दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख). पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

श्री हेडा : 'हल्की इंजीनियरिंग' वर्ग में कौन कौन से उद्योग सम्मिलित हैं ?

श्री बी० आर० भगत : यह विवरण में बताया गया है जैसे बिजली के पंखे, साइकिलें, हरीकेन लालटेन आदि ।

योग्यता छात्रवृत्तियां

*५४३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में, पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) उक्त काल में कितने विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां दी गयीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]

श्री वी० पी० नायर : मैं देखता हूं कि पब्लिक स्कूलों में छात्रवृत्तियों के लिये ३९०५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिन में से ६५ को छात्रवृत्तियां दी जा चुकी है । इन ६५ छात्र-वृतियों में से प्रत्येक की राशि कितनी है ?

डा० एम० एम० दास : इस वर्ष इन ६५ उम्मीदवारों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों में केन्द्रीय सरकार के व्यय की राशि लगभग ७०,००० रुपये होगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि भारत में पब्लिक स्कूल प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय और इस बात को भी ध्यान में रख कर कि सरकार ने उस नीति को स्वीकार कर लिया है जैसा कि कुछ दिनों पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था, इन ६५ छात्रवृतियों पर ७०,००० रुपये बरबाद करने के क्या मुख्य कारण थे ?

डा० एम० एम० दास : यह बात सही नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है । आयोग ने कहा है कि सरकार को इन पब्लिक स्कूलों को अनुदान देने में सिद्धान्ततः कोई भाग नहीं

लेना चाहिये। इस योजना का उद्देश्य और लक्ष्य यह है कि निर्धन और योग्य विद्यार्थियों को इन पब्लिक स्कूलों से लाभ प्राप्त हो सके।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि इन पब्लिक स्कूलों में केवल धनी विद्यार्थियों को ही भरती किया जाता है और इन में शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब विद्यार्थियों का इन में भरती होना असंभव है, अतः यह सभी छात्रवृत्तियां स्वभावतः धनी विद्यार्थियों को ही मिलेंगी ?

डा० एम० एम० दास : यह पब्लिक स्कूलों का घरेलू मामला है ; हमें इस के बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को पता है कि इन पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का व्यय अन्य सभी स्कूलों की शिक्षा की अपेक्षा कई गुना है ?

डा० एम० एम० दास : हो सकता है।

श्री वेलायुधन : इन छात्रवृत्तियों में व्यय की गई राशि के अतिरिक्त क्या सरकार इस प्रकार का कोई विवरण दे सकती है कि भारत सरकार द्वारा इन पब्लिक स्कूलों पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी ?

डा० एम० एम० दास : इन में से अधिकांश स्कूलों का प्रबन्ध गैर-सरकारी निकायों द्वारा होता है।

श्री वेलायुधन : जी नहीं।

श्री सारंगधर दास : क्या गरीब विद्यार्थियों को दी गयी छात्रवृत्तियों की धन राशियों का कोई हिसाब रखा गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह योजना केवल गरीब और योग्य विद्यार्थियों के ही लिये है।

"विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता"

***५४४. श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यार्थियों में से अनशासनहीनता को सक्रिय रूप से मिटाने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस की विस्तृत बातें क्या हैं और कब तक इस के क्रियान्वित होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां।

(ख) इसका विवरण सभा के सामने है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनशीलता बनाये रखने के लिए क्या सरकार पाठ्यक्रम और अध्यापकों के रहन सहन में फर्क लाना चाहती है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार जिन बातों पर ज्यादा जोर देती है, वे सब विवरण में हैं।

सभापति महोदय : सेठ गोविन्द दास।

श्री विभूति मिश्र उठे—

सभापति महोदय : मैं सेठ गोविन्द दास का नाम ले चुका हूं।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का प्रश्न है, क्या सरकार के पास भिन्न भिन्न राज्यों से इस प्रकार की कोई रिपोर्टें आती हैं कि विद्यार्थियों म विशेष रूप से अनुशासनहीनता किस किस राज्य और किस किस स्थान पर है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, ऐसी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं मिली है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार के पास यह

जानने का कोई साधन है, और क्या सरकार ने इस बात की तहकीकात करने की कोशिश की है कि इन दो, चार, पांच वर्षों में अनुशासनहीनता इतनी बढ़ती क्यों जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार कोशिश करती है ।

जम्मू तथा काश्मीर का आर्थिक सर्वेक्षण

*५४५. **श्री इब्राहीम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४७ के बाद भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण पर क्या व्यय हुआ और उस के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इब्राहीम : क्या आयन्दा कुछ ऐसा सर्वे करने का ख्याल है ?

श्री दातार : नहीं ।

तस्कर-व्यापार

*५४६. **श्री सारंगधर दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५४ और दिसम्बर १९५४ के बीच भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में सामान के तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) इस सामान का प्राक्कलित मूल्य क्या है; और

(ग) इस सामान का निबटारा कैसे किया गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) ऐसे मामलों की कुल संख्या ४,३६० थी ।

(ख) इस प्रकार पकड़े गये सामान का प्राक्कलित मूल्य १४,१४,००० रुपये है ।

(ग) इन में से कुछ मामलों में पकड़े गये सामान को पूर्णतः ज़ब्त कर लिया गया था अर्थात् अर्थदण्ड का भुगतान करने के बाद भी उन्हें अपना सामान वापस लेने की अनुमति नहीं थी । कुछ मामलों में अर्थदण्ड का भुगतान करने के बाद सामान ले जाने की छूट दी गयी थी । जिन मामलों में सामान पर कब्ज़ा कर लिया गया था या अर्थदण्ड जमा करने के बाद भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी गयी थी, ऐसे सामान का सरकारी नीलाम कर दिया गया था ।

कुछ मामले अब भी न्यायिक निर्णयाधीन हैं ।

श्री सारंगधर दास : अधिकतर किन वस्तुओं का तस्कर व्यापार किया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इस मार्ग पर चोरी छिपे ली गई वस्तुओं की एक सूची दे सकता हूं । मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि विशेष रूप से इस अवधि में कौन सी वस्तुयें पकड़ी गयी थीं । बहुमूल्य पत्थर, जवाहरात, ताश, फाउन्टेन पेन, दीवाल की घड़ियां, घड़ियां, सिगरेट और शराब आदि का आयात और पशु, दालों, खाद्यान्नों, खाने के तेलों, खली आदि का निर्यात किया जाता था ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ मामले अब भी न्यायिक निर्णय के अधीन हैं । ऐसे मामलों में पकड़े गये सामान को निबटाने की क्या प्रक्रिया है, और उन के निपटाने में कितना समय लगता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं बता चुका हूं कि कुछ मामले अब भी न्यायिक निर्णय के अधीन हैं और मैं यह भी बता चुका हूं कि

उन को अधिकतर सरकारी नीलाम द्वारा निबटाया जाता है ।

श्री वीरस्वामी : इस सामान का नीलाम करने से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि प्राप्त राशि १४,१४,००० रुपये होगी । खैर, मुझे पूर्वसूचना चाहिये, अन्यथा हम पकड़े गये सामान का ठीक ठीक मूल्य नहीं बता सकते ।

मुद्रा का चोरी छिपे ले जाना

*५४७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५४ में शान्ताक्रूज़ हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक विदेशी के पास से, जो देश से बाहर जा रहा था, बहुत से नोट बरामद किये थे; और

(ख) उस व्यक्ति के पास से कितने मूल्य के नोट निकले ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). जी हां, शान्ताक्रूज़ हवाई अड्डे के सीमाशुल्क अधिकारियों ने १२ दिसम्बर, १९५४ को एक विदेशी के पास से जो देश से बाहर जाने को था १,३८,५२८ रुपये के भारतीय नोट बरामद किये थे। श्रीमान्, बरामद शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा यह तात्पर्य है कि ये चीज़ें पकड़ी गयी थीं ।

डा० राम सुभग सिंह : जो व्यक्ति ये चीजें ले जा रहा था उस का नाम और उस की राष्ट्रीयता क्या है, और क्या अभी वह गिरफ्तार या उसे छोड़ दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस व्यक्ति का नाम फिरारी है और वह इटालियन है । मैं समझता हूं कि उस के मां-बाप ने उस का नाम ठीक ही रखा है, क्योंकि इस समय वह अपने देश से फरार है ।

डा० राम सुभग सिंह : वह किस काम से भारत आया था और किस नाम से ?

श्री ए० सी० गुहा : वह ५ दिसम्बर को इसी नाम से आया था और १२ दिसम्बर को इन चीजों के साथ बाहर जाना चाहता था । उस का पारपत्र जब्त कर लिया गया था फिर भी किसी तरह छल से उसे इटली का एक जहाज मिल गया और वह भाग निकला । अब इटली की सरकार से कुछ बातचीत कर के हम उसे भेजने का प्रयत्न करेंगे । मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि पुलिस या उस क्षेत्र, पत्तन क्षेत्र आदि, में गश्त करने वाले लोग, अधिकतर जानबूझ कर ऐसे व्यक्तियों को भाग जाने देते हैं और क्या मंत्री महोदय या सरकार यह बता सकती है कि वह ऐसी बातों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं बता चुका हूं कि जब से यह मामला पकड़ा गया था, हम ने इसे विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया और उस का पारपत्र जब्त कर लिया गया । मुझे विश्वास है कि सभी प्रकार की सावधानी रखी गयी पर फिर भी वह किसी तरह छल से इटली के जहाज में घुस कर भाग निकला । मेरे विचार में प्रश्न में किया गया कटाक्ष ठीक नहीं है, तो भी यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिस से उस के भाग निकलने के बारे में कुछ पता लग सकता हो तो हम उस का स्वागत करेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, यही मेरा प्रश्न है । दुर्भाग्य से मंत्री जी अनुपस्थित हैं । यह लायक अली के मामले में तथा उसी प्रकार के दूसरे मामलों में भी हुआ है, जहां विदेशियों को निकल भागने दिया गया ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य केवल सूचना मांग सकते हैं, यह सब नहीं पूछ सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार ने इस तरह की निकासी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इस से अधिक कुछ नहीं कह सकते कि यथासम्भव सभी कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह भी कह दूं कि उसी दिन दिल्ली में दो अन्य विदेशी थे : एक सीरियन तथा दूसरा मिश्र देशवासी । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे निकल नहीं सके । यह मामला एक विशेष व्यक्ति का है जिस के भागने का कारण यह था कि उसे अपनी राष्ट्रीयता का जलयान मिल गया तथा उस के नाविकों ने सभी पूर्वाविधानों के होते हुए भी उसे निकल भागने में सहायता दी होगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि सरकार अथवा तस्कर व्यापारी दोनों में से किसकी विजय हुई । श्री कासलीवाल ।

श्री कासलीवाल : मेरे प्रश्न का अंशत: उत्तर दिया गया है । मैं ने केवल यह पूछना चाहा था कि इन दोनों व्यक्तियों का मुकदमा किस स्थिति पर है ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी. . . . .।

श्री सारंगधर दास : पुलिस बल के उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन की अभिरक्षा में वह अभियुक्त रखा गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : वह पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था । उस का पारपत्र जब्त कर लिया गया; किन्तु वह बिना पारपत्र के निकल गया ।

बाल अपराध

*५५०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बाल अपराध की समस्या हल करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष १९५४ में राज्य सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा स्थापित चिकित्सा गृहों तथा माता-पिता एवं बालक पथप्रदर्शक चिकित्सालयों को कुछ आर्थिक सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) यह सहायता किस को और कब दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यह मामला प्रमुखत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ३७,६०० रुपये ।

(घ) (१) दिसम्बर, १९५४ में बिहार सरकार को ३७,००० रुपये की सहायता दी गई ।

(२) अक्तूबर १९५४ में 'मानव भारती, मसूरी' को ६०० रुपये की सहायता दी गई ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को पता है कि आंध्र सरकार ने स्वागत गृहों की स्थापना की है, और यदि हां, तो क्या उक्त राज्य को भी सहायता दी गई ?

डा० एम० एम० दास : आंध्र सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माता-पिता की उचित देख भाल कुछ सीमा तक सहायता कर सकती है, क्योंकि गांवों के बहुत से मां-बाप बच्चों का पालन करना नहीं जानते हैं; क्या

सरकार ऐसे माता-पिताओं के सिखलाने की व्यवस्था कर रही है, जिस से कि उन के बालक अपराधी न बनें ?

डा० एम० एम० दास : यह विषय प्रमुखतः राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या ऐसे बच्चों का इलाज करने के वास्ते कोई चिकित्सा भवन उत्तर प्रदेश में भी खोला जाने वाला है ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं नहीं समझ सका हूं ।

सभापति महोदय : उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना अधिक अच्छा होगा, क्योंकि यह राज्य सरकारों का मामला है ।

श्री एम० डी० जोशी : बम्बई सरकार को कितनी धनराशि दी गई ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष १९५४–५५ के दौरान बम्बई सरकार को विभिन्न संगठनों के लिये ९,००० रुपये दिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को उन संगठनों के द्वारा किये जाने वाले कार्य के कार्यक्रम का पता है, जिन को सरकार राज्य सरकारों के द्वारा सहायता दे रही है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार की यह प्रक्रिया है कि स्वीकृति देने से पूर्व, वह इन संगठनों के कार्य का संक्षिप्त विवरण देखती है ।

कृत्रिम पेट्रोल

*५५१. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंधन गवेषणा संस्था, धनबाद ने कोठागुदम का दौरा किया तथा यह सिफारिश की है कि सिंगरेणी कोयले की खानों का कोयला कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण के उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कुछ समय पूर्व यह कहा गया था कि सरकार एकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्मों से अग्रिम आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त करने का विचार कर रही है। क्या कृत्रिम तेल संयंत्र का स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन फर्मों का सम्बन्ध किन देशों के साथ है ?

श्री के० डी० मालवीय : संभवतः जर्मनी और अमेरिका से ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच है कि विशेषज्ञों का मत है कि कृत्रिम पेट्रोल बनाने में पक्के कोयले का उपयोग नहीं होता है, तथा कच्चा कोयला अधिक अच्छा रहता है। यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये नीवेली के लिगनाइट का उपयोग करने की कोई योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय : एक प्रस्ताव में सरकार से इस प्रकार की सिफारिश की गई है कि कृत्रिम तेल बनाने के लिये दक्षिण के लिगनाइट का उपयोग हो सकता है ; किन्तु सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, अतः इस सम्बन्ध में उस का कोई भी मत नहीं ।

श्री चट्टोपाध्याय : यदि कारखाना स्थापित किया गया, तो उस की संभाव्य लागत क्या होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस स्थिति पर यह पूछना समय से बहुत पहले की बात है ।

श्री सारंगधर दास : क्या दो वर्ष पूर्व न्यूयार्क की कोप्पर्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये अग्रिम प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ वर्ष पूर्व कोप्पर्स से एक अग्रिम प्रतिवेदन मांगा गया था जो हमें प्राप्त हो चुका है । इस प्रक्रिया में अग्रेतर प्रगति हो जाने के कारण हम ने कुछ अन्य अग्रिम प्रतिवेदनों को मंगाना उपयुक्त समझा । जैसे ही हमें ये परियोजना के प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे, हम इस मामले में कोई निर्णय करेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच है कि धनबाद की ईंधन गवेषणा संस्था में कृत्रिम पेट्रोल बनाने तथा निवेली से लिगनाइट बनाने के प्रयोग हो रहे हैं ? क्या मैं उन का परिणाम जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : कृत्रिम पेट्रोल बनाने के लिये कोयले का प्रयोग करने के उद्देश्य से हमारे कोयले की उपयोगिता का पता लगाने के हेतु प्रयोग किये जा रहे हैं; इसी दृष्टिकोण से लिगनाइट की भी परीक्षा की जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ४० करोड़ टन लिग-नाइट त्रावनकोर-कोचीन की केवल वरकलाई खान से ही उपलब्ध है, क्या इस विशेष लिग-नाइट का विश्लेषण किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी हम इस परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं कि क्या लिगनाइट कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण के लिये उपयुक्त है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि उड़ीसा की सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व फ्रांस की एक फर्म से उड़ीसा में कृत्रिम पेट्रोल के संयंत्र के निर्माण के सम्बन्ध में वार्ता की थी । यदि प्रश्न का उत्तर हां में है, तो संविधान की सूचियों के अनुसार उड़ीसा की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श क्यों नहीं किया ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पता नहीं है कि उड़ीसा की सरकार ने तेल का संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में किसी विदेशी फर्म से वार्ता की थी ।

लेखा परीक्षा कर्मचारि-वृंद

*५५१-क. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लेखा परीक्षा विभाग में कितने वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा कर्मचारी हैं, तथा वह वास्तविक आवश्यकता से कितने कम हैं;

(ख) आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने की क्या कार्यवाही की जा रही है; तथा

(ग) इस समय काम किस प्रकार चलता है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा के लिये निम्न वर्ग के क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर ५४२ कर्मचारियों के रखने की मंजूरी दी गई थी जिन में से ५२३ स्थानों पर भरती हो चुकी है । अब केवल १९ स्थान रिक्त हैं ।

(ख) आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) चार्टर्ड लेखापाल तथा दूसरे वाणिज्यिक अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है ।

(२) वर्तमान कर्मचारियों को वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लिये प्रशिक्षित करने के निमित्त व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं सहित एक पृथक् विभागीय परीक्षा (वाणिज्यिक एस० ए० एस०) चालू की गई है ।

(ग) वर्तमान कर्मचारियों के द्वारा । जैसे ही (ख) में उल्लिखित साधनों द्वारा वाणिज्यिक अर्हता प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो जायेंगे, कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी भी क्रमशः समाप्त हो जायेगी ।

श्री के० सी० सोधिया : इन लोगों को किन वाणिज्यिक उपक्रमों में नियुक्त किया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : उन्हें सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में नियुक्त किया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सभी सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यालयों में कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या है ।

श्री एम० सी० शाह : भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा करता है ।

श्री दामोदर मेनन : वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में नियुक्त होने के लिये न्यूनतम अर्हता क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : जो लोग वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में अनुभवी हैं, उन्हें वाणिज्यिक अथवा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखा परीक्षा के प्रयोजन से प्रशिक्षण लेना पड़ता है । उस के पश्चात् उन्हें एक विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कर्मचारियों की कमी से लेखा-परीक्षा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा हुई है ?

श्री एम० सी० शाह : कर्मचारियों की कमी नहीं है । केवल १९ स्थान रिक्त हैं जिन में से ९ उच्च श्रेणी के क्लर्क हैं । ५४२ में से ५२३ स्थान, जो उस प्रयोजन के लिये आवश्यक थे, भरे जा चुके हैं ।

लेखापरीक्षा और प्रशासन

*५५२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक के उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिस में उन्होंने प्रशासन तथा लेखा परीक्षा के बीच तुरन्त पुनस्समायोजन की आवश्यकता बतलाई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या मत है ; और

(ग) क्या सरकार उस पर कुछ कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक से सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं । जहां तक लेखा-परीक्षा तथा लेखा के पृथक्करण का प्रश्न है, जैसा कि बजट भाषण में संकेत है, इस मामले में कार्यवाही की जा चुकी है । १ अप्रैल १९५५ से तीन विभागों के कार्य का पृथक्करण हो जायेगा । दूसरे मामलों में महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के वक्तव्य के बाद, क्या सरकार ने उस से लेखा परीक्षा तथा प्रशासन के सम्बन्धों में पुनर्समायोजन करने के लिए विशिष्ट प्रस्थापनायें देने के लिए कहा है ?

श्री एम० सी० शाह : यदि महालेखा-परीक्षक यह समझेंगे कि विशिष्ट प्रस्थापनायें दी जानी चाहियें तो वह ऐसा करेंगे । यह बात उन के कलकत्ता में दिये गये भाषण के बाद पैदा हुई और उसी से यह प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस का यही अर्थ है कि जब तक वह विशिष्ट प्रस्थापनायें सरकार को न भेजे तब तक महालेखा-परीक्षक के शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है ?

श्री एम० सी० शाह : उस के विभाग के सम्बन्ध में उसे विशिष्ट प्रस्थापनायें प्रस्तुत करनी हैं, और सरकार तुरन्त ही उन पर विचार करेगी ।

समापति महोदय : मेरे विचार में हमें इस पर चर्चा करने का ठीक अवसर उस समय प्राप्त होगा जब हम आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद आरम्भ करेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार ऐसे कारणों से परिचित है जो लेखा-परीक्षा तथा प्रशासन के पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों को खराब करते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं । सरकार को किसी ऐसी बात का पता नहीं है ।

सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारी

*५५४. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं जिस से विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों को स्थायी होने अथवा कार्यकुशलता की सीमा पार करने के लिए विभागीय परीक्षाओं के पास करने के बारे में विमुक्ति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने इस आदेश पर कोई कार्यवाही की है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय ने मंत्रालयों तथा विभागों के विचारार्थ कुछ सुझाव दिये हैं कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को जो उनके नियंत्रण के अधीन संगठनों में काम करते हैं विभागीय परीक्षायें पास करने के मामले में विमुक्ति दी जाये ।

(ख) उन के सुझावों का परीक्षण वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग कर रहा है और यथासंभव शीघ्रता से अन्तिम आदेश जारी किये जायेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने सीमा-शुल्क (कस्टम हाऊस), बम्बई के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है कि उन्हें विभागीय परीक्षाओं के पास किये जाने में विमुक्ति देने से इनकार कर दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं बता दूं, कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही दो मामलों के बारे में प्रतिनिधित्व किया था, किन्तु कुछ स्पष्ट कारणों से उन मामलों में विमुक्ति देना संभव नहीं था । ऐसे मामलों में जहां कुछ टेकनीकल कार्य करना होता है और एक पदाधिकारी को परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिस से कि वह टेकनिकल कार्य में अपनी कुशलता का प्रमाण दे सके, और जिन मामलों में हम विमुक्ति नहीं दे सकते थे उन मामलों में कर्मचारियों को ऐसे अन्य पद पेश किये गये थे जहां टेकनिकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी । उन में से एक ने उस पद पर आना स्वीकार कर लिया है और दूसरे ने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री गिडवानी : क्योंकि उन दोनों ने सरकार की बड़ी लम्बी सेवा की है—अर्थात् २०–२५ वर्षों से वे सेवा कर रहे हैं—क्या सरकार सहानुभूति के आधार पर उन के मामलों पर विचार नहीं कर सकती ?

श्री ए० सी० गुहा : उन की लम्बी सेवा के विचार से ही हम ने उन्हें अन्य पद देने का प्रस्ताव किया था जिन में टेकनिकल ज्ञान की आवश्यकता न हो । एक व्यक्ति एक ग़ैर-टेकनिकल विभाग की २० वर्ष की सेवा से भी टेकनिकल विभाग में एक उपयुक्त नौकर बनने का हकदार नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय : यह तो केवल सहानुभूति के लिए एक प्रार्थना की गई है । अगला प्रश्न ।

परिवहन सुविधायें

*५५५. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत-नेपाल सीमा के निकट, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रक्षा के प्रयोजनार्थ परिवहन तथा संचार सम्बन्धी सुविधायें अपर्याप्त हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : ऐसा विचार किया जाता है कि जिस समय नई सड़कें, जिन का निर्माण हो रहा है अथवा जिन के निर्माण की संभावना निकट भविष्य में है, पूरी हो जायेंगी तो हमारी आवश्यकतायें बहुत सीमा तक पूरी हो जायेंगी ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार का ध्यान संचार तथा परिवहन की उन कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है जो कि पिछली बार सरकारी प्राधिकारियों को बुतवाल तथा त्रिवेणी के क्षेत्रों में, नेपाल के दंगों के समय, पेश आई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : सड़क परिवहन में सुधार की आवश्यकता अवश्य है; और यह आशा की जाती है कि नव निर्माण-कार्य की पूर्ति के बाद यह कठिनाइयां बहुत सीमा तक दूर हो जायेंगी ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार इस समय बुतवाल तथा त्रिवेणी क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार की स्थिति को सुधारने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : आरम्भ में तो यह राज्य सरकार का ही काम है कि अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण सम्बन्धी योजनायें बनाये । हम कई बार परिवहन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकतायें बताते हैं, ताकि वे उन्हें अपने ध्यान में रख सकें ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या यह सच है कि टिहरी गढ़वाल और गढ़वाल जिलों में भी रक्षा के दृष्टिकोण से अपर्याप्त सड़कें हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां । उस क्षेत्र में संचार साधनों के सुधार की बड़ी आवश्यकता है । राज्य सरकार सड़क विकास कार्यक्रम को योजना आयोग तथा परिवहन मंत्रालय की सलाह से ही निर्धारित करती है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई योजना भेजी है ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रक्रिया इस प्रकार है—कि राज्य सरकार परिवहन मंत्रालय तथा योजना आयोग की सलाह से अपना कार्यक्रम निर्धारित करती है । हम उस कार्यक्रम को देखते हैं और यदि कोई अतिरिक्त आवश्यकतायें होती हैं तो वह प्रकट कर दी जाती हैं । सामरिक महत्व की सड़कें सामान्य सड़क विकास कार्यक्रम का ही एक भाग हैं ।

रक्षित बैंक के कर्मचारी

*५५६. **श्री रनदमन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षित बैंक की कृषिऋण सम्बन्धी स्थाई सलाहकार समिति तथा सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की पिछली बैठक में रक्षित बैंक के कृषि ऋण सम्बन्धी कर्मचारियों में वृद्धि करने पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्थापना पर कोई कार्यवाही की है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रक्षित बैंक इस प्रस्थापना को उस समय क्रियान्वित करेगा जिस समय इस सम्बन्ध में तथा सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में एतत्सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय किया जायगा ।

श्री रनदमन सिंह : क्या माननीय मंत्री अपने उत्तर को हिन्दी में समझाने की कृपा करेंगे ?

श्री ए० सी० गुहा : (क) जी हां ।

(ख) जब रिज़र्व बैंक का फैसला हो जायेगा तब इस प्रस्ताव पर काम किया जायेगा ।

श्री रनदमन सिंह : कब तक फैसला हो जाने की संभावना है ?

श्री ए० सी० गुहा : जितनी जल्दी हो सकेगा ।

बिहार में सोना

*५६०. **डा० अमीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय भू-तत्वीय परिमाप द्वारा बिहार में किसी सोने के क्षेत्र का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की खोज आदि पर क्या व्यय किया गया है, और उस का क्या परिणाम है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारतीय खान-ब्यूरो के निदेशक ने सूचित किया है कि दामोदर घाटी निगम के भू-तत्वीय विभाग ने १९५२ में जो अनुसन्धान तथा खोज, आदि की थी, उस से बिहार "टर्शरी ग्रेवल बेल्ट" में सोने का पता लगा है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

*५६१. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन किन राज्यों एवं स्थानों का दौरा किया है और अपना प्रतिवेदन देने से पूर्व इस की किन किन अन्य राज्यों के दौरे करने की संभावना है; और

(ख) क्या उस की सिफारिशें आगामी सामान्य निर्वाचनों से पूर्व क्रियान्वित कर दी जायेंगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १८ फरवरी, १९५५ तक राज्य पुनर्गठन आयोग ने जिन जिन राज्यों तथा स्थानों का दौरा किया है उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]** अभी आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, कच्छ, मनीपुर, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों का दौरा किया जाना है ।

(ख) इस अवस्था में सरकार इस सम्बन्ध में अभी कोई वक्तव्य नहीं दे सकती ।

पंडित एम० बी० भार्गव : आयोग किस समय तक अपना काम समाप्त कर लेगा और कब तक प्रतिवेदन समर्पित करेगा ?

श्री दातार : सामान्यतः जून के अन्त तक ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि अभी हाल ही में इस कमीशन के सदस्य श्री हृदय नाथ कुंजरू न

यह कहा था कि इस आयोग के सभापति के बीमार हो जाने के कारण यह नही बताया जा सकता कि इस की रिपोर्ट कब आयेगी; और ऐसी हालत में, यदि यह सत्य है, गवर्नमेन्ट इस बात के लिए क्या कर रही है कि कमीशन की रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र आ जाय ?

श्री दातार : मैं आनरेबल मेम्बर को यह बता सकता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन से टाइम एक्स्टेन्ड करने के बारे में कुछ सूचना नहीं आई है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी कम-से-कम इस बात का आश्वासन देंगे कि सरकार इस का प्रयत्न करेगी कि आगामी चुनाव के पहले इस की रिपोर्ट आ जाय और रिपोर्ट आने पर सरकार अपनी नीति भी घोषित कर दे कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने वाली है ?

श्री दातार : यह आश्वासन बहुत व्यापक स्वरूप का है, इस वास्ते कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को यह विदित हुआ है कि यदि आयोग ने प्रतिवेदन देने में विलम्ब किया तो उस से देश में असन्तोष फैल जायगा ?

सभापति महोदय : यह तो आवश्यक कार्यवाही के लिए जानकारी देना ही है । अगला प्रश्न ।

भूतपूर्व सैनिक

*५६३. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेप्सू के भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये नई बस्तियों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) स्कीम की खास बातें यह हैं :

पटियाला, संगरूर और कपूरथला जिलों में तीन बस्तियां बनाई जायेंगी जिन में १०० भूतपूर्व सैनिक फ़ी बस्ती के लिहाज से बसाये जायेंगे । बेकार जमीन को खेती के काम में लाने, सड़कें, मकान, और सामाजिक संस्थायें बनाने और सिंचाई की सुविधायें देने के लिये राज्य सरकार जिम्मेवार होगी । केन्द्रीय सरकार ७५० रुपया फ़ी बसने वाले के हिसाब से देगी और बाक़ी खर्च के कुछ हिस्से के लिये कर्ज भी देगी । हर एक बस्ती के लिये जमीन वहां की कोआपरेटिव सोसाइटी को दी जायेगी जो कि अपने मेम्बरों यानी बसने वाले भूतपूर्व सैनिकों को बांटेगी । हर एक बसने वाले को १० एकड़ जमीन खेती के लिये दी जायेगी और वह ५०० रुपया बस्ती के खर्च के लिये, जो कि ४,००० रुपयों से ऊपर फ़ी बसने वाले के हिसाब से होगा, देगा । हर एक बसने वाला अपनी खेती अलग अलग करेगा ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो बस्तियां हैं उन में वही भूतपूर्व सैनिक बसाये जायेंगे जो पेप्सू के निवासी हैं ?

सरदार मजीठिया : नहीं, उन के लिये ही नहीं है । इस काम के लिये ऐप्लिकेशन्स मंगाई जायेंगी और उन में से लोगों को चुना जायेगा ।

डा० सत्यवादी : जिन लोगों को यहां चुना जायेगा उन के लिये क्या कोई खास क्वालिफिकेशन्ज़ मुकर्रर की गई हैं कि किस आधार पर उन को चुना जायेगा ?

सरदार मजीठिया : आम तौर पर वही क्वालिफिकेशन्ज़ हैं जो पहले बता दी गई

हैं, उन में से कुछ यह हैं कि उन के पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, उन का कांडक्ट 'गुड' से कम न हो ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एक्स-सर्विसमैन को बसाने के लिए मध्यप्रदेश में बस्तर के इलाके में मध्यप्रदेश की सरकार की सलाह से एक नई कालोनी बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : सवाल तो पटियाला के बारे में है मगर अगर मध्य प्रदेश सरकार वहां जमीन देने को तैयार हो तो इस पर भी विचार किया जा सकता है ।

डा० सत्यवादी : यह स्कीम इस वक्त किस स्टेज पर है और कब तक पूरी तरह से चालू हो जायेगी ।

सरदार मजीठिया : अभी तो जमीन इक्वायर की गई है और उम्मीद करते हैं कि बसाने का काम जल्दी शुरू हो जायेगा ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

*५६४. **श्री देवगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में बिहार राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं के निमित्त केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी रक़म मंजूर की है;

(ख) मुख्य योजनाओं का स्वरूप क्या है, जिन पर रुपया व्यय किया जायेगा; और

(ग) विभिन्न योजनाओं पर अभी तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में कुल कितनी रक़म व्यपगत हुई और उस के क्या कारण थे ?

श्री दातार : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मुझे उस के लिए पूर्व-सूचना चाहिये । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है वर्ष १९५४–५५ अभी चल रहा है ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

*५६६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है; और

(ख) क्या आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैं ने अभी पहले के प्रश्न संख्या ५६१ के भाग (क) के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) जी नहीं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या माननीय उपमंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि तब तक आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक उन पर इस सभा की राय न ली जाय और उनसे प्रभावित राज्यों के विचार न जाने जायें ?

सभापति महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उन सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जायेगा ।

श्री दातार : इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि जब तक उस विषय में दोनों सभायें विचार-विमर्श नही करेंगी तब तक अन्तिम रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि अबतक इस कमीशन पर कितने रुपये सर्फ किये गये हैं ।

श्री दातार : यह जानने के लिये नं टिस चाहिये ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस आयोग की नियुक्ति तथा उसकी घोषणा के समय यह बताया गया था कि उन्हें १९५५ के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये किन्तु इस बीच यदि आयोग चाहे तो वह एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे सकता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने राज्य पुनर्संठन आयोग से यह पूछा था कि क्या वह एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा है या नहीं ?

सभापति महोदय : आयोग यदि चाहता तो एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे सकता था । यही कारण था कि सरकार को उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी । यदि मंत्री जी चाहें तो वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री दातार : श्रीमान मैं इसी सभा में इसी प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं मैं माननीय सदस्य को पुनः बता देना चाहता हूं कि हमारे निर्देश-पदों में यह बताया जा चुका है कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है यदि वे चाहें तो एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे सकते हैं। अनुपूरक प्रतिवेदन मांगने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या आयोग के एक सदस्य के किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होनें के कारण इस प्रतिवेदन में देर होने की सम्भावना है ।

श्री दातार : श्रीमान्, यह मेरे लिए एक नई खबर है ।

सभापति महोदय : यदि ऐसी बात है तो इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी नें अभी कहा कि यह बात उस कमीशन के ऊपर निर्भर करती है कि वह बीच में अपनी कोई रिपोर्ट निकालना चाहता है या नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में लोकमत को जानने के बाद कि लोग उस रिपोर्ट के कम से कम कुछ भागों को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं क्या सरकार कमीशन को यह नहीं कह सकती कि क्योंकि उसको पूरी रिपोर्ट देने में देरी हो रही है इसलिये वह बीच की रिपोर्ट दे और सरकार उसे प्रकाशित करने की कृपा करें ।

श्री दातार : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में कोई अन्तरिम प्रतिवेदन मांगने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आयोग के पास सभी सम्बन्धी प्रश्न हैं और यदि वे आवश्यक समझे तो इस पर एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे सकते हैं । अब हमें आगामी महीनों में ही सारा अन्तिम प्रतिवेदन मिलेगा ।

विश्व बैंक के ऋण

*५६७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अब तक विश्व बैंक से कितना ऋण लिया;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक से लिये गये ऋण प्रायः बैंक की पसन्द

की कुछ एक विशेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिये विशिष्ठ रूप से अलग किये जाते है; और

(ग) क्या विश्व बैंक से हमारे द्वारा लिये गये ऋणों में हमारा कोई गैर-सरकारी दायित्व भी रहता है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १२ करोड़ ६७ लाख डालर ।

(ख) हम बैंक के समक्ष कोई प्रस्ताव रखते हैं; वे उसको जांचते हैं और बाद में उसे स्वीकार करते हैं या कोई अन्य प्रस्ताव मांगते हैं । परियोजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने में सहमति प्रदान करने वाले सिद्धांत बैंक के नवें वार्षिक प्रतिवेदन (१९५३-५४) के अध्याय १ में उल्लिखित होंगे । इस प्रतिवेदन की एक प्रति पुस्तकालय में मिल सकती है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान क्या यह सच है कि दामोदर घाटी परियोजना में बोखारो तापसम्बन्धी स्टेशन को बन्धों से पहले ही बनाये जाने की स्वीकृति इसलिए मिली कि विश्व बैंक ने इसके बनने पर जोर दिया था और ऋण मिलने की यह पहली शर्त है और इसके कार्य संचालन के सम्बन्ध में, जिसे समय समय पर बैंक के विशेषज्ञ भी देखते रहते हैं बैंक को प्रतिवेदन देन पड़ा था ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान् , यह बहुत पुरानी बात हैं और इस सभा में विगत तीन-चार वर्षों में इस पर प्रायः वाद-विवाद हो चुका है । इस बात में पूरी सचाई नहीं कि बैंक के जोर देने पर ही इस तापाविद्युत स्टेशन को पहले बनाये जाने की स्वीकृति दी गई, किन्तु बुर्दुइन प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनों के शुरू-शुरू में किसी प्रकार सरकार ने यह निश्चय किया कि यह काम पहले होना चाहिये । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है कि बैंक को प्रतिवेदन देने पड़ते हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इसे मांगा था

सभापति महोदय : हां, हां ।

श्री बी० आर० भगत : यद्यपि निर्देशपदों के अनुसार बैंक ऋण प्राप्त करने वाले देश के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, फिर भी मैं समझता हूं कि बैंक को यह देखने की भी जिम्मेवारी है कि काम किस तरह चल रहा है, और समय पर चल रहा है । ऋण प्राप्त करने वाले देश बैंक को विशिष्ट परियोजना के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देते हैं; किन्तु इन सब बातों को बताने में उन की कोई भी मजबूरी नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कुल्जियन कारपोरेशन जैसे अमरीकी स्रोतों से, जिसे बैंक के कहने पर ही बोखारो कोनार स्टेशन का ठेका मिला, सामान तथा शिल्पिक सेवायें खरीदने पर इस ऋण का कितना अंश खर्च किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे व्योरा देना पड़ेगा और उस के लिए मुझे पूर्वसूचना दी जानी चाहिए ।

उपहारों पर आयात शुल्क

*५७०. **श्री सरंगधर दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपहारों पर आयात-शुल्क एकत्र करने सम्बन्धी नियमों का संशोधन करने का कोई विचार है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि कई हालतों में उपहार प्राप्त करने वाले को वस्तु के असल मूल्य से भी अधिक शुल्क देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उपहार प्राप्त करने वाले को उस देश में वस्तु के असल मूल्य के अनुपात से शुल्क देना पड़े ?

राजस्व और रक्षा-व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) विक्रय के लिये अथवा उपहारों के रूप में भेजी जाने वाली वस्तुओं पर भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विहित एक ही दर से शुल्क देना पड़ता है । प्रायः वह वस्तु के असल मूल्य से कम ही होना चाहिये ।

(ग) उन मामलों को छोड़ कर जहां विधि के अन्तर्गत शुल्क की दर मूल्य के अनुसार १०० प्रतिशत अथवा इस से अधिक हो पहले ही ऐसा किया जाता है ।

भूतपूर्व ब्रिटिश कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन

***५७१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल सम्पर्क कार्यालय, ब्रिटेन, से भारत सरकार के भूतपूर्व ब्रिटिश कर्मचारियों के निवृत्ति वेतनों के भुगतान के कार्य को लेने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस परिवर्तन के द्वारा सरकार को अनुमानतः कितनी राशि की बचत होगी?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). स्थिति बहुत हद तक वही है जो मैं ने अपने पहले उत्तर में बताई थी, पर मैं समझता हूं कि इसी अधिवेशन में मैं इस प्रश्न पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मंत्री महोदय इस बात का संकेत दे सकेंगे कि यह ट्रांसफर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे आशा है कि मैं एक दो महीने में यह विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकूंगा ।

निर्वाचन प्रक्रिया

***५७२. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निर्वाचन प्रक्रिया को सरल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) जी हां ।

(ख) अभी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में कितना समय लगेगा ?

श्री पाटस्कर : एक महीना ।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह सरलीकरण किस दिशा में किया जा रहा है ?

श्री पाटस्कर : विस्तारपूर्वक बताना तो बड़ा कठिन है । शीघ्र ही एक विधेयक तैयार किया जायेगा और सभा के सामने रखा जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या नामजदगियों, नाम वापस लेने, जांच पड़तालों और निर्वाचन पर खर्च के प्रश्नों की पूरी जांच की जायेगी ?

श्री पाटस्कर : जी हां, उन की पूरी जांच की जा रही है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या मैं यह समझूं कि सरकार का लोक प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक जो आंशिक प्रकार

का है और जो प्रवर समिति से वापस आ चुका है पर आगे कार्यवाही करने का विचार नहीं है ?

श्री पाटस्कर : जी हां । सरकार इस बारे में एक विस्तृत विधान बनाना चाहती है।

विशाखपत्तनम की तटवर्ती सड़क

*५७३. **श्री अमजद अली** : क्या **रक्षा** मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विशाखपत्तनम् की तटवर्ती सड़क का अधिकतर भाग रक्षा कर्मचारियों ने अब भी रोक रखा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि हाल ही में जब रक्षा संगठन मंत्री वहां गये तो इस बारे में उन्हें एक अभ्यावेदन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो बिना रोक यातायात की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कुछ सड़क रुकी हुई है पर जनता के प्रयोग के लिये एक दूसरी सड़क बना दी गई है;

(ख) जी हां, रक्षा मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा गया था ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री अमजद अली : प्रश्न के भाग (ख) के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि रक्षा संगठन मंत्री ने, जब वह वहां गये, अभ्यावेदन करने वालों को क्या उत्तर दिया ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रस्ताव विचाराधीन है और मंत्री इस के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं दे सकते थे कि इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अमजद अली : यह वस्तुस्थिति कब तक रहेगी ?

सरदार मजीठिया : प्रस्ताव बड़ा विस्तृत है । माननीय सदस्य को पता होगा कि नगरपालिका चाहती है कि मैरीन ड्राइव जैसी एक तटवर्ती सड़क की व्यवस्था की जाये । यह एक बड़ी परियोजना है । इस में काफ़ी समय लगेगा ।

ढलाई के कारखानों का विशेषज्ञ

*५७५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रथम अगस्त, १९५५ के पश्चात् चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई ढलाई के कारखानों के अमरीकन विशेषज्ञ के सेवा काल को बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ग) भारतीय टेक्नालाजी संस्था, खड़गपुर में ढलाई के कारखानों के अधीक्षकों और फोरमेन के व्यवहारिक प्रशिक्षण में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) ढलाई के कारखानों में काम करने वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिये थोड़े समय के पाठ्यक्रमों और ढलाई के काम में प्रशिक्षण का स्थायी केन्द्र स्थापित करने में सहायता देने के लिये विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता है ।

(ग) थोड़े काल के दो पाठ्यक्रम पूरे किये जा चुके हैं जिन में क्रमवार १९ और १७ विद्यार्थी थ । तीसरा पाठ्यक्रम चल रहा है जिस में २७ विद्यार्थी हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उस का सेवा काल कितने वर्षों के लिये बढ़ाया गया है ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय अमरीकन विशेषज्ञ से है तो उस का सेवा काल जुलाई, १९५६ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ।

कृत्रिम चावल

*५७६. **डा० अमीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कृत्रिम चावल उत्पादन करने के तरीके का विकास करने के लिये कितना व्यय किया गया है; और

(ख) इस कृत्रिम चावल का उत्पादन किस लागत पर किया जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कृत्रिम चावल की गवेषणा केन्द्रीय खाद्य टेकनोलाजीकल गवेषणा संस्था, मैसूर के साधारण कार्यक्रम के अंगस्वरूप ही की गई थी । संस्था की व्यक्तिगत गवेषणा परियोजना का अलग लेखा नहीं रखा जाता है ।

(ख) कृत्रिम चावल का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ ।

श्री राम चन्द्र रेड्डी : क्या यह कार्य जारी रखा जायेगा, यदि हां तो वार्षिक आवर्तक व्यय कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस परियोजना का गवेषणा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलाजीकल गवेषणा संस्था ने एक प्रयोगात्मक संयंत्र मंगवाया है । मशीन के पहुंचने पर प्रयोगात्मक पैमाने पर उत्पादन किया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य का उत्पादन बढ़ जाने पर भी यह कार्य जारी रखा जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं कई बार कह चुका हूं कि इस का खाद्य की कमी से कोई सम्बन्ध नहीं है । कुछ समय हुआ मैं ने बताया था कि इस प्रयोग का थोड़ा बहुत सम्बन्ध गरीब लोगों को अधिक पौष्टिक खाद्य देने और टेपियोका, जो दक्षिण में बहुत पैदा होता है, को प्रयोग में लाने से है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री ने कुछ मास पूर्व अपने अतिथियों को कृत्रिम चावल खिलाये थे । यदि हां, तो कृत्रिम चावल का क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे माननीय मित्र को गलत समाचार मिला है ।

श्री चट्टोपाध्याय : धन्यवाद ।

सभापति महोदय : वह जानना चाहते थे कि क्या माननीय मंत्री ने परिणामों को अनुभव किया ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने उसे खा कर देखा है; वह स्वादिष्ट है ।

श्री वीरस्वामी : जब कि हमारे देश की खाद्य स्थिति बिल्कुल सन्तोषजनक है तो इस गवेषणा को जारी रखने की क्या आवश्यकता है ?

सभापति महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । सम्भवतः माननीय सदस्य समझे नहीं । उपमंत्री ने बताया कि खाद्य की कमी से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती ए० काले : जब यह चावल बाज़ार में भेजा जायेगा तो इस का लगभग मूल्य क्या होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय में कुछ नहीं कह सकता ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

*५७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली में १९५४-५५ के दौरान में कौन से नये गवेषणा कार्य आरम्भ किये गये और अब तक उन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रवृत्ति जानने के लिये किन गवेषणाओं ने सहायता की है अथवा करने की सम्भावना है;

(ग) इस अवधि में इस संस्था के कितने विद्यार्थियों ने गवेषणा में भाग लिया; और

(घ) उन विद्यार्थियों में लड़कियां कितनी थी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) ३२ (एम० एड० २० तथा १२ पी० एच० डी०)

(घ) दस (एम० एड० ५ तथा ५ पी० एच० डी०)

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन्हीं विद्यार्थी को गवेषणा विद्यार्थी रखा जाता है जो इस केन्द्रीय संस्था से एम० एड० पास करते हैं या कि बाहर के विद्यार्थियों को भी ?

डा० एम० एम० दास : मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है परन्तु जहां तक मैं जानता हूं केवल वही विद्यार्थी गवेषणा कार्य करते हैं जो इस संस्था में कुछ गवेषणा कार्य कर रहे हैं और इस संस्था में अध्ययन कर रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : यदि हां, तो क्या एम० एड० पाठ्यक्रम के लिये, जो वहां पढ़ाया जाता है, भिन्न भिन्न राज्यों के विद्यार्थी लिये जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान् ।

श्री बी० के० दास : क्या इस संस्था द्वारा कोई गवेषणा पत्र प्रकाशित किये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : इस गवेषणा पर कितना व्यय होता है ?

डा० एम० एम० दास : गवेषणा कार्य संस्था के साधारण कार्य का ही एक अंग है । इसलिये इस गवेषणा पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : सभा-सचिव ने बताया कि भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी लिये जाते हैं, क्या राज्यों के लिये कोई अभ्यंश निश्चित है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे पता है अभ्यंश निश्चित नहीं है पर स्थानों की संख्या सीमित है और प्रवेश के लिये विशेष अर्हतायें निर्धारित हैं ।

योग्यता पर आधारित छात्रवृत्तियां

*५७८. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक आय वर्ग के लिये कितनी भारत सरकार सार्वजनिक स्कूल योग्यता पर आधारित छात्र-वृत्तियां स्वीकृत की गई हैं और उस के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां नियत की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) किसी आय वर्ग के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्तियां देने के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) दी जाने वाली कुल छात्रवृत्तियों में से १७ १/२ प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उपयुक्त उम्मीदवारों के लिये रक्षित रखी गई हैं ।

श्री जांगडे : इन विशेष योग्यता पर आधारित छात्रवृतियां की क्या आवश्यकता थी और सार्वजनिक स्कूल शिक्षा की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा है कि इन छात्रवृत्तियों की योजना का मूल उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का लाभ देश के निर्धन और योग्य विद्यार्थियों को भी उपलब्ध हो सके।

श्रीमती ए० काले : अनुसूचित और अनानुसूचित जातियों की योग्यताओं में क्या अन्तर है ?

डा० एम० एम० दास : अनुसूचित और नानुसूचित जातियों की योग्यता में कोई अन्तर नहीं है पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुये वर्गों के लिये छात्रवृतियां रखी गई हैं ।

श्री जयपाल सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में सभा-सचिव ने बताया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुये वर्गों के लिये कुछ संख्या रक्षित की गई है। क्या रक्षण में इनके निपटारे का अनुपात पहले ही उल्लिखित है ?

डा० एम० एम० दास : रक्षण में इसके अतिरिक्त और कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि १७॥ प्रतिशत इन वर्गों के लिये रक्षित हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। श्री एस० एन० दास के नाम एक अल्प सूचना प्रश्न (सं० २) है। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं । इसका उत्तर सभा पटल पर रखा गया समझा जायेगा और वाद-विवाद में छप जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बैंक बीमा समवाय संस्था

*५३५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अंशों और ऋण-पत्रों के नवीन संस्करणों के अन्तर्लेख करने वाले बड़े बैंकों और बीमा समवायों की संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर भारत के रक्षित बैंक द्वारा अन्तिम रूप में निर्णय किया जा चुका है, जिस का विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाव दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस के संचालन के नियम और विनियम क्या हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भारत के रक्षित बैंक ने यह प्रस्ताव एक समिति को सौंप दिया था जिसका सभापति इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध-निदेशक है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और अब भारत का रक्षित बैंक उस पर विचार कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*५३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राष्ट्रीय छात्र सेना के कुल कितने शिविर लग चुके हैं; और

(ख) उन शिविरों में किस प्रकार के समाज-सेवा तथा रचनात्मक कार्य किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) २१८ ।

(ख) (१) सड़कों, पगडंडियों, खेल के मैदानों तथा पाठशालाओं के कमरों का बनाना और मरम्मत ।

(२) सिंचाई के लिये नालियों, बांधों तथा तालाबों का निर्माण ।

(३) ग्रामों में मलेरिया तथा आहार सम्बन्धी समस्याओं की जांच, स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व पर बातचीत ।

(४) चिकित्सा द्वारा सेवा ।

(५) साक्षरता का प्रचार ।

(६) ग्राम-जीवन की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी जांच ।

(७) प्रथमोपचार तथा गृहोपचार ।

(८) दन्तोपचार ।

(९) सीने पिरोने की शिक्षा देना ।

वायु सेना रिज़र्व

*५३७. **श्री केशवैयंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वायु सेना के लिये रक्षित सेना बना रही है या पहले बना चुकी है;

(ख) इस में कौन लोग भरती हो सकते हैं; और

(ग) क्या 'ह' श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति भी इस में भरती हो सकते हैं, और यदि नहीं, तो क्यों ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) स्थायी वायु सेना रिज़र्व, वायु रक्षा रिज़र्व और एक सहायक वायु सेना रखने का इरादा है । हमारी वायुसेना अभी छोटी है और ऐसे अधिकारियों और लोगों की संख्या अधिक नहीं है जिन्हें स्थायी वायु सेना रिज़र्व में रखा जा सके । इसलिये इस रिज़र्व सेना को बनाने में कुछ समय लगेगा । वायु रक्षा रिज़र्व बनाने सम्बन्धी ब्योरा तैयार किया जा रहा है । प्रथम सहायक वायु सेना स्क्वाडरन शीघ्र ही भरती करने का विचार किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

नौ सेना का भारतीयकरण

*५३९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौ सेना के भारतीयकरण के लिये १९५४ के अन्दर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस काम के लिये कुल कितने नौ सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). पहले जिन १९ पदों पर अंगरेज़ लगे हुए थे, १९५४ के अन्दर उन पर भारतीय लोग लग गये थे । उन में से तीन वरिष्ठ अधिकारी थे, और उन में से एक उपप्रधान सेनापति तथा बलाधिकरण प्रमुख था ।

विभाजन के पश्चात् १५१ भारतीय समुद्री सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था । उन्हें भारतीय समुद्री सेना की वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया है और केवल इसलिये नहीं कि तुरन्त अंगरेज़ अधिकारियों के स्थान पर उन को लगा दिया जाये । जब वे अपेक्षित अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तब शेष ३३ अंगरेज़ अधिकारियों के स्थान पर उन को लगा दिया जायेगा ।

सरकरी नौकरियों में भरती

*५४८. **श्री एस० के० रज्ञमी :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वेतन-क्रमों की सरकारी नौकरियों में भरती के लिए योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब बनाई जायेगी;

(ग) इस समिति के सदस्य कौन होंगे; और

(घ) उस के निदेश-पद क्या होंगे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) बहुत शीघ्र ।

(ग) तथा (घ). मामला विचाराधीन है ।

द्वितीय वित्त आयोग

*५४९. **श्री वी० मिश्र :**
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरा वित्त आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अपनी रिफारिशें भेजेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों के लिये एक केन्द्रीय वित्त आयोग या पृथक् पृथक् आयोग स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) उन का मुख्य कार्य क्या होगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छेद २८० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिस में वित्त आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध है और इस के काम भी निश्चित किये गये हैं। आशा की जाती है कि आगामी वित्त आयोग, आगामी वर्ष के अन्दर, सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त करने और उस पर विचार करने के पश्चात्, नियुक्त किया जायेगा । जैसा कि मैं ने अपने बजट सम्बन्धी भाषण में कहा है सम्पदा शुल्क की शुद्ध आय को विभिन्न राज्यों में बांटने का प्रश्न भी उस अनुच्छेद के खण्ड (३) के उपखण्ड (घ) के अधीन आयोग को सौंपा जायेगा । उस उपखण्ड के अधीन आयोग को कोई अन्य मामला सौंपने के प्रश्न पर इस की नियुक्ति के समय विचार किया जायेगा ।

स्वयं सेवी शिक्षा संबंधी संगठन

*५५३. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर स्वयंसेवी शिक्षा सम्बन्धी संगठनों को कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) किन किन संस्थाओं के लिये धन निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या उन संगठनों से उन के व्यय के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कैम्ब्रिज हायर स्कूल प्रमाणपत्र

*५५७. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ सेवाओं में भरती के लिये केम्ब्रिज हायर स्कूल प्रमाणपत्र को वैकल्पिक योग्यता के रूप में स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : केम्ब्रिज हायर स्कूल प्रमाणपत्र को विश्व-

विद्यालय की डिग्री के बराबर नहीं माना जाता इसलिये जहां किसी सेवा में भरती के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री को सामान्य स्तर के रूप में निश्चित किया जाता है, वहां केम्ब्रिज हायर स्कूल प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी अब प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते ।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड

*५५८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ के अन्दर अब तक प्रत्येक राज्य समाज कल्याण बोर्ड को कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) वास्तव में कितना धन खर्च किया जा चुका है; और

(ग) यह धन किस प्रकार खर्च किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) वास्तविक व्यय अभी मालूम नहीं है ।

(ग) राज्यों के बोर्डों को जो अनुदान दिये गये हैं वे कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और अन्य फुटकर मदों सम्बन्धी खर्च के लिये दिये गये हैं ।

सोने तथा डालर की रक्षित निधियां

*५५९. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पौण्ड पावना क्षेत्र की सोने तथा डालर की रक्षित निधियों का कुछ अंश भारत में रखा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : नहीं, श्रीमान् ।

डर्बी की लाटरी

*५६२. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः १९५२, १९५३ और १९५४ के अन्दर डर्बी की लाटरी के टिकटों के लिए कितना रुपया भेजा गया है; और

(ख) उक्त अवधि के अन्दर भारत में इन टिकटों पर पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह रुपया मनीआर्डर के द्वारा भेजा गया होगा, जिस के आंकड़े प्रत्येक उद्देश्य के अनुसार पृथक् नहीं रखे जाते ।

(ख) सरकार के पास यह जानकारी नहीं है, किन्तु यह पता चला है कि १९५२, १९५३ और १९५४ में क्रमशः ५.३१ लाख, १३.३२ लाख और ३.७१ लाख रुपये भारत में इन लाटरियों में पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए हैं ।

पाठ्य पुस्तकें

*५६५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें बांटने के लिये एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) नहीं, जी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफ़्रीकी विद्यार्थी

*५६८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के अन्दर 'ख' भाग के राज्यों में निश्शुल्क शिक्षा कितने अफ्रीकी विद्यार्थियों को दी गई थी; और

(ख) उक्त अवधि के अन्दर उन्हें क्या विषय पढ़ाये गये थे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ५ ।

(ख) अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषा, लैटनि, गणित, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, तर्कशास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, तथा जीव विज्ञान ।

आदिवासियों को निश्शुल्क शिक्षा

*५६९. **श्री हेडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब आदिवासियों के लिये निश्शुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दिये जाने के सम्बन्ध में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलन से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) आदिम जातियों में शिक्षा की समस्या के किन अन्य पहलुओं पर सम्मेलन में जोर दिया गया था; और

(ग) सरकार उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) नहीं ।

(ख) सम्मेलन की कार्यवाही का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

युवकों के शिविर तथा उत्सव

*५७४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री युवकों के शिविरों तथा उत्सवों सम्बन्धी संक्षित प्रतिवेदन देने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

एलोरा की गुफायें

*५७९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एलोरा की गुफाओं की स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और शिलालेखों के सम्बन्ध में एक व्यापक लेख निकालने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह लेख प्रकाशित होगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण

*५८०. **श्री सारंगधर दास:**
ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी कोई निर्णय किया जा चुका है;

(ग) क्या अन्य देशों में राष्ट्रीयकृत बीमा समवाओं के संचालन का अध्ययन करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ). भारत में बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये या नहीं यह प्रश्न पहले भी कई बार विभाग के समक्ष परीक्षण के लिये उपस्थित हुआ है। इस के हानि लाभ और इस के विभिन्न रूपों अर्थात् आंशिक राष्ट्रीयकरण, इस क्षेत्र में सरकार का प्रवेश, आदि विषयों सम्बन्धी अध्ययन अब भी जारी है । इस अध्ययन के अधीन, बीमा नियंत्रक को, जो अभी हाल में कोलम्बो, योजना द्वारा दी गई सुविधाओं के अधीन आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड गये हैं, इन देशों की यात्रा के अवसर को वहां राज्य द्वारा चलाई जाने वाली बीमा योजनाओं का संचालन कार्य सम्भालने के लिये प्रयोग में लाने को कहा गया है । अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

प्राकृतिक गैस

*५८१. **डा० अमीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लगभग ३५ वर्ष पूर्व बड़ौदा, जघाटिया और अंक्लेश्वर (बम्बई राज्य) तथा गोधा (सौराष्ट्र राज्य) में प्राकृतिक गैस के छोटे छोटे स्रोत पाये गये थे; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों की फिर से खोज करने और यह निश्चय करने के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं कि नये उपायों की सहायता से इन क्षेत्रों में गैस प्राप्त करने की और क्या संभावनाएं हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, श्रीमान् ।

(ख) भारत के भूतत्वीय-परिमाप विभाग ने मिगनातीसी, ग्रेवीमीट्रिक और सीसमिक उपायों की सहायता से उन क्षेत्रों का, इस दृष्टि से भू-भौतिकीय-परिमाप प्रारम्भ कर दिया है, कि तेल अथवा गैस के स्रोतों की और अधिक संभावनाओं के लिए भू-तल में छिपे हुए लक्षणों की खोज की जा सके ।

उपकरण तथा शिल्पिक कर्मचारी

*५८२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमरीकन शिल्पिक सहायता कार्यक्रम तथा कोलम्बो योजना के अधीन भारत के भूतत्वीय-परिमाप विभाग तथा भारतीय खान विभाग के द्वारा आज तक कितने मूल्य के उपकरण प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इन दो निकायों के कार्यों में उपकरणों की कमी के कारण अभी तक बाधा वर्तमान है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में शिल्पिक कर्मचारी भर्ती किये गये हैं; तथा

(घ) यदि हां, तो १९५०–५१ से अभी तक कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारतीय खान विभाग को अभी तक भारत-अमरीकी शिल्पिक सहायता कार्यक्रम तथा कोलम्बो योजना के अधीन कुछ भी उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। भारत के भूतत्वीय-परिमाप विभाग को अभी तक जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उन के विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री एस० एन० दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग सम्बन्धी ऐसे कौन से विशेष प्रश्न थे जिन के विषय में भारत सरकार से बातचीत करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के वैदेशिक-कार्य-प्रशासन के निदेशक, श्री हैरल्ड ई० स्टासन यहां आये थे;

(ख) क्या इस विषय में की गयी बातें गुप्त रखने योग्य हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उस समय किन किन बातों पर बातचीत हुई थी; तथा

(घ) क्या भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग की किसी योजना का अन्तिम निर्णय हो चुका है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका वैदेशिक-कार्य-प्रशासन के निदेशक, श्री हैरल्ड ई० स्टासन भारत सरकार के निमंत्रण पर इस उद्देश्य से आये थे कि भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्मिलित हित की समस्याओं पर बातचीत की जाये।

(ख) उस में कुछ भी विशेष गोपनीय बात नहीं थी परन्तु क्योंकि उन बातों के विषय में अभी बहुत कुछ सोच विचार करना होगा, इसलिए जब तक सम्बन्धित प्राधिकारी इस के विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर लेते, तब तक इस के विषय में बता देना उचित नहीं है।

(ग) जिन बातों पर चर्चा हुई है उन में से कुछ के विषय में तो श्री स्टासन ने स्वयं ही पहली मार्च, १९५५ को पत्रकार-सम्मेलन में संकेत दे दिया था। संक्षेप में चर्चा में इन बातों पर विचार किया गया था कि भारत और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेश को उन की आर्थिक विकास योजनाओं के लिए संयुक्त राज्य की सहायता जारी रखी जाये, इस काम के लिए संगठन के स्वरूप का निर्णय किया जाये और किस रूप में तथा किन शर्तों पर यह सहायता दी जाये और ली जाये इस प्रश्न पर भी विचार किया गया।

(घ) श्री स्टासन के साथ जिन योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी थी, वे अभी अन्तिम रूप में निर्णीत नहीं हुई हैं। एक ओर उन्हें संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा अनुमोदन प्राप्त कराना होगा और दूसरी ओर कोलम्बो योजना मंत्रणा समिति की अन्य सदस्य सरकारों के परामर्श के साथ हमारी सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर

१२९. डा० अमीन : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर ने आज तक कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं; तथा

(ख) इन में से ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिन में इस संस्था द्वारा किये गये गवेषणा कार्यों अथवा अन्वेषणों के बारे में वर्णन है, और ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिन में अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये गवेषणा कार्यों अथवा अन्वेषणों के बारे में वर्णन है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) चार सौ उनहत्तर (४६९)।

(ख) संस्था द्वारा किये गये मौलिक कार्यों का वर्णन करने वाले पत्र तथा नोट संख्या में २५६ हैं। अधिक सामान्य रूप से

जिन पुस्तकों अथवा पत्रों में पुनर्विलोकन किया गया है अथवा विशेष लेख लिखे गये हैं, उन की संख्या दो सौ तेरह (२१३) है।

भूतत्वीय-परिमाप

१३०. **डा० अमीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतत्वीय परिमापों पर गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धन-राशि ख़र्च की गयी थी;

(ख) कितने प्रतिवेदन सरकार को भेजे गये हैं; तथा

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कितने प्रतिवेदन प्रकाशित किये गये हैं जो कि जनता के लिए उपलब्ध हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर

१३१. **डा० अमीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर ने इमली के उपयोग से टारटरिक एसिड, अल्कोहल (मद्यसार) आदि बनाने का कोई तरीका निकाला है; तथा

(ख) क्या ऐसा ही कार्य १९२० में, बंगलौर की भारतीय वैज्ञानिक संस्था में भी प्रारम्भ किया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय समवाय

१३२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश के खनिज सम्पत् के विकास के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय समवाय से कोई करार किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उस करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब को ऋण तथा अनुदान

१३३. **डा० सत्यवादी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८ से १९५३-५४ के दौरान में, प्रति वर्ष, पंजाब राज्य को, निम्नलिखित कार्यों के हेतु कितनी धनराशि ऋणों और अनुदानों के रूप में दी गई है :—

(१) अधिक अन्न उपजाओ;
(२) सिंचाई की छोटी परियोजनाएं;
(३) खाद तथा उर्वरकों का वितरण;
(४) औद्योगिक विकास;
(५) छोटे पैमाने के कुटीर उद्योग;
(६) सड़कें;
(७) आदिम जाति कल्याण;
(८) अनुसूचित जातियों का कल्याण;
(९) नयी राजधानी का निर्माण;
(१०) भाखड़ा परियोजना;
(११) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि;
(१२) सामुदायिक परियोजना;
(१३) विस्थापित लोगों का पुनर्वास;
(१४) उद्योग-गृह निर्माण योजना;
(१५) स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार; तथा
(१६) ग्रामों में बिजली लगाना ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

भर्ती

१३४. श्री हेडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के कार्यालय ने निम्न वर्ग के क्लर्कों के कुछ अस्थायी स्थानों के लिए आवेदन पत्र मांगे थे और फिर ८ जनवरी, १९५५ को उन की एक परीक्षा भी ली गयी थी; तथा

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल ने अपने कार्यालय में निम्न वर्ग के क्लर्कों के कुछ अस्थायी स्थानों को भरने के लिए कुछ स्थानीय समाचारपत्रों में एक सूचना प्रकाशित की थी कि ऐसे अभ्यर्थी, जिन की टाइप लेखन की गति ४५ शब्द प्रति मिनट है, ८ जनवरी, १९५५ शनिवार को एक परीक्षा के लिए उपस्थित हों । उस सूचना में यह भी लिखा था कि वे अभ्यर्थी अपने साथ अपने अपने आवेदन-पत्र, और अपने प्रमाण-पत्रों की प्रतियां भी लेते आयें । हमें आशा तो यह थी कि अभ्यर्थियों की संख्या २५० से अधिक न होगी, परन्तु वास्तव में ८ जनवरी, १९५५ को १,४०० व्यक्ति आ पहुंचे । इन में से १,०२९ व्यक्तियों को सुविधाजनक दलों में परीक्षा के लिए बुलाया गया है, शेष अभ्यर्थी अर्हता अथवा आयु के आधार पर अपात्र थे । प्रथम परीक्षा ८ जनवरी, १९५५ को हुई थी और बाकी परीक्षाएं उस के पश्चात् अन्य तिथियों पर हुई थीं ।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र

१३५. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं की अल्प बचत योजना के अधीन "बारह वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों" की बिक्री के लिये दिल्ली में कितने एजेंट नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) अभी तक उन्होंने कितने मूल्य के प्रमाणपत्र बेचे हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) चार ।

(ख) छः लाख ६४ हज़ार रुपये । इस के अतिरिक्त इन एजेंटों के द्वारा कुल ५ लाख, ६६ हज़ार रुपये के मूल्य के राष्ट्रीय योजना ऋण, दशवर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र तथा पंद्रह वर्षीय वार्षिकी पत्र बेचे गये, जिन पर कोई कमीशन देय नहीं है ।

आवड़ी कांग्रेस अधिवेशन

१३६. श्री वीरस्वामी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवड़ी में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्री तथा उपमंत्री सम्मिलित हुए थे;

(ख) क्या उन्होंने अपने खर्च पर यात्रा की थी अथवा सरकारी खर्च पर; तथा

(ग) यदि उन्होंने सरकारी खर्च पर यात्रा की थी तो उन्हें कितना यात्रा-भत्ता दिया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) आवड़ी के कांग्रेस अधिवेशन में कुल २५ मंत्री और उपमंत्री सम्मिलित हुए थे ।

(ख) उन्होंने दिल्ली से अथवा यदि उन में से कुछ सरकारी कार्यवश दौरे पर थे, उन्होंने तो वहीं से आवड़ी तक की यात्रा अपने खर्च पर की थी ।

(ग) कुछ भी नहीं

मंत्रियों का दक्षिणी भारत का दौरा

१३७. **श्री वीरस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन किन मंत्रियों और उपमंत्रियों ने जनवरी और फरवरी, १९५५ में दक्षिणी भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या उन के दौरे सरकारी थे अथवा गैर-सरकारी थे; तथा

(ग) उन्हें कुल कितना यात्रा-भत्ता दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

यात्रा भत्ते

१३८. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ तथा १९५४ में प्रत्येक मंत्री ने भारत तथा विदेश का दौरा करने के लिए कितना यात्रा-भत्ता प्राप्त किया था;

(ख) प्रत्येक मंत्री के साथ जाने वाले कर्मचारियों को इस दौरान में कितना यात्रा-भत्ता मिला था;

(ग) उन्होंने विदेशों में किस किस स्थान का दौरा किया था; तथा

(घ) किन किन कारणों से ये दौरे किये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

काश्मीर राज्य में मकानों का अधिग्रहण

१३९. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **रक्षा** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) रक्षा प्राधिकारियों ने नवम्बर, १९४७ से, जम्मू और काश्मीर राज्य में कुल कितनी भूमि, कितने मकानों और अन्य स्थानों का अधिग्रहण किया है;

(ख) सम्पत्ति अधिग्रहण के कारण सम्पत्ति-स्वामियों को किराये अथवा प्रतिकर के रूप में दी गयी कुल धन-राशि; तथा

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिन में किराया अथवा प्रतिकर देना अभी बाकी है, और ऐसी धन राशि कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]**

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक-सभा

शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[सरदार हुक्मसिंह पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं परिसीमन आयोग, अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उप-धारा (२) के अधीन परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २३ की एक प्रति, जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग २ धारा (३) दिनांक १६ फरवरी, १९५५ में प्रकाशित हुआ था, पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एस-५६/५५]

अचल सम्पति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२

की धारा १७ की उपधारा (२) के अधीन निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १०८५-ई २/५५, दिनांक, ९ फरवरी १९५५ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एस-५७/५५]

सदस्य का निरोध से मुक्त किया जान

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे मनीपुर सरकार के मुख्य सचिव का दिनांक २४ फरवरी, १९५५ का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि मुख्य आयुक्त ने श्री रिशांग किशिंग के निरोध का आदेश रद्द कर दिया है और सदस्य को रिहा कर दिया गया है ।

१९५५-५६ के लिए रेलवे आयव्ययक

--सामान्य चर्चा--समाप्त

सभापति महोदय : अब हम रेलवे बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे । सदस्यगण डेढ़ बजे तक बोल सकते हैं । माननीय मंत्री डेढ़ बजे बहस का उत्तर देना आरम्भ करेंगे और ढाई बजे उत्तर समाप्त हो जाने पर ग़ैर सरकारी कार्य लिया जायेगा । सोमवार और बृहस्पतिवार अनुदानों की मांगों और कटौती प्रस्तावों के लिये निर्धारित किये जायेंगे ।

श्री गिडवानी (थाना) : कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि जो लोग सामान्य चर्चा के दौरान में बोल चुके ह उन्हें कटौती

[श्री गिडवानी]

प्रस्ताव के समय दुबारा बोलने का अवसर न दिया जाये ।

सभापति महोदय : निस्सन्देह मैं यह बात याद रखूंगा ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कल श्री एच० एन० मुकर्जी ने चितरञ्जन और चितरञ्जन में बनाये जाने वाले इंजिनों की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं । जो भी व्यक्ति चितरञ्जन गया है वह वहां पर होने वाले कार्य से प्रभावित हुआ है और उसने उसकी प्रशंसा की है । किन्तु श्री एच० एन० मुकर्जी ने चितरञ्जन में किये जाने वाले कार्य की निन्दा की है ? श्री मुकर्जी यह बात कहना चाहते हैं कि हम वहां पर इंजिनों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वरन् बाहर से मंगाये गये हिस्सों को जोड़ रहे हैं । मैं प्रारम्भ में ही उनकी इस ग़लत धारणा का खंडन कर देना चाहता हूं । यह बड़े संतोष की बात है कि हम जनवरी से १० इंजिन प्रति महीने बना रहे हैं । कुल मिला कर हम लगभग १४५ या १५० इंजिन हर वर्ष तैयार करने की स्थिति में हैं जब कि हमारा प्रारम्भिक लक्ष्य १२० इंजिन था । देश में जो नवीन भावना उत्पन्न हो रही है यह कार्य उसी भावना का प्रतीक है । इन परिस्थितियों में चितरञ्जन के कारखाने में ग़लती ढूंढना भ्रामक है । यह सच है कि हम कुछ ऐसे हिस्सों को बाहर से मंगा रहे हैं जिनके निर्माण की क्षमता देश में नहीं है । विद्युत् उपकरणों के उद्योग का विकास होने पर यह थोड़ी-सी निर्भरता भी विलीन हो जायेगी यदि हम ब्वायलर्स का आयात न करें तो हमें पूरे इंजिन ही बाहर से मंगाने पड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि श्री एच० एन० मुकर्जी इसे कदापि पसन्द नहीं करेंगे । इसका अभिप्राय होगा रोज़गार की कमी । इतना होने पर भी इस्पात की कमी है । १९५४ में हमने लगभग २५०,००० टन इस्पात आयात किया था । उत्पादन का वर्तमान स्तर बनाये रखने के लिये यह आयात आवश्यक है । यह तो उसी तरह है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि इस्पात का आयात न करो और जब तक देश में आवश्यकतानुसार मात्रा में इस्पात नहीं बन जाता है तब तक उत्पाद को रोक रखो । श्री मुकर्जी ने कलकत्ता के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी कहा । हम इसके लिये शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं । आगामी वर्ष के लिये २ करोड़ रुपये का व्यय अलग निर्धारित कर दिया गया है । यदि मुझे स्मरण है तो श्री मुकर्जी ने कुछ इस प्रकार के शब्द कहे थे कि दिल्ली का शासक वर्ग कलकत्ता का अस्तित्व ही नहीं चाहता है । "शासक वर्ग" सरीखे शब्द एक सत्तात्मक शक्ति के लिये प्रयुक्त किये जा सकते हैं प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के लिये नहीं ।

श्री नम्बियार : कैसे ?

श्री अलगेशन : क्योंकि शासक कोई नहीं है । जनता द्वारा मताधिकार के आधार पर ही हम यहां हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : नहीं । आप शासन कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : यह तो अपना अपना मत है ।

श्री अलगेशन : साधारण स्थानों का मिटना भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता फिर उद्योग तथा व्यापार के केन्द्र कलकत्ते की तो बात ही क्या है । श्री मुकर्जी ने कहा कि लोगों की सामान्य धारणा यह है कि कलकत्ता में उपद्रवी लोग रहते हैं । मैं इसे नहीं जानता लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि कलकत्ता उपद्रवकारियों का क्रीड़ा क्षेत्र रहा है अनेक कारणों से कलकत्ता अभाव और कठिनाइयों से ग्रस्त रहा है । निहित स्वार्थ वाले दलों ने

इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न किया है ।

लेकिन हम इस बात से आश्वस्त हो गये हैं कि "विद्युतीकृत कलकत्ता" का अर्थ है "उपद्रवकारी-रहित कलकत्ता" । मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जिस अवधि की ओर संकेत किया है उसके भीतर विद्युत् चालित गाड़ियां आरम्भ हो जायेंगी ।

श्री रामस्वामी ने 'टेलको' में ब्वायलर्स आदि के निर्माण के सम्बन्ध में कहा कि विभिन्न प्रकार के ब्वायलर्स का आर्डर देने के कारण उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ है । वस्तुतः यह पहले का सिंहभूम रेलवे वर्कशाप था जो किन्हीं विशिष्ट प्रकार के ब्वायलर्स बनाने की दृष्टि से 'टेलको' के सुपुर्द किया गया था । अब इस सार्थ को ५७८ ब्वायलर्स का आर्डर दिया गया है जिसकी पूर्ति १९५७ तक करनी है । इंजिनों की क़िस्में केवल आठ हैं । यह एक बड़ा आर्डर है और क़िस्में भी अधिक नहीं हैं । यह बात सुनकर अचरज होता है कि उक्त क़िस्में 'टेलको' के उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं । मैं नहीं समझता कि किसी भी उत्पादक को केवल इतनी-सी क़िस्मों के इतने बड़े आर्डर पर शिक़ायत हो सकती है ।

कदाचित् श्री सोमानी जापानी रेलें और उनके संचालन अनुपात आदि के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े उद्धृत कर रहे थे । उनके आंकड़ों से मालूम होता है कि जापानी रेलें अपना कार्यकारी व्यय भी पूरा नहीं कर पाती हैं जब कि हम सामान्य राजस्व को अच्छा लाभांश भी देते हैं तथा थोड़ी अतिरिक्त आय भी पैदा करते हैं जो देश में पूंजी निर्माण में सहायक होती है । विश्व में किराये और माल-भाड़े की सब से कम दरें होते हुये भी हम यह सब कर रहे हैं ।

इसके बाद श्री मुकर्जी ने १९५१–५२ की आय की तुलना चालू वर्ष से की । श्री मुकर्जी ने चालू वर्ष के संशोधित आंकड़ों और १९५१–५२ के मूल आंकड़ों में तुलना कर कह दिया कि उन में ८ करोड़ की कमी है लेकिन श्री मुकर्जी के ध्यान में यह बात नहीं आई कि १९५१–५२ की आय में रेलवे स्टोर्स और ईंधन को लाने ले जाने के कारण वृद्धि हो गई थी । यदि इस रक़म को उस वर्ष की आय में से निकाल दिया जाये तो यह १९५१–५२ से लगभग ८ करोड़ रुपये अधिक होगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद ने मोकामेह योजना की चर्चा करते हुये कहा कि उसमें बिहार के स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया गया है । हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि भरती इस प्रकार हो कि जन संख्या के सभी वर्गों को रेल सेवाओं में उचित प्रतिनिधान तथा समान अवसर दिये जायें । हम यह नहीं चाहते हैं कि देश का एक वर्ग दूसरे वर्गों पर प्रभुत्व जमाने पाये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रेल सेवा आयोगों को भरती के समय प्रादेशिक दृष्टिकोण अपनाने का अनुदेश दिया गया है । वे प्रत्येक प्रादेशिक मुख्य कार्यालय अथवा डिविजनल मुख्य कार्यालय में जाकर वहीं भरती करते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी ने कहा कि रेल सेवाओं में आसाम के अधिक व्यक्ति नहीं हैं । मोकामेह पुल सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास हैं :

गज़टेड पदाधिकारी: २३, जिनमें से दो बिहार के हैं ।

वर्ग तृतीय पद: ४६०, इनमें १४६ स्थानों पर बिहार के रहने वाले काम कर रहे हैं ।

[श्री अलगेशन]

वर्ग चार पद: १,२१०, इनमें ९१८ बिहार के हैं।

श्री विट्ठल राव उस दिन इस बात की शिकायत कर रहे थे कि खंडवा-हिंगोली योजना की पूर्ति में विलम्ब हो गया है। यह १८७ मील लम्बी है। यह एक दुष्कर मार्ग है। हमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पार कर ताप्ती, पूर्ना और पौनगंगा—तीन नदियों के ऊपर से पुल बनाना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि कार्य विधिवत् चल रहा है।

इसके पश्चात् उन्होंने सिंगरेनी कोयला खानों के साइडिंग चार्जेज़ के सम्बन्ध में कहा। इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है और मुझे आशा है कि हम इस दिशा में शीघ्र ही निर्णय करने की स्थिति में होंगे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : धन्यवाद।

श्री अलगेशन : इसके बाद श्री रामचन्द्र रेड्डी और श्री विट्ठल राव ने काज़ीपेट और गुडुर के बीच रेल मार्ग के सर्वेक्षण की चर्चा की। वस्तुतः दक्षिण रेलवे से समानान्तर सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है अर्थात् वे बैजवाड़ा और मद्रास के बीच लाइन को दोहरा करने और काजीपेट और नेलोर अथवा गुडुर के बीच समानान्तर लाइन का वैकल्पिक सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर उनकी तुलना की जायेगी और इसके बाद निर्णय किया जायेगा।

कुर्ग के मेरे माननीय मित्र श्री सोमना ने बंगलौर में प्रतीक्षा कक्षों के अभाव की शिकायत की। श्री गुरुपादस्वामी ने भी एक प्रश्न के रूप में यही बात पूछी है। वहां दो स्टेशन हैं। बंगलौर सिटी स्टेशन पर जो अपर क्लास प्रतीक्षा कक्ष हैं—एक कक्ष इण्टर क्लास के लिये और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये है। बंगलौर छावनी में एक सामान्य अपर क्लास प्रतीक्षा कक्ष और एक तृतीय श्रेणी का प्रतीक्षा-सदन है। स्पष्ट है कि इतना स्थान पर्याप्त नहीं है। अतः हमने दक्षिण रेलवे से कहा है कि वह मामले की जांच कर आवश्यक सुविधाओं का उपबन्ध करे।

उस दिन भाषण के दौरान में श्री यू० एम० त्रिवेदी ने रेल चिकित्सा विभागों के विरुद्ध प्रबल आरोप लगाये। उन्होंने जिस उग्रता का प्रदर्शन किया वह वांछनीय नहीं है। उन्होंने एक कर्मचारी विशेष के बारे में कहा कि उससे एक महीने का वेतन देने के लिये कहा गया और वेतन न देने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह मामला बड़ा रोचक है। यह कर्मचारी एक यात्री टिकट परीक्षक था और सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी के पास परीक्षण के लिये गया। चूंकि सम्बन्धित चिकित्सा-पदाधिकारी को उसके फिट (योग्य) होने में सन्देह था, उसने उसे मुख्य चिकित्सा-पदाधिकारी के पास भेज दिया। मुख्य चिकित्सा-पदाधिकारी ने उसका परीक्षण किया और उसे अनफिट (अयोग्य) पाया। उसने फिर प्रायवेट डाक्टर के पास से यह प्रमाणपत्र लाकर दिया कि वह योग्य (फिट) था। तब उसे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास परीक्षण के लिये फिर भेजा गया। पर फल वही रहा। उसकी पदच्युति नहीं की गयी, बल्कि उसे मुख्य टिकट कलक्टर १००–१८५ रुपये के उसी ग्रेड में रखा गया है।

वह इस मामले को अदालत में ले गया, पर अदालत ने मामला खारिज कर दिया।

उसने माननीय सदस्य को ग़लत बात ही बतायी होगी। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस प्रकार के सामान्य व्यापक आरोप न लगाया करें। मैं चिकित्सा विभाग में काम करने वाले इन बहुत से डाक्टरों को जानता हूं और मुझे उनकी कर्तव्य निष्ठा का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है। यदि कोई सदस्य यहां पर यह कहे कि सारा चिकित्सा विभाग भ्रष्ट है, तो यह उनके साथ न्याय न होगा।

सभापति महोदय : मुझे दस नाम मिले हैं। और लोग भी होंगे। हमारे पास एक घंटा और ७–८ मिनट हैं। यदि माननीय सदस्य अपनी बात ८–९ मिनट में कह लें, तो अधिक सदस्य बोल सकेंगे।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभा के सदस्यों ने ही नहीं, जनसाधारण ने भी यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, कई और सुधार करने और भारतीय रेलों का विकास करने के लिये माननीय मंत्री को बधाई दी है, पर मंत्री जी को इससे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को यद्यपि प्लेटफार्म पर कुछ सुविधायें दी गयी हैं, परन्तु गाड़ी में बहुत भीड़ रहती है और सैंकड़ों मील की यात्रा करने पर भी उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। टंकी में पानी होने पर नल ठीक नहीं होता और नल ठीक होने पर पानी नहीं होता। मैं ने श्री अलगेशन को १९५३ में गाड़ियों में भीड़ के बारे में पत्र लिखा था। कम से कम दूर तक यात्रा करने वालों को तो कुछ सुविधायें मिलनी ही चाहिये।

वर्द्धमान (टेलीस्कोपिक) किराया प्रणाली के बारे में मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री ने थोड़ी दूरी तक यात्रा करने वालों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। समाजवादी ढां को आदर्श बनाने वाले राज्य के लिये यह उचित नहीं है। ये लोग बड़े ग़रीब हैं और सैर या धार्मिक यात्रा के लिये यात्रा नहीं करते बल्कि पड़ौस के बाज़ारों में व्यापार के लिये या अपने पास के रिश्तेदारों के पास ही जाते हैं। अतः उनके लिये किरायों का बढ़ाया जाना कदापि उचित नहीं है।

भारतीय रेलों में दस लाख से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुआ है। उन में से ९० प्रति शत से अधिक व्यक्ति बड़ी बुरी दशा में रहते हैं। उनको जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी नहीं मिलता, जब कि कुछ व्यक्तियों को हज़ारों रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। चीन में राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुल ६०० रुपये मिलते हैं।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

हमारे यहां के कामकरों के क्वार्टर गंदी जगहों पर बने हुये हैं और वहां तक सड़कों और प्रकाश तक की व्यवस्था नहीं है। दक्षिण रेलवे की पनत्रुति बस्ती ऐसी ही है।

टिकट परीक्षकों के लिये स्टेशनों के पास आराम घर होने चाहिये। वे दिन-रात गाड़ी में चलते हैं और तब उनको प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है, यह शर्म की बात है।

भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। उस में किसी सम्प्रदाय को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। सरकारी रेस्टोरैंटों में ब्राह्मणों को ही रसोइयों या परोसने वालों के रूप में रखा जाता है। वे नियमित नौकर होते हैं जबकि सफाई करने वालों को ठेक पर रखा जाता है, यह अनुचित है।

दक्षिण रेलवे में बहुत से प्लेटफार्मों पर मन्दिर और मूर्तियां हैं। मैं ने मद्रास के पैराम्बूर कारखाने में भी हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां देखी हैं। हमारे कारखाने काम के लिये हैं, पूजा के लिये नहीं। यदि हिन्दू

[श्री वीरस्वामी]

अपने देवताओं को रखेंगे, तो मुसलमान और ईसाई भी अपने देवताओं को ले आयेंगे।

श्री अलगेशन: हमें लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : इस चर्चा में सब से पहले हमारे गिरि साहब ने कुछ रेलवेमैन्स फेडरेशन के बारे में बात छेड़ी। मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहता था लेकिन जब एक बात सामने आयी है तो मैं अपना विचार भी इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है कि रेलवे-मैन्स फेडरेशन दो रहें। जो दोनों यूनियन्स के या फेडेरेशन्स के नेतागण हैं वह क्या करें इसका उपदेश देने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन पालिसी की हद तक मैं यह सुझाना चाहता हूं कि जब लेबर यूनियन्स "वन ट्रेड वन यूनियंन" की पालिसी से नहीं चलतीं हैं तो जब उनके रिकागनीशन का सवाल आता है तो किसको रिकागनीशन दिया जाय इसमें कठिनाई होती है। रेलवे खुद एक एम्पलायर है और मालिक की हैसियत रखती है और जब उसके सामने यह सवाल आवेगा तो मैं समझता हूं कि वह डिमाक्रेटिक तरीक़े से काम लेगी। मझे कुछ अनुभव लेबर प्राबलम्स का है। मैं यह समझता हूं कि हर एक पोलीटिकल पार्टी जब अपने अपने ढंग से यूनियन आर्गेनाइज़ करती है तो सब से बेहतर यह बात होगी कि जो मजदूर उस इण्डस्ट्री में काम करते हैं उनकी प्लैबीसाइट से इसका तस्फ़िया किया जाय, क्योंकि हुकूमत के लिये एम्पलायर होने के कारण किसी एक यूनियन की तरफ़ पार्शियलिटी दिखलाना अच्छा नहीं होगा। खैर यह तो एक पालिसी की बात हुई।

मैं इस बजट की चर्चा में जब कई बातें सुनता रहा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि तीन चार साल में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रगति की है, जो सुविधायें पहुंचाई गयी हैं, जो सुधार हुआ है वह तो नित्य अनुभव की बात है। जो भी सफर करता है वह उनको समझ लेगा। हां हम यह तो कह सकते हैं कि पूरी सुविधायें अभी नहीं हुई हैं और भी बहुत सी एमेनिटीज़ की ज़रूरत है। इस बजट में सुविधायें देने के लिये तीन करोड़ रुपया खर्च करने का इरादा किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि जैसे समय बीतेगा और भी सुविधायें दी जायेंगी और एक दो साल के अन्दर, जो कुछ मैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ सका हूं उस से मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रियों के लिये सुविधायें बढ़ेंगी। इस बात की इस बजट में गुंजाइश है। तो कोई शिक़ायत का सवाल नहीं है। हां, प्रगति और तेजी से होनी चाहिये यह तो मानना पड़ेगा।

मैं दो बातों के बारे में आखिर में संक्षेप में ज़िक्र करूंगा। आप जो सुविधायें यात्रियों को देना चाहते हैं वह दें लेकिन जो रेलवे एम्पलाईज़ हैं उनकी सुविधा की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। यहां पर मैं कुछ अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर कहना चाहता हू। मुदखेड़ आदिलाबाद की नई लाइन है। इसको बने १०, १५ साल हुये हैं। यहां पर स्टेशन मास्टर को धूपकाल में अपने बच्चों के साथ टिन शैड में रहना पड़ता है। यहां पर धूपकाल में ११४ से ११६ डिग्री तक गर्मी पड़ती है। ऐसी गर्मी में स्टेशन मास्टर को अपने बालबच्चों के साथ एक टिन शेड में ज़िन्दगी बितानी पड़ती है। यह हालत तो स्टेशन मास्टर की है फिर पोर्टर्स का क्या हाल होगा। यह इन लोगों के साथ अन्याय है। रेलवे मंत्री जी ने अपने भाषण में रेलवे कर्मचारियों के लिये हिल स्टेशन्स पर कुछ प्रबन्ध करने का ज़िक्र किया है। उस हिल

स्टेशन का विचार न करके अगर वह इन लोगों को यह मामूली एमेनिटीज़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

आखिर में मैं एक बात कहूंगा जो कि मेरे प्रदेश के बारे में है। हैदराबाद स्टेट में जो मराठड़ा एरिया है उसमें तीन ज़िलों में कोई रेलवे की सुविधा नहीं है। वहां पर इन तीन ज़िलों में बहुत ही कम रेलवे हैं। दो ज़िलों में तो कुछ रेलवे है ही नहीं। एक लाइन के बारे में हैदराबाद सरकार ने सिफारिश की है। वह आपके सामने है। वह शोलापुर, उसमानाबाद, कलभ, केज, वीर, देवराई जालना लाइन है। उसको आप टाप प्रायरिटी दें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी और लाइन को प्रायरिटी न दें। लेकिन अगर आप इसको प्रायरिटी देंगे तो आप एक बहुत बड़ा लिंक नार्थ और साउथ में स्थापित करेंगे। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े प्रदेश का विकास बहुत जल्द होगा। उस एरिया के साथ अभी तक अन्याय हुआ है। वहां के लोगों के मन में ऐसी भावना है। इसको आप दूर करें और इस लाइन को आप टाप प्रायरिटी देकर सैकिंड फाइव इअर प्लान में शामिल कर लें। ऐसी मेरी प्रार्थना है।

मैं इस बजट में जो कुछ चर्चा हुई है उसमें हिस्सा लेते हुये रेलवे मंत्री, रेलवे बोर्ड और तमाम रेलवे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): आज मैं रेलवे मंत्री महोदय ने जो रेलवे बजट पेश किया है उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत से रास्तों पर और बहुत से दूसरे कामों में तरक्की हुई है, यह मानना पड़ेगा, लेकिन जहां पर कुछ खामियां हैं उन खामियों को दर्शाना, मैं समझता हूं, मेरा कर्तव्य है।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो गुड्स हमारी ट्रेनों से भेजे जाते हैं यदि वह इंश्योर्ड करके भेजे जायें तो उससे यह होगा कि जितनी क़ीमत का वह सामान इंश्योर्ड होगा, उतना रुपया अगर वह सामान ट्रेन में रास्ते मे गुम हो जाता है तो भेजने वाले को मिल जायेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ट्रेन से गुड्स इंश्योर्ड करके भेजे जायें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक यह चोरी का मामला है, इस मामले में उनका ध्यान ज्यादा जाना चाहिये और खास कर जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं जो स्टेट की सरकारें हैं उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी डालनी चाहिये कि वह इस को मुस्तैदी के साथ सुलझावें ताकि ये बातें उनके इलाक़े में अथवा उनके प्रान्त में न हों। यदि इस मामले को टैकिल करने के लिये स्टेट गवर्नमेंट और हमारा रेलवे विभाग दोनों मिल कर काम करेंगे, तो इसमें ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। वैसे सारी ज़िम्मेदारी का भार स्टेट गवर्नमेंट्स पर होगा क्योंकि चोरी के मामले में जो आपका रेलवे बोर्ड है या रेलवे के जो मंत्री महोदय हैं उनका हाथ नहीं रहता बल्कि उस प्रान्त में जहां पर कि वे होती हैं, वहां की लोकल गवर्नमेंटों की हद होती है। इसके साथ साथ मैं उनका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा कि मिस्टर मलिक को डायरेक्टर आफ इंटैलिजेंस ब्यूरो होम डिपार्टमेंट ने मुक़र्रर किया था और उनके ज़िम्मे रेलवे विभाग में करप्शन और क्लेम्स के बारे में जांच पड़ताल करने का काम सौंपा गया था और उन्होंने उस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोट पर क्या कार्यवाही हुई और उस रिपोर्ट पर क्या सोचा गया, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन म यह ज़रूर कहूंगा उस पर उन्होंने जो भी कार्यवाही की हो वह सदन के सामने आनी चाहिये।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के बारे में जो रिपोर्ट हमारे उपमंत्री महोदय ने दी है, सारी रिपोर्ट को देखते हुये इस बात को वह तसलीम करते हैं कि खाद्य पदार्थों की जो स्थिति रेलवे में है वह अच्छी नहीं है। इसके लिये मैं अपने मंत्री महोदय और आपसे अर्ज़ करूंगा कि वे एक कांफ्रेंस बुलायें जिसमें कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर्स को शामिल करें और जितने भी आपके कंट्रेक्टर्स हैं उन में से कुछ को चुन कर जो कि खाद्य पदार्थों का काम करते हैं, उनको बुलायें और बुलाने के बाद में वे उन लोगों से विचार विमर्श के बाद देखें कि आख़िर उनको कौन कौन सी सुविधा हम दे सकते हैं ताकि खाद्य पदार्थों की स्थिति सुधर सके। अभी आप देखेंगे कि एक ही ज़ोन पर एक ही आदमी को, एक ही कंट्रैक्टर को १६४, १६५ और १७० जगह यदि काम दिया जाय तो वह उसको अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसके लिये आप डिवीज़न मुक़र्रर करें और डिवीज़न मुक़र्रर करके आप डिवीज़न के लोगों को जो कि वहां खाद्य पदार्थों के काम को कर सकते हैं उनको इसका ठेका दें और इसके लिये आप एक कमेटी बनायें और उसकी राय के मुताबिक़ यह सारा काम करें क्योंकि इस लाइन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वर्त्तमान में या जो पहले भी करते आये हैं उन लोगों से यदि सलाह ले करके और कुछ जो हमारे माननीय सदस्य हैं और जो इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं उनको साथ में लेकर यदि ग़ौर किया जायगा तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ आप खाद्य पदार्थों की स्थिति को सुधार सकेंगे। साथ ही साथ वर्तमान रेट में तीन आने का फायदा होता है। जब कि पहले सवा रुपये में सिर्फ छ पसा या दो आना होता था। इसकी जांच करें तो मालूम होगा।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान जो हमारे तीसरे और चौथे वर्ग के काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ़ दिलाना चाहता हूं। उस रोज़ मंत्री महोदय ने यह बताया था कि हम उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि हम उनको रहने के वास्ते अच्छे और साफ़ मकानात दे सकें। मैं आपके इस प्रयत्न को सराहनीय समझता हूं। इस सम्बन्ध में मैं खास कर बिलासपुर ज़िले में उनके जो मकानों की स्थिति है उसका थोड़ा हाल आपको बताना चाहता हूं। यदि आप उन मकानों को देखें जिनमें कि क्लास तीन और क्लास चार के रेलवे इम्पलायीज़ रहते हैं तो आपको ख़ुद देख कर ताज्जुब होगा कि इतने छोटे से मकान में गर्मी के दिनों में जिस वक्त कि एक आदमी काम करके आता है वह अपने बाल बच्चों के साथ किस तरह अपना गुज़र करता होगा। मैं जानता हूं कि आप इस दिशा में आवश्यक क़दम उठा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि उनके लिये मकान बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रक्खा जाय कि वे काफ़ी बड़े हों, हवादार हों और साफ़ हों ताकि वह उनमें अपने परिवारों के साथ अच्छी तरह रह सकें। यही हालत पानी की है कि पानी देने में विभिन्नता बरती जा रही है।

मैं आपसे यह कहूंगा कि आप अपने यहां तमाम लोगों के लिये एमैनिटीज़ दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस सिलसिले में अपने स्टाफ के वास्ते हिल स्टेशंस पर रेस्ट हाउसेज़ जो बनाना चाहते हैं, वह बहुत अच्छी चीज़ है और मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ज्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिये यह देखने की है कि आपका जो रनिंग स्टाफ़ है उसके आराम करने के वास्ते जब कि वह दिन भर काम कर लेता है, आप रनिंग रूम्स

या रेस्ट रूम्स हर एक स्थान पर क़ायम करने की तरफ़ ग़ौर करें और आवश्यक क़दम उठायें। यह देखना आपके लिये बहुत ज़रूरी है कि वह रनिंग स्टाफ़ जो दिन भर काम करके आता है उनके आराम करने के लिये अगर ठीक जगह न हो तो वह अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पायेगा, यदि उनको अच्छी तरह से ठहरने और आराम करने का स्थान नहीं मिलेगा तो इससे उनकी काम करने की जो क्षमता है और जिस तरीक़े से उनको काम करना चाहिये वह नहीं कर पायेंगे ।

एफिशियेंसी की हमारी रेलवेज़ में कमी है लेकिन उसका मुख्य कारण जो मैं समझ सकता हूं वह यह है कि आपके यहां के जो डिवीज़नल या डिस्ट्रिक्ट आफ़िसर थे जिनको कि आपने एपायन्टमेंट करने का उनको भर्ती करने का हक दिया था वह हक़ आपने एक पब्लिक सर्विस कमीशन को हर एक ज़ोन पर बना करके उसके हाथ में दे दिया लेकिन जो आदमी जिसके ज़रिये से जिस अफ़सर के ज़रिये से भर्ती होता था वह कम से कम यह तो डरता था कि यदि मैं ख़राब काम करूंगा तो मैं निकाल दिया जाऊंगा, तथा वह भरती करने वाले को जानता था क्योंकि वहां का रहने वाला होता था ।

आज जो तक़लीफ़ें आपके रीजनल या डिस्ट्रिक्ट आफ़िसर्स को हो रही हैं ज़रा उनसे खुले दिल से बात करिये तो आपको मालूम होगा कि यह चीज़ें जो मैं कह रहा हूं वह ठीक हैं या नहीं। बात असल यह है कि डिसप्लिन की वजह से वह खुल कर आपसे बात नहीं कर सकते। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन बातों पर आप गौर करें कि जो बड़ी बड़ी जगहें हैं उनको तो आप बेशक़ पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा भरिये, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा लेकिन जो मीनियल स्टाफ़ है, क्लास तीन और क्लास चार के इम्प्लायीज़ उनकी भर्ती पब्लिक सर्विस कमिशन से न हो। और रेलवे कर्मचारी के बच्चों को पहले जगह दी जायें, पीछे दूसरे प्रान्त या दूसरों को दी जावें।

इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि आज हमारे प्रान्त (मध्य प्रदेश) में लाइनों की कमी है और खास कर रायपुर से धमतरी एण्ड बस्तर तक रेलवे लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। इस लाइन के बनाने पर आप खास तौर से ग़ौर करें। दूसरे चम्पा से कोर्बा तक जो लाइन है वह बढ़ायी जाय ताकि कोयले की खानें खुल सकें। उसको बढ़ाने की आप कोशिश करें और इसके साथ ही साथ जो लाइन सर्वे है आपकी बिलासपुर से मांडला की लाइन है, इसको आप ज़रूरी लें बिलासपुर से मांडला वाया पंढरिया तक आप ले जायें। मेरी प्रार्थना है कि आप इन लाइनों को बनाने और बढ़ाने पर गौर करें। आगे एक लोकल ट्रेन गोहिया से रायगढ़ तक चलावें यदि एक एक्सप्रेस ट्रेन नागपुर से कलकत्ता तक नहीं चला सकते। मैं ने इस सम्बन्ध में आपसे प्रार्थना की थी और मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना जो तैयार हो रही है और आने वाली है उसमें आप इन पर गौर करके उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

इसके अलावा मैडिकल फैसिलिटीज के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे के जो क्लास तीन और क्लास चार के काम करने वाले हैं उनको पूरी मैडिकल फैसिलि-टीज़ जो मिलनी चाहियें, वह नहीं मिल रही हैं और मैं सुझाव दूंगा कि जहां पर वह रहते हैं वहीं पर यदि छोटे क़िस्म के अस्पताल बना दिये जायें तो वह वहां जाकर अपनी दवा दारू करा सकेंगे। खड़गपुर (ईस्टर्न

[सरदार ए० एस० सहगल]

रेलवे) में जहां पर उनकी बस्ती है वहां पर उनके लिये एक अलग अस्पताल है। उनके बच्चों के पढ़ने के लिये भी अलग इन्तजाम है और खेलने कूदने की व्यवस्था है, तो वह अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि अन्य जगहों पर भी इसी तरह का प्रबन्ध किया जाय। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें। बिलासपुर की बाबत मैं आपको बताऊं कि वहां पर हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल का होना जरूरी है जिस में रेलवे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ें। इसके लिये आप कह सकते हैं कि हाई स्कूल खोलने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार की है लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि आपको मध्य प्रदेश की सरकार से यह बात कहना चाहिये कि यह जो रेलवे के लोग हैं और जो पैसा देने के लिये तैयार हैं उनके बच्चों के पढ़ाने के लिये सारी व्यवस्थायें मध्य प्रदेश की सरकार को करनी चाहियें, आप ऐसा उनसे सजेस्ट कर सकते हैं।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर अपने सुझावों को पेश करता हूं और मंत्री महोदय जो रेलवे बजट लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं भी रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं। उनमें कार्यदक्षता और मानवता दोनों का सामंजस्य है, जो हमारी सरकार के किसी भी मंत्री के लिये बड़ी बात है। परन्तु रेल-यात्रा करते समय मुझे भारतीय इतिहास के चारों युगों—प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश और स्वाधीनता युग—के दर्शन होते हैं। अन्य यगों के चिन्ह तो प्रायः मिलते हैं, पर स्वाधीनता के चिन्ह कम ही दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि पुनर्वर्गीकरण और कर्मचारियों के ही बारे में नहीं, बल्कि रेलवे से सम्बन्धित अन्य सभी बातों में स्वाधीनता का प्रभाव दिखलायी पड़ना चाहिये।

वर्द्धमान दर प्रणाली की व्याख्या यद्यपि बहुत से व्यक्तियों ने की है, पर यह मेरी समझ में नहीं आई। माननीय मंत्री ने भी कल बताया था। परन्तु सीधी दरों के स्थान पर इन दरों को पसन्द करना मेरी समझ में नहीं आया। भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य हमें देहात में जनता को समझाना चाहिये। परन्तु मैं जनता को यह समझा नहीं सकता कि इन दरों से जनसाधारण को क्या लाभ होगा। समाजवादी ढांचा ठीक है, परन्तु वह नीचे से शुरू होना चाहिये। इन दरों से जनसाधारण को क्षति पहुंचेगी और हम उसे यह न समझा सकेंगे कि रेलवे उसके हित के लिये सब कुछ कर रही है। अतः माननीय मंत्री को ये दरें वापस ले लेनी चाहिये, या कम से कम थोड़ी दूरी के लोगों को इनसे प्रभावित होने से बचाना चाहिये।

हमारी रेलें विकास की दृष्टि से नया रूप धारण कर रही हैं। पर अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे देश को इंजन-डिब्बों आदि की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कई सामाजिक कारणों से यात्रियों की संख्या बढ़ने की सम्भावना है। अतः विकास कार्यक्रमों को हमें समय की मांग के अनुकूल बनाना चाहिये।

एक बात से मुझे प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री के शब्दों में अब पुनर्वर्गीकरण की समस्या सदा के लिये समाप्त हो गई है। इतने प्रकार के विरोधों के होते हुये भी सरकार इससे प्रभावित नहीं हुई, इससे मुझे विशेष खुशी है। रेलवे पुनर्वर्गीकरण के ही कारण मुगलसराय आदि में भीड़-भाड़ कम की जा सकी है।

रेलवे मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिये जो क्वार्टर बनाये हैं, उनमें असंख्य वर्ग और उपवर्ग रखे हैं। एक ओर हम वर्गहीन समाज को अपना लक्ष्य बनाते हैं और दूसरी ओर यह हो रहा है।

हममें से कई सदस्य पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। मैं भी हूं। माननीय मंत्री ने जिन नई लाइनों की बात बताई है, उस चाल से यदि हम चलें, तो हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में २०–२५ वर्षों में भी रेलवे लाइनें न बन सकेंगी। मेरा अनुरोध है कि पंजाब के होशियारपुर और कांगड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्रों और संथाल परगना आदि के लिये भी कुछ किया जाना चाहिये। जिनको कुछ मिलने की आशा नहीं है, उनको कुछ देना सब से अच्छा है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इन पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दें।

श्री अच्युतन (केगनूर) : मुझे माननीय रेलवे मंत्री को बधाई देते हुये बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वह यद्यपि कद में सब से छोटे हैं, पर उनके विभाग में १० लाख लोग काम करते हैं और उनका विनियोजन १,००० करोड़ रुपये है। उनके सहायक मेजर जनरल श्री शाहनवाज़ भी बहुत भले अदमी हैं।

जब मंत्रालय स्वयं कहता है कि वह किरायों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करना चाहता है, तो इस समय किरायों को बढ़ाने-कम करने की मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं दिखाई देती। १५० मील तक के किराये में वृद्धि से लोगों को तीसरे दरजे में अधिक किराया देना पड़ेगा।

रेलवे लाइनों के विषय में पूरा ही दक्षिण भारत पहाड़ों आदि के कारण विशेष विकसित नहीं है। मंत्रालय दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने जा रहा है, जो बड़ी अच्छी बात है। तिन्नेवेली-त्रिवेन्द्रम-कुमारी अन्तरीप लाइन के बारे में लोगों को बड़ा भारी सन्देह है कि यह त्रिवेन्द्रम से है या तिन्नेवेली से। ऐसे मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। यह ज़रूरी है। यह बड़ा घना बसा क्षेत्र है। पूरी ही लाइन का सर्वेक्षण होना चाहिये।

यदि त्रिचूर और कोलेनगोडे के बीच एक लाइन बना दी जाये, तो चावल, दाल, प्याज, गुड़ आदि चीज़ों के पूर्व से पश्चिम जाने में और नारियल-तेल, मछली आदि के पूर्व को ले जाये जाने में विशेष सुविधा हो जायेगी। वर्षों पहले इस लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है। यही बात तेलीचेरी-मैसूर क्षेत्र के बारे में भी है। इन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अनाज और दालों के यातायात में रियायत देना ठीक है, पर ये दरें फलों पर भी लागू होनी चाहिये। केले और कटहल उत्तर भारत में आने चाहिये और सेब-सन्तरे दक्षिण में। इनके किसानों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

जिस प्रकार संसद् सदस्यों को यात्रा-किराये की सुविधा दी गयी है, उसी प्रकार की सुविधायें राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को भी दी जानी चाहिये, जिससे वे भी देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकें।

दशहरा और दिवाली पर कुछ रियायतें दी गयी हैं। इसी प्रकार की सुविधायें ओनम, क्रिसमस और पोंगल आदि त्यौहारों पर भी मिलनी चाहिये। ओनम त्यौहार एक हफ्ते तक मनाया जाता है और इसे मनाने वाले उत्तर भारत में भी रहते हैं, जो इस अवसर पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं। कर्मचारियों को मिलने वाली पी० टी० ओ० रियायत भी बन्द कर दी गयी है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

[श्री अच्युतन]

रेल गाड़ियों और रेलवे प्रतीक्षालयों के शौचालयों में जो कमोड की व्यवस्था है, उसको हटा देना चाहिये, क्योंकि भारतवासी उसके अभ्यस्त नहीं हैं, और उसके स्थान पर भारतीय ढंग की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिये। शौचालयों में बहुधा पानी की कमी रहती है। सरकार को चाहिये, कि वह यात्रियों की इन प्राथमिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे।

अब मैं रेलों में भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह बड़ा अच्छा है कि इस सम्बन्ध में सुधार हुआ है और दक्षिण रेलवे में विभागीय भोजन की व्यवस्था हो गई है। मैं निवेदन करता हूं कि यह व्यवस्था सम्पूर्ण देश में कर दी जाये, ताकि लोग सस्ता और अच्छा भोजन पा सकें।

श्री देवेश्वर शर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : वर्द्धमान आधार पर रेल के किराये की दरों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इससे अधिकांशतः साधारण व्यक्ति को ही नुक़सान पहुंचेगा। रेलों के सम्बन्ध में भारत के उत्तर पूर्वी भाग की बड़ी उपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूं। गत वर्ष जून और जुलाई के महीनों में आसाम में बाढ़ आई। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये बम्बई से कपड़ा रवाना किया गया किन्तु वह आसाम में छः महीने बाद पहुंच सका।

उत्तर पूर्व रेलवे की सम्पर्क लाइनों पर तेजी से जो काम हो रहा है, उसके लिये हम कृतज्ञ हैं। किन्तु, वर्षा-ऋतु में किशनगंज और अमीन गांव के बीच का भाग तीन चार महीनों के लिये बन्द हो जाता है। मुझे आशा है कि एक वैकल्पिक पथ की व्यवस्था की जायेगी और माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस लाइन के बारे में चर्चा करेंगे।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में आसाम अधिक धन खर्च नहीं कर सका। उसके लिये जितनी धनराशि बांटी गई थी, उसका ३३ प्रतिशत ही वह खर्च कर सका। आसाम पर इस बात का आरोप लगाया गया है कि वह धन खर्च करने में असमर्थ रहा। किन्तु हम देखते हैं कि आसाम में साल में छः महीने के लिये रेलवे संचरण बन्द हो जाता है। स्टीमर समवाय विदेशियों के हाथ में है और उनमें ९८ प्रतिशत पाकिस्तानी लोग लगे हुये हैं, जो कि बड़ी उपेक्षा पूर्वक काम करते हैं। यातायात की इन असुविधाओं के कारण ही आसाम में बाहर के पूंजीपति कारखाने खोलने का साहस नहीं करते और वहां कोई भी विकास कार्य नहीं चल पाता। आसाम भारत का सीमान्त प्रदेश है। किन्तु यातायात की सुविधाओं और विकास की दृष्टि से तथा भारत की रक्षा करने के लिये, यह राज्य सब से कमजोर है। यदि ऐसी ही हालत रही, तो फिर वहां के लोग कैसे काम कर सकते हैं।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

ब्रह्मपुत्र के पुल की लागत समय पर पूरी हो जायगी। वर्तमान नौका व्यवस्था समाप्त कर दी जाये, और यदि आवश्यक हो तो प्रति टन अथवा मन पर एक छोटा सा मार्ग शुल्क लगा दिया जाये। उससे पुल की लागत अपने आप पूरी हो जायेगी।

पूर्व के सत्र में माननीय रेलवे मंत्री ने संतोषदायक आश्वासन दिये थे। किन्तु बाद को हम उससे भी वंचित कर दिये गये। मैं यह नहीं कहता कि संतोषदायक आश्वासन ही पर्याप्त हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जोगिग होपा और पांडु के बीच एक रेलवे पुल के सम्बन्ध में जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, उससे ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल बनाने के सम्बन्ध

में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये । जैसे ही रेलवे इंजीनियर अथवा विशेषज्ञ एक उपयुक्त स्थान का निश्चय करते हैं, वहां पुल का निर्माण शुरू कर देना चाहिये । उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिये ।

गारो पहाड़ियों में उपलब्ध संसाधन, जैसे कोयला, चूना इत्यादि का अनुसन्धान किया जा सकता है । यहां से अबरक भी प्राप्त हो सकता है । मेरा विचार है कि इस स्थान का यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण भी हुआ है । मुझे आशा है कि सरकार बिना विलम्ब किये हुये गारो पहाड़ियों को किसी पत्तन अथवा रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन बनवाने के प्रस्ताव पर बिचार करेगी और पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस काम को प्रारम्भ कर कर देगी ।

इस सीमान्त राज्य में, जो कि भूचालों और ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ों का शिकार रहता है, एक सुरक्षित रेलवे लाइन बनाने की परम आवश्यकता है । जैसा मैं ने पहले कहा, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये बम्बई से रवाना होने वाले कपड़ों को आसाम पहुंचने में ८ महीने लगे, और बहुत से कपड़े तो सिलीगुरी में ही बर्बाद हो गये । यातायात की असुविधाओं की वजह से ही कृषकों को उचित समय में उर्वरक इत्यादि नहीं मिलते और उसके परिणामस्वरुप सरकार को लाखों का नुक़सान होता है ।

मुझे आशा है, कि सरकार इस उपेक्षित सीमान्त प्रदेश की ओर ध्यान देगी ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड) : वर्द्धमान दरों और भाड़ों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा चुका है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता । मूलतः इसमें कोई गलती नहीं है, किन्तु यह काम इस प्रकार होना चाहिये जिससे गरीब वर्गों पर उसका प्रभाव न पड़े । कर जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि भाड़ों के सम्बन्ध में जांच होनी आवश्यक है, ताकि वर्तमान भाड़े की व्यवस्था का पूर्ण रूपेण पुनर्गठन हो सके । मुझे आश्चर्य है कि भाड़े की व्यवस्था और किरायों में परिवर्तन करने से पूर्व माननीय मंत्री ने इस आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा क्यों नहीं की ।

अब मैं एक सामान्य बात कहता हूं । यह बात सड़क यातायात और रेल यातायात के बीच चलने वाली प्रतियोगिता के बारे में है । माननीय मंत्री ने बजट सम्बन्धी अपने भाषण में इसका निर्देश नहीं किया है । हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि सड़क और रेल के बीच प्रतियोगिता न हो । मैं अपने यहां यह देखता हूं कि जब कभी रेलवे की समय सारणी में कुछ परिवर्तन होने को होता है, तो बसों के मालिक मद्रास रेलवे कार्यालय में पहुंच जाते हैं, और रेलों के समय इस तरह निश्चित होते हैं, जिससे बस के मालिकों को प्रतियोगिता करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है । मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस मामले की जांच करे और इस व्यर्थ की प्रतियोगिता में शक्ति नष्ट न होने दे ।

अपने जिले, कालीकट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां का स्टेशन बहुत पुराना मालूम पड़ता है । माननीय मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें और वहां के स्टेशन को एक नया स्वरूप प्रदान करें ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में नये प्रकार के विश्राम गृहों का संकेत किया था । मालावार जिले में किसी स्टेशन पर विश्राम गृह नहीं है । मैं चाहता हूं कि शोहरनपुर और कालीकट में विश्राम गृह बनवाये जायें ।

[श्री दामोदर मेनन]

कुर्ग से तेल्लिचेरी तक की नई रेलवे लाइन के बारे में मुझे आशा है कि यह काम शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान में कुछ रेलवे लाइनें डालने के बारे में उल्लेख किया है मैं उसके लिये रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक दो पिछड़े हुये इलाक़ों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह यहां की ग़रीब जनता की आवाज़ को सुनेंगे और उनकी मांग को पूरा करेंगे । बीकानेर और श्री कोलायत के बीच तो रेलवे लाइन है लेकिन श्री कोलायत से जैसलमेर जो कि तकरीबन दो सौ मील का टुकड़ा है कोई रेलवे लाइन नहीं है । यहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिये भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे ने एक योजना बनाई थी और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया था लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी । अब मैं रेलवे मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि श्री कोलायत से फलोदी और पोकरन होते हुये जैसलमेर रेलवे लाइन बिछा दी जाये जिससे कि यहां की जनता को लाभ हो । इसी सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि आगामी वर्ष में राजस्थान कनाल (हरिके पत्तन) का काम शुरू होना निश्चित हुआ है और ऐसी हालत में वहां पर इस रेलवे लाइन की बड़ी ही आवश्यकता है । मैं आशा करता हूं कि रेल मन्त्री जी इस ओर जरूर ध्यान देंगे और लोगों की इस मांग को पूरा करेंगे ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुमलकोटे तक एक बड़ी लाइन है वहां से श्री गंगानगर तक केवल १९ मील का फासला है । यदि इस टुकड़े को रेलवे लाइन से कनैक्ट कर दिया जाय तो वहां के व्यापारियों और जनता का बड़ा भला होगा । जब रेलवे मंत्री वहां पर कुछ समय पहले ग्रामोत्थान विद्या पीठ, संगानिया पधारे तो उन्होंने जनता को यह आश्वासन दिया था कि यह टुकड़ा रेलवे लाइन द्वारा मिला दिया जायगा । अभी तक इस की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं रेलवे मंत्री से दरख्वास्त करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी इस टुकड़े को रेल द्वारा मिलाने के लिये कदम उठायें । इससे बहुत देर से चल रही लोगों की यह मांग पूरी हो जायगी और वे आप के आभारी होंगे ।

मुझे वक्त बहुत कम मिला है और जितनी बातें मैं कहना चाहता था उनमें से कुछ भी नहीं कह पाया हूं । अन्त में आप से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि श्री कोलायत से जैसलमेर तक और हिन्दुमलकोट से श्री गंगानगर तक रेलवे लाइनें बिछा दें ताकि लोगों का भला हो और आर्थिक दृष्टि से सुधार हो सके । श्री गंगानगर ज़िले में बड़ी बड़ी मंडियां हैं । आशा है कि रेलवे मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : रेलवे मंत्री ने टैलिस्कोपिक रेट्स का सिलसिला तो जारी कर दिया अब टाइम भी टैलिस्कोपिक हो रहा है । इस टैलिस्कोपिक टाइम के इलावा मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं । बजट की जो अच्छाइयां हैं या जो उसमें कमियां हैं उनके बारे में तो इस थोड़े से समय मैं कुछ कहना नामुमकिन है और न ही मैं इन बातों को कहने की ज़रूरत ही महसूस करता हूं । इस वक्त मैं एक दो बातें हैदराबाद स्टेट के बारे में और खासकर औरंगाबाद के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । हैदराबाद

के बारे में तो हैदराबाद के सदस्यों की ओर से एक ज्वायंट मैमोरेंडम रेलवे मंत्री जी को दे दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि वे उस पर ग़ौर करेंगे और हमारी शिक़ायतों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे । अब मैं औरंगाबाद की तरफ़ आता हूं । औरंगाबाद हिन्दुस्तान की उन जगहों में से है जहां से रेलवे को और हिन्दुस्तान के दूसरे महकमों के रेवेन्यु में शायद सब से ज्यादा इनकम होती है । बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं इनमें से शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जो कि औरंगाबाद, अलोरा और अजन्ता देखने न जाता हो । अगर आप औरंगाबाद स्टेशन की हालत देखें तो आप को मालूम होगा कि यह बहुत ही ख़राब हालत में है, न वहां पर ठहरने के लिये कोई जगह है, न पानी का कोई इन्तज़ाम है और लैट्रिन्ज़ के बारे में जितना कहा जाये उतना थोड़ा है । मैं ने कई चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन इस पर रेलवे ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया । औरगाबाद एक बड़ा भारी टूरिस्ट सैंटर है और वहां से सरकार को बाक़ी सब टूरिस्ट सैंटर्ज़ के मुकाबले में ज्यादा आमदनी होती है । इस लिये आपको औरंगाबाद की तरफ़ सब से पहले ध्यान देना चाहिये । सब मानते हैं कि औरंगाबाद दुनिया के सुन्दर स्टेशनों में से एक है लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन की हालत देखें तो आप यह नहीं कह सकते कि यह एक सुन्दर स्टेशन है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी हालत सुधारने की तरफ़ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाये ।

आपने जो स्कीमें रखी हैं उनमें से एक बम्बई और औरंगाबाद के दरम्यान डीज़ल रेल कार चलाने की है । आप ने औरंगाबाद से अजन्ता और औरंगाबाद से अलोरा की सड़क को ठीक करने के लिये भी कुछ रक़म मंजूर की है लेकिन वह इतनी कम है इससे यह सड़कें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकेंगी । जो भी टूरिस्ट अजन्ता जाते हैं वे धूल और खाक़ से इतने भर जाते हैं कि वे अजन्ता की ख़ूबसूरत मूर्तियों और पेंटिंग्ज़ को पूरी तरह से एप्रीशिएट नहीं कर सकते । इस वास्ते इन सड़कों को पक्का करने के लिये काफी रक़म मंजूर की जानी चाहिये ।

क्योंकि मुझे सिर्फ तीन मिनट का टाइम दिया गया है इस वास्ते मैं और ज्यादा न कहते हुये यही कहूंगा कि यह जो दो तीन बातें मैं ने कही हैं रेलवे मंत्री इन की तरफ़ ध्यान दें और इन को जल्दी से जल्दी ठीक करायें ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं रेलवे मंत्री को उनके योग्य प्रशासन के लिये बधाई देता हूं । रेलवे प्रशासन में सुधार का इसी से पता लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् रेलवे की दशा बहुत खराब थी और बैठने के लिये स्थान नहीं मिलता था, पर अब दशा उससे अच्छी है ।

हम समाजवादी आदर्श की ओर प्रगति कर रहे हैं और वह समय आयेगा जब कि रेलवे कर्मचारी इस उद्योग के स्वामी होंगे । अतः उन्हें भ्रष्टाचार को पास नहीं फटकने देना चाहिये ।

कई सदस्यों की राय है कि रेलवे में श्रेणियां नहीं होनी चाहिये । १९५३–५४ में रेलवे मंत्री ने भी यही कहा था परन्तु अभी तक इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई है ।

मैं चाहता हूं कि कम से कम सौ मील तक किराये नहीं बढ़ाने चाहिये, क्योंकि प्रायः जनसाधारण अपने जिले में ही थोड़े फासले की यात्रा करते हैं । उन पर भार डालना वर्गहीन समाज के आदर्श के अनुरूप नहीं है । अतः सौ मील से तीन सौ मील तक ही किराये बढ़ने चाहिये ।

[श्री बोगावत]

मैं रेलवे मंत्री का ध्यान एक स्थान पर रेल सम्पर्क के अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। खण्डवा-हिंगोली लाइन का प्रश्न विचाराधीन है। यह मीटर गेज (छोटी लाइन) पारली बैजनाथ तक जाती है। उत्तर तथा दक्षिण मीटर गेज लाइनों को मिलाने के लिये यह आवश्यक है कि पारली बैजनाथ को दीर, शिवगाम, अहमद-नगर, गौड नाडी, अलांदी की मार्फत पूना से मिला दिया जाये। ये सभी क्षेत्र दुर्भिक्ष ग्रस्त हैं, यद्यपि वहां की भूमि उपजाऊ है। वहां चीनी उद्योग का विकास हो रहा है। गौड नाडी नदी परियोजना भी बन रही है। अतः यह लाइन अत्यावश्यक है। अहमदनगर में एक बड़ा सैनिक प्रशिक्षण स्कूल है और रक्षा विभाग ने भी इस लाइन की सिफारिश की है।

मैं ने रेलवे मंत्री को इस विषय में एक अभ्यावेदन भी भेजा है और उन्होंने उत्तर दिया है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आशा है वे इस पर ध्यान देंगे।

श्री वाघमारे (परभणी) : समय कम होने से मैं बहुत संक्षेप में अपनी चन्द एक बातें हाउस के सामने रक्खूंगा आशा करता हूं कि उन पर हमारे रेलवे के मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

अगर हमारे मंत्री महोदय हैदराबाद का रेलों का नक़शा देखेंगे तो वह पायेंगे कि दूसरे स्थानों के मुकाबले में वह पिछड़ा हुआ है और मैं चाहूंगा कि वह इस पिछड़े हुये प्रान्त की रेल व्यवस्था को दूसरे प्रान्तों की रेल व्यवस्थाओं के समान लाने की ओर ध्यान दें और आवश्यक क़दम उठायें। हमारी हैदराबाद रेलवे में खास कर तीसरे दर्जे में बहुत खामियां हैं और उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। तीसरे दर्जे के जो डिब्बे होते है, कैरिजेज होती हैं वह निहायत ही गंदी होती है और उनमें सफ़ाई और पानी रखने का तो कोई खयाल ही नहीं रक्खा जाता। इसके अतिरिक्त हमारे स्वामी जी ने खासकर आदिलाबाद रेलवे लाइन की हालत जो आपको बताई है उसका तो हाल ही न पूछिये, उस पर न स्टेशन की इमारतें और न कोई वेटिंग रूम है। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के ठहरने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है, पीने के पानी का भी इन्तजाम नहीं है इस गाड़ी में पूरना से जो पानी भरा जाता है वह आदिलाबाद पहुंचने के पहले ही चुक जाता है। आदिलाबाद से वापसी में पीने के पानी की कौन कहे। लैट्रिन्स में भी पूरा तक पानी नहीं मिलता। इस लाइन पर मुदखेड़ जो जंकशन है वहां पर लोगों के ठहरने की कोई सुविधा नहीं है। इसी तरह से मनमाड़ स्टेशन पर जो मीटरगेज का प्लेटफार्म है उस पर अभी तक फ़र्श ही नहीं है। वेटिंग रूम की बात तो दूर, उस प्लेटफार्म पर पूरी छत नहीं है। हमारे मंत्री जी ने कहा कि मनमाड का प्लेटफार्म दुरुस्त किया गया है, मैं नहीं जानता कौनसा वह प्लेटफार्म है जिसे दुरुस्त किया गया है। वहां का तो यह प्लेटफार्म बिल्कुल डस्टी है और छत भी ज्यादा वसीह नहीं है।

इसके अलावा ऐक्सीडेंट्स जो रेलवे में होते हैं, उन पर अगर हम ज़रा गहराई में जाकर देखें तो पायेंगे कि हमारी रेलवे के जो मीनियल सर्वेंट्स हैं, क्लास तीन और क्लास चार के कर्मचारी हैं, उनकी पे और उनकी लिविंग कंडीशंस की तरफ़ सरकार को ज्यादा हमदर्दी के साथ विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वह अपनी जिन्दगी अच्छी तरह बिता सकें, आज उनकी हालत बहुत नाज़ुक है और आप उनके काम की जिम्मेदारी समझ कर जो उनकी भावना

है उसको पहचान कर उनकी तनख्वाहें पे कमिशन ने जो रेकमेंड की हैं वह उनको दें, हमारे रेलवे के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने भी अपनी रिपोर्ट के पैरा १५५ में उनकी तनख्वाह के बाबत लिखा है कि उनकी मांगें पूरी की जायें। अगर हम चाहते हैं कि वह अपना काम मुस्तैदी और जांफ़िशानी से करें, तो हमें उनकी मांगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। अगर ऐसा सरकार करे तो मैं यह कहता हूं कि रेलवे पर आजकल जो हादसे होते हैं, वह कम हो जायेंगे और खत्म हो जायेंगे। जो लोग लोको शेड या दूसरे रेलवे वर्कशाप्स में काम करते हैं उनके मुक़ाबले में इनका काम जो लोग (ट्रेन एग्ज़ामिनर) लाइन पर काम करते हैं कम महत्व, हुनर या जिम्मेदारी का नहीं है लेकिन इन बेचारों की पे लोको शेड और वर्कशाप्स में काम करने वाले लोगों की बनिस्बत कम है इस वास्ते भी उनका अपने काम में मन नहीं लगता।

इस लाइन में चूंकि उन्हें कम तनख्वाह मिलती है इसलिये मिकैनाइज्ड डिपार्टमेंट में जाने के लिये या लोको शेड में जाने का उनका खास रुझान होता है और वह अपने काम में दिलचस्पी कम लेते हैं इस वजह से भी रेलवे पर ऐक्सीडेंट्स होते हैं। मैं रेलवे मत्री महोदय से विनती करूंगा कि उनके जो ग्रीवान्सेज और मांगें हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय और उनको पूरा किया जाय। वह कोई आपसे खैरात नहीं मांगते। पिछली अनेक कमेटियों की रिपोर्टों में भी यहां कहा गया ह कि उनकी जो मांगें हैं वह जायज हैं, दुरुस्त हैं और वह पूरी होनी चाहियें। उस लिहाज से मेरी भी एक विनती है। यह एक्स्पर्ट्स की राय है, और मेरी अपनी भी राय है। मैं ने एक्स्पर्ट्स की रिपोर्ट्स को देखा है। हैदराबाद के सदस्यों की ओर से एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो मेमोरेण्डम पेश किया गया है उस पर गौर किया जाय और जो हैदराबाद स्टेट का पिछड़ा हुआ इलाक़ा है, जो आप की नज़रों से ओझल है, उस को बाक़ी हिस्सों के बराबर लाया जाय।

हैदराबाद के दो ज़िले रेलवे से कनेक्टेड नहीं हैं। मेरा मतलब उस्मानाबाद और बीड़ से है। इन को रेल से जोड़ा जाय और मोमिनाबाद तक जो ताल्लुक़े का मरक़ज है, बढ़ाया जाय।

शोलापुर से तुलजापुर होते हुये उसमानाबाद, बीड़ और जालना तक एक नई लाइन डाली जाय। आदिलाबाद से आने वाली लाइन पर बहुत से पहाड़ हैं जहां से काफ़ी लकड़ी आती है लेकिन वहां पर माल लाने ले जाने की बड़ी कम सुविधा है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस लाइन पर दो गाड़ियां चलाई जायें और उस पर पानी वगैरह का इन्तजाम किया जाय।

इसी तरह से खंडवा हिंगोली लाइन को सन् १९५९ में कम्पलीट करने के लिये कहा गया है। इस को जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाय।

इसी तरह से लातूर रोड से लाहूर मिलाया जाय और तालूर से कुलवाड़ी तक जो नैरो गेज लाइन है उस की जगह ब्राड-गेज लाइन कर देनी चाहिये।

श्री एल० बी० शास्त्री : उपमंत्री ने अपन भाषण में अनेक बातों का उल्लेख कर दिया है। मैं उनका पुनः निर्देशन नहीं करूंगा। पिछले दो दिन की चर्चा के दौरान में माननीय सदस्यों ने जिन सामान्य समस्याओं का उल्लेख किया है, उन्हीं के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

मुझे इस बात का खेद है कि वर्तमान वर्ष में रेलों के उत्तम प्रदर्शन के सम्बन्ध में

[श्री एल० बी० शास्त्री]

दो दिन पूर्व मैं ने तथा उपमंत्री ने जिन तथ्यों तथा आंकड़ों का उल्लेख किया, उन पर श्री अशोक मेहता तथा श्री एच० एन० मुकर्जी ने सावधानी पूर्वक विचार नहीं किया । मैं इन तथ्यों तथा आंकड़ों का पुनः उल्लेख नहीं करूंगा । किन्तु इतना मैं बताना चाहता हूं कि गत ९ महीनों के अन्दर संचालन के विषय में रेलों में एक स्पष्ट सुधार हुआ है । मैं ने मामलों को बढ़ा कर कहने की कभी कोशिश नहीं की है । यह बात मैं ठोस तथ्यों के आधार पर ही कहता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह सारा सुधार पिछले कुछ महीनों में ही विशेष रूप से हुआ है । किन्तु अब मैं महसूस करता हूं कि यह सुधार कायम रहेगा, क्योंकि उन्नति का कायम न रखना रेलों को बड़ा घातक सिद्ध होगा । हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रेल के डिब्बे और इंजन बाहर से मंगाये जायेंगे और देश में भी बनाये जायेंगे । किन्तु, समय अवश्य अधिक लग सकता है । इसी प्रकार, लाइनों का काम भी बहुत बड़ा है और उसमें भी काफी समय लगेगा । आवश्यक पुर्जों तथा अन्य सामग्री मुख्यतः इस्पात के पाने की समस्या भी महत्वपूर्ण है । बहुत सी परेशानियां हैं किन्तु उन पर विजय प्राप्त करने का हमारा निश्चय होना चाहिये । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं । डा० कृष्णास्वामी को शायद यह शंका है कि हम आगे की नहीं सोच रहे हैं और पुरानी परिपाटी पर ही चल रहे हैं । हमें ऐसा भ्रम नहीं बनाना चाहिये । बजट में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों का उपबन्ध कर दिया गया है, ताकि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से हम निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकें । बजट साल में १३०० मील लम्बी नई लाइनों और ९०० मील लम्बी दोहरी लाइनों के बनाने के लिये सर्वेक्षण करने के लिये प्रस्ताव किये गये हैं । मेरा विचार है कि नई लाइनों के लिये सर्वेक्षण का काम १३०० मील से १५०० मील तक बढ़ा दिया जायेगा । यह एक बहुत बड़ा काम है । उचित प्राविधिक कर्मचारियों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है । इस काम की पूर्ति के लिये हमें बूढ़े और जवान सभी बुद्धिमान लोगों को लगाना पड़ेगा । यदि आवश्यक हुआ तो अपेक्षित कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिये कुछ वर्तमान नियम शिथिल करने होंगे । इसी प्रकार, रेलवे मंत्रालय को भी कच्चे माल, रेल के डिब्बे तथा कर्मचारियों इत्यादि का प्रबन्ध करने के लिये एक योजना बनानी पड़ेगी । इन सारी चीजों का प्रबन्ध अपेक्षित समय के अन्दर ही करना होगा, ताकि समय में देरी होने से हमारे कार्यक्रम में कोई बाधा न पहुंचे ।

रेलवे बोर्ड कार्यालय में एक योजना विभाग बनाने तथा इसको अधिक दृढ़ करने के सम्बन्ध में मैं अपने भाषण में पहले ही बता चुका हूं । कुछ दिन पूर्व हमने प्रत्येक रेलवे में एक योजना उपमहाप्रबन्धक का पद भी निश्चित कर दिया है ताकि केवल उचित योजना और समन्वय ही न हो, अपितु अनुसूची के अनुसार प्रत्येक रेलवे में निर्माण कार्यक्रम की कार्यान्विति भी हो सके । इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रेलों और रेलवे बोर्ड को अपने सारे साधनों को जुटाना पड़ेगा । मुझे ऐसी शंका है, और मैं आशा करता हूं कि वह गलत है. कि कुछ ऐसी प्रवृत्तिं चल रही है कि यदि अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से आशायें पूरी नहीं होतीं, तो रेलों पर ही सारा दोष लगाया जाये । आज की परिस्थितियों में रेलवे का काम बहुत कठिन है । युद्ध के दौरान में तथा विभाजन के बाद रेलवेज को जिन बड़ी

बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ऐसी समस्यायें उद्योगपतियों तथा अन्यों के सामने नहीं आई । मुझे कभी कभी यह सोचकर दुःख होता है कि इन कठिनाइयों का पूरी तरह से अनुभव नहीं किया जाता और उन सहस्रों रेलवेमैन के बारे में, जोकि रेलवे के इतिहास के इस कठिनतम काल में इस बड़े काम में, जो कि केवल रेलों की पुनर्व्यवस्था से ही सम्बन्धित नहीं है, अपितु देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उनके विकास करने से भी सम्बन्धित है, एक भी प्रशंसा का शब्द नहीं कहा जाता । कुछ कमियां अथवा कुछ गलतियां भी हो सकती हैं । किन्तु गलतियां उन्हीं से होती हैं, जो कि काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं । मुझे आशा है कि रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन योग्य सिद्ध होगा और जहां कहीं शंकायें अथवा सन्देह हैं, उन्हें दूर करने में सफल होगा । यदि कभी ऐसा नहीं हो पाता है, तो मैं उसकी चिन्ता नहीं करता । किन्तु मैं यह चाहता हूं कि उनका उद्देश्य ऊंचा हो और वे पूरी कोशिश करें ।

यह ठीक है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं ने स्पष्टरूप से नहीं बताया है । किन्तु ऐसा करना अभी समय से पूर्व होगा, क्योंकि हमारी योजनायें अभी पूरी नहीं है और उनका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । हमें विभिन्न राज्यों, अनेक सम्बद्ध मंत्रालयों तथा योजना आयोग से इस सम्बन्ध में परामर्श लेना है, और हम ऐसा कर रहे हैं । योजना की तीन महत्वपूर्ण बातें ये होंगी: लाइनों का दोहरा करना तथा अन्य निर्माण कार्य करना जिससे लाइनों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि हो, रेल के डिब्बे, इंजनों तथा अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होना, और कार्य में सुधार तथा वर्तमान संधारण कार्यों का विकास आदि करना । अन्य बातें स्वतः ही हो जायेंगी । जिनका महत्व, वस्तुतः कम नहीं किया जा सकता । इन तीनों मामलों में हम केवल आकांक्षापूर्ण पैमाने पर योजना ही नहीं बना रहे हैं, अपितु, वस्तुतः ऐसी बहुत सी योजनायें चला रहे हैं. जिनका समय बीतने पर शनैः शनैः परिणाम निकलेगा । नये निर्माणों के लिये मैं योजना बनाना चाहता हूं कि हम ५,००० मील नयी लाइनें बना सकें । किन्तु मैं निश्चित रूप से उस समय तक नहीं कह सकता जब तक उपलब्ध होने वाले संसाधनों के बारे में स्वयं आश्वस्त न हो जाता । किन्तु बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रस्थापनाओं से, जो कि अभी तक मेरे पास पूरी तरह से तैयार हो कर नहीं आई हैं, मेरा ख्याल है कि दोहरी लाइनों को मिलाते हुये यह निर्माण कार्य कम से कम ४,००० मील का हो सकता है । रेलवे के कार्य की यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मद है जिस पर सारे देश की दृष्टि लगी हुई है और जिस पर हमें बहुत आशायें हैं, इस लिये इस पर और गम्भीर विचार करना होगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात पर मुझ से सहमत होंगे प्रथम पंच वर्षीय योजना की कालावधि की समाप्ति पर अनुमानित मांग पर अगली पंच वर्षीय योजना के लिये रेलवे बोर्ड ने जो ५० प्रति शत अधिक क्षमता का विकास करने का प्रयत्न किया है वह कोई साधारण प्रयत्न नहीं है । अगले पांच वर्ष की कालावधि में संभावित मांगों को पूरा करने के लिये क्षमता में वास्तविक वृद्धि की योजना की जा रही है । नये इस्पात संयंत्रों, सीमेंट उद्योग के विस्तार और अन्य विदित परियोजनाओं के सम्बन्ध में होने वाली यातायात में वृद्धि और जो सामान्य यातायात में सामान्यतः वृद्धि होगी हम स्वभावतः उसे पूरा कर लेंगे ।

मैं यह सुन कर कुछ चकित हुआ था कि श्री भागवत झा आजाद और एक अन्य

[श्री एल० बी० शास्त्री]

माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री के भाषण का निर्देश करते हुये उद्धरण दिया था कि रेलवे प्रशासन अपना पूरा अभ्यंश नहीं दे सका और उन्होंने आगे यह कहा । कि विकास कार्यों के लिये रेलवे प्रशासन को अपने ही संसाधनों में से निधियां प्राप्त करनी चाहियें । श्री भागवत झा आजाद ने यह उचित मांग की है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों को रेल द्वारा मिलाना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये निर्मित लाइनों पर आगामी कुछ वर्षों तक तो लाभ नहीं होगा, और फिर भी उन्होंने सुझाव दिया है कि रेलवे को अपने सभी वर्तमान वचनों के अनुसार निर्माण और कार्यसंचालन को पूरा अंशदान देना चाहिये, जब कि वित्त मंत्री भी यह आशा नहीं करते कि हम यह सब कुछ करें । सम्भवतः कभी कभी कोई आधार न होने पर भी त्रुटियां ढूंढने की प्रवृत्ति दिखाई जाती है । इस का परिहार करने के लिये मैं कम से कम इस ओर के माननीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे अधिक सावधानी का परिचय दें ।

सभी पहलुओं में और विशेषतः सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास करना होगा और सरकार के प्रत्येक विभाग को पूरा अंशदान देना होगा । परन्तु देश भर के निर्माण के लिये विभिन्न योजनाओं के संचालन के हेतु न केवल सब के संसाधनों को एकत्रित करना होगा वरन् घाटे की अर्थ-व्यवस्था अथवा इस देश में ऋण एकत्र करने और विदेशों से भी ऋण लेने की विशेष कार्यवाही करनी होगी जिस से योजना की भारी भरकम और स्थूल आवश्यकतायें ठीक प्रकार से पूरी हो सकें ।

मैं यह भी कह दूं कि ४०० करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है परन्तु यह प्रयोगात्मक आंकड़े हैं और अन्तिम आंकड़े द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्पूर्ण ढांचे और रेलवे के लिये नियत अंश पर निर्भर करेंगे । हम केवल धनराशि अर्थात प्रति वर्ष व्यय किये जाने वाली निधि के आधार पर योजना नहीं बना रहे हैं । इसके अतिरिक्त हम वर्तमान संसाधनों के अधिकतम उपयोग के स्थूल आधार पर और अगले पांच वर्षों में संभावित यातायात की वृद्धि को ही नहीं प्रत्युत और अधिक कालावधि की मांग को पूरा करने के लिये क्षमता के विस्तार के आधार पर विचार कर रहे हैं । इसके साथ ही हमें विभिन्न श्रेणियों में अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों को भर्ती करने और प्रशिक्षत करने के लिये आवश्यक उपायों का भी ध्यान है । देश भर में बेरोज़गारी की समस्या को हल करने में सहायता के विचार से भी रेलवे विकास में रोज़गार देने की क्षमता एक महत्वपूर्ण बात है । मुझे आशा है कि मैं अपने अगले आयव्ययक के भाषण में द्वितीय पांच वर्ष की कालावधि के लिये अपेक्षित योजनाओं का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकूंगा ।

मुझे निश्चय है कि इस प्रसंग में सभा हमारे बढ़ते हुये व्यय के कारणों को समझ सकेगी जिन के बराबर राजस्व कम से कम अगले कुछ वर्षों में प्राप्त हो सकेगा । पहली दो तीन योजनाओं की कालावधि में यह व्यय वृद्धि का झुकाव अवश्य बना रहेगा अतएव रेलवे के अत्यधिक व्यय की आलोचना करते हुये, मुझे आशा है कि इस बात को सदैव ध्यान में रखा जायेगा ।

व्यय की वृद्धि के और भी कारण है, जिन में बहुत से अनिवार्य हैं और मैं उनका ब्यौरा देकर सभा को उकता देना नहीं चाहता । तो भी मैं सभा को आश्वासन देना

चाहता हूं कि जो कुछ मैं ने कहा है उस पर भी यथासम्भव सभी शाखाओं में बचत करनी चाहिये और की भी जायेगी ।

मुझे खेद है कि श्री टी० के० चौधरी को क्षमता विभाग के सम्बन्ध में ग़लत जानकारी मिली है । इस विभाग को कभी भी बोर्ड को वर्तमान खण्डों की संख्या बढ़ाने के बारे में परामर्श देने का कार्य नहीं सौंपा गया था । वस्तुतः क्षमता विभाग के निदेशक को विभिन्न रेलों के कार्य संचालन आदि की कतिपय बातों की जांच करने के लिये कहा गया था और मैं बता दूं कि उन्होंने कौशलपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया है । रेलवे बोर्ड को निस्सन्देह उनके प्रतिवेदनों से लाभ हुआ है, और सिफारिशों को अस्वीकार करने का कभी प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ । क्षमता विभाग के निदेशक श्री चक्रवर्ती हमारे प्रमुख पदाधिकारियों में से एक हैं और उन्हें महा प्रबन्धक के पद की पदोन्नति से, जिस पर स्वभावतः प्रत्येक पदाधिकारी की अपने सेवाकार्य के आरम्भ से ही दृष्टि लगी रहती है, वंचित करना अनुचित ही होता । श्री चौधरी श्री चक्रवर्ती को अधिमान देने के सम्बन्ध में पूछ सकते हैं और यदि वे चाहें उन्हें इस बारे में सन्तुष्ट किया जा सकता है ।

मैं ने पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्टतः व्यक्त कर दिये हैं और श्री टी० के० चौधरी को सुझाव दूंगा कि वे उन्हें फिर पढ़ें । परन्तु एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं मैं पुनर्वर्गीकरण के वादविवाद को अधिक देर के लिये बनाये नहीं रखना चाहता क्योंकि सम्भवतः इस से हम देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और रेलवे प्रशासन के विस्तार में रेलों की आवश्यकताओं पर निरपक्ष भाव से विचार नहीं कर सकेंगे ।

नई लाइनों के बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं सभा में कही गई कुछ बातों को लूंगा यह सुझाव दिया गया है कि ग्रेंड ट्रंक एक्सप्रेस को शीघ्र बनाना चाहिये । मैं इस से पूर्णतः सहमत हूं । मैं समझता हूं कि इस को डाक गाड़ी बना देना चाहिये और इस की रफ्तार को पर्याप्त रूप में बढ़ा देना चाहिये । परन्तु मैं सभा के सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, और वह प्रार्थना यह है कि रेलवे बोर्ड को गाड़ी रुकने के स्टेशनों आदि में कमी करने की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिये, और हमें उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

स्वभावतः जहां हम रुकने के स्टेशन कम करेंगे वहां बीच के अन्तर को पूरा करने पर भी विचार करेंगे ।

श्री सोमानी चाहते थे कि मुझे शीघ्र ही भाड़े की रूप रेखा सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में निष्पक्ष करना चाहिये । मैं ने अपने आयव्ययक भाषण में उसकी ओर पहले ही निर्देश किया है, परन्तु मैं सभा को यह भी बता देना चाहता हूं कि निर्दिष्ट समिति शीघ्र ही नियुक्त की जायेगी ।

श्री गिरी ने एक रोचक सुझाव दिया है कि अब वह समय आ गया है जब सरकारी उद्योग से आरम्भ कर के श्रमिक को उद्योग के नियंत्रण में प्रतिनिधित्व दिया जाये । उन्होंने आगे कहा है :

> "यदि हम को यह बात आरम्भ करनी ही है तो हमें रेलवे विभागों में उद्योग व्यवस्था में रेलवे कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दे कर आरम्भ करना चाहिये । निस्सन्देह यह बात कि उन्हें कितना प्रतिनिधित्व देना चाहिये, कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा और उनकी संस्थाओं पर निर्भर करेगा, क्योंकि केवल इस बात का कि हम ने किसी सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया

[श्री एल० बी० शास्त्री]

है, यह अभिप्राय नहीं है कि हमें इसे तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये ।"

श्री गिरि ने यह सब कहा है । मैं इस विषय में अपना निजी विचार नहीं देना चाहता। परन्तु क्यों कि मैं स्वयं इस विषय पर कुछ समय तक विचार करता रहा हूं मैं इस सुझाव पर इस के पक्ष में विचार करूंगा । यह तो मैं कह सकता हूं, परन्तु जैसा श्री वी० वी० गिरि ने कहा है इस सुझाव के प्रवर्तन से पूर्व अपेक्षित परिस्थितियां पहले श्रमिकों को पैदा करनी होंगी और इस के लिये जैसा श्री वी० वी० गिरि ने आगे बताया है रेलवे कर्मचारियों में संघटन पैदा होना अत्यावश्यक है ।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने क्षति पूर्ति सम्बन्धी दावों के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं । परन्तु मुझे शंका है कि इस से हमारा व्यय बढ़ जायेगा । परन्तु तो भी रेलवे प्रशासन ऐसे रेल के डिब्बे बनाने के प्रश्न पर विचार करेगा, जिन से उन क्षेत्रों के पानी को बाहर निकाला जा सके जहां बहुत अधिक मोनसून की वर्षा होती है ।

श्री अशोक महता ने चौकीदारी के उन कर्मचारियों की ओर निर्देश किया था जिन को इस कारण से सेवाओं से निकाल दिया था कि उन्होंने अभ्यावेदन दिये हैं । मैं प्रत्येक मामले को नहीं लूंगा परन्तु मैं अशोक मेहता के इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं जो एक पक्ष की बात पर आधारित है । सच्चे तथ्य ये हैं कि पश्चिमी रेलवे के दो मुख्य ओवरसियरों को उप-निरीक्षक के पद की पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षा देने के लिये कहा गया था । वे लिखित परीक्षा में नहीं बैठे परन्तु उन्होंने उच्च पदाधिकारियों पर यह आरोप लगाते हुये कि उन्होंने कोई अनुचित कार्य किया है, एक अनुचित और विरोधपूर्ण भाषा में अभ्यावेदन भेजा था, जिसका कोई आधार नहीं था । यह बात दुर्व्यवहार पूर्ण थी और प्रतिभूति पदाधिकारी एक सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुये उन्हें उनके पद से छोटे पद अर्थात् ओवर-सीयर के पद पर पदावनत करने का निश्चय किया था । वैध रूप से ठीक प्रक्रिया के अनुसार नियमों का अनुसरण करते हुये उन लोगों को पदच्युत कर देना चाहिये और उन्हें फिर निम्न पद पर पुनर्नियुक्त करना चाहिये । यही किया गया था और उन्होंने फिर अपीलें भेजीं, जिन पर विचार करने के पश्चात् उन्हें पदच्युत कर दिया गया ।

श्री अशोक मेहता ने इस सम्बन्ध में भी शंका प्रकट की है कि रेलों और तटीय नौ-वहन की जांच के लिये समिति की क्या आवश्यकता है । मैं इस विषय के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा परन्तु मैं उन्हें यह अवश्य कहना चाहता हूं कि विषय के कठिन होने के कारण और सम्बन्धित आंकड़ों की कमी के कारण, इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना ही उपयुक्त उपाय है ।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने सरकार को यह विशेष रूप से चेतावनी दी है कि उन्हें अकारण सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये और इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिये कि राजशाही व्यवस्था में गलती नहीं हो सकती । मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि मैं कभी अकारण सन्तोष नहीं कर सकता और रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर किये गये निर्णयों को ज्यूं का त्यूं स्वीकार कर लेने के लिये तैयार नहीं होता, परन्तु मैं एकदम उनके निर्णयों को केवल इस आधार पर रद्द भी नहीं कर सकता कि उन पर अपीलें हुई हैं । यह सत्य है कि कुछ मामलों में देर हो जाती है, परन्तु

रेलवे प्रशासन को निरन्तर यह निर्देश दिया जाता है कि वे देरी न करें।

मैं बताना चाहता हूं कि मेरा अनुभव है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आदेश दिया जाता है तो महा प्र.न्धक, रेलवे बोर्ड या मेरे पास अभ्यावेदन भेजे जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्य बहुत बढ़ जाता है और उचित शिकायत वाले व्यक्तियों के अभ्यावेदनों पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता। अतः मैं सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी शिक़ायतों को आगे बढ़ाने में स्व-विवेक से और संयम से काम लिया करें।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने जसा कहा है, मैं चनाव बोर्डों के परिणामों के शीघ्र घोषणा के प्रश्न पर भी विचार करूंगा। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि चुनाव बोर्डों के परिणामों के घोषित किये जाने में कम से कम विलम्ब किया जाना चाहिये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी —वह यहां उपस्थित नहीं हैं—ने अजमेर वर्कशाप में छोटी लाइन के इंजनों के बनाने की बात कही है और वह जानना चाहते हैं कि इस वर्कशाप को उक्त प्रयोजन के लिये क्यों विकसित नहीं किया गया। वस्तुतः अजमेर का वर्कशाप सब से बड़ा है और उसका अग्रेतर विकास और विस्तार किया जाने वाला है। पर सत्यता यह है कि न तो उस वर्कशाप का नक़शा ही आधुनिक प्रकार के अच्छे इंजन बनाने के उपयुक्त है और न उसमें अतिरिक्त सामर्थ्य ही है। इसी कारण यह कार्य टेलको में किया जा रहा है।

श्री थानू पिल्ले और श्री जे० आर० मेहता ने बताया कि पदों के समान वितरण के सम्बन्ध में भूतपूर्व राज्य रेलवे के पदा-धिकारी के साथ अन्याय किया गया।

दूसरी ओर श्री रामचन्द्र रेड्डी ने इस ात का विरोध किया कि, सरकारी रेलवे पदाधिकारियों का हित दृष्टि में न रख कर, राज्यों के पुराने रेलवे पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। मैं यत्न करता हूं कि मैं इस के वास्तविक रूप को देखूं। इस सभा में और राज्य सभा में जो सुझाव दिये गये हैं और जो आलोचना की गई है मैं उनको दृष्टि में रखते हुये इस मामले पर पुनर्विचार कर रहा हूं।

श्री नम्बियार ने कहा कि सरकार कुछ संघों का पक्षपात करती है और उनका व्यवहार रेलवे श्रमिकों के साथ असंतोष-जनक है। मैं यह फिर से कहना चाहता हूं कि गत कई वर्षों से रेलवे प्रशासन और रेलवे श्रमिकों के बीच मैत्री ब.ढ़ती चली जा रही है। सरकार किसी संघ का पक्षपात नहीं करती, परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ऐसे किसी संघ को मान्य होने नहीं देना चाहता हूं जो कई संघों के विलय से न बना हो या मान्य संघों में विलीन न हुआ हो। मैं चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के औसत वेतन की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर बाद में चर्चा हो सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने इष्ट क्षेत्रों में नई लाइनें निर्माण करने का सुझाव दिया है। दक्षिण के माननीय सदस्यों ने बंग-लौर—सैलम, सैलम—तिरुचिरापल्ली के विकल्प के रूप में मदुराई—करुर—सैलम, त्रिवेन्द्रम—कन्याकुमारी, बम्बई—मंगलौर टेलिचेरी—कुर्ग—मैसूर की ओर निर्देश किया है। मध्य भारत के एक माननीय सदस्य ने ग्वालियर में रेलवे गेज बदलने के लिये और शिवपुरी तथा आगरे को मिलाने के लिये कहा है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि हिमालय म ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग के बीच में रेल की सुविधा

[श्री एल० बी० शास्त्री]

दीजाये । मैं माननीय सदस्यों को यही आश्वासन दे सकता हूं कि नई लाइनों के निर्माण पर सावधानी से विचार किया जायेगा और देश के विकास के हित के लिये उनका निर्माण किया जायगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने कलकत्ता की उपनगरीय रेल के विद्युतीकरण की ओर निर्देश किया था ; उन्होंने आय-व्ययक पत्रों में देखा होगा कि हावड़ा बर्दवान—तारकेश्वर लाइन के लिये १९५५–५६ में दो करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । सियालदह तथा अन्य उपनगरीय लाइनों का विद्युतीकरण बाद में किया जायगा । मैं स्वयं इच्छुक हूं कि पहला क्रम जितना शीघ्र हो सके समाप्त हो जाये ताकि दूसरा क्रम आरम्भ किया जा सके ।

कुछ माननीय सदस्यों—जैसे श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और श्रीमती इला पाल-चौधरी—ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार लाइट रेलवेज़ को अपने हाथ में ले लें । इसके सम्बन्ध में हमने बहुत विचार-विमर्ष करने के बाद यह निर्णय किया है कि लाइट रेलवेज़ के निकट की सरकारी रेलें अपने अपने क्षेत्र की छोटी लाइनों की स्थिति का विस्तृत रूप से अध्ययन करें । और रिपोर्ट करें कि लाइन के मिलने के स्थानों पर मीटर लाइन को बड़ी लाइन से बदलना या उसके स्थान पर सड़कों की व्यवस्था करना लाभप्रद होगा या नहीं । जैसा कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा है, बख्तियारपुर—राजगीर लाइन के मामले पर अग्रेतर विचार किया जायेगा । बारासेत—बसीरहाट रेलवे के बारे में, जिसका श्रीमती इला पालचौधरी ने उल्लेख किया है, बसीरहाट और हसनाबाद तक बड़ी लाइन बनाने के लिये, पूर्वी रेलवे को एक प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है और इस काम के लिये १९५५ के आय-व्ययक में २५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री नवटिया ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में उखाड़ी हुई लाइनों को फिर बिछाने का सुझाव दिया है । सारे भारत में कुछ उखाड़ी हुई लाइनें फिर बिछा दी गई हैं । शेष लाइनों के मामले अभी विचाराधीन हैं ।

चौधरी रणवीर सिंह ने रोहतक—गोहाना लाइन का उल्लेख किया है । जैसा कि मैं ने उन्हें कल बताया था, इस सम्बन्ध में उनका पंजाब के मुख्य मंत्री से बात चीत करना अधिक उचित होगा । तथापि मैं इस परियोजना पर पुनर्निर्माण करने के लिये तैयार हूं और मैं तत्काल पंजाब सरकार से पत्र व्यवहार करूंगा ।

श्री सोमना ने मलनाड और कुर्ग में रेलवे लाइनों की कमी की ओर निर्देश किया है । माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि हसन और मंगलौर के बीच एक लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस के समाप्त हो जाने और निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय कर लिये जाने के बाद, इस क्षेत्र में और लाइनें बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । मैं पश्चिमी तट के विकास को भी काफी महत्व देता हूं और रेलवे बोर्ड इस को अच्छी तरह जानता है । कोंकन क्षेत्र भी इस योजना में आ जायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी ने सोनपुर स्टेशन और उत्तर पूर्वी रेलवे की सामान्य स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सोनपुर स्टेशन में अवश्य सुधार किया जायेगा और मैं रेलवे

बोर्ड को प्लैटफार्मों पर पुल बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लियें कहूंगा ।

स्वामी रामानन्द तीर्थ ने हैदराबाद राज्य में एक लाइन को प्राथमिकता देने के लिये कहा है । रेलवे बोर्ड हैदराबाद से आने वाले सदस्यों के सुझाव को अवश्य ध्यान में रखेगा ।

आसाम लिंक के बारे में कहा गया है कि एक वैकल्पिक रास्ता बनाने पर भी विचार किया जाये । रेलवे बोर्ड इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और सम्भव है, सर्वेक्षण शीघ्र शुरू करना पड़े ।

आदिवासी क्षेत्र में यातायात के विकास के प्रश्न पर भी दूसरी पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । मेरा यह भी विचार है कि सतना—रेवा—गोविन्दगढ़ और नेपानी—रायबाग़ कड़ियो के सर्वेक्षण आय-व्ययक वर्ष में सम्मिलित कियें जायें ।

मुझे खेद है कि इस सुझाव को कि चामराजनगर—सत्यमंगलम् कड़ी का काम तुरन्त हाथ में लिया जाये, स्वीकार नहीं किया जा सकेगा । इस परियोजना को केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने अनुमोदित किया था और उसने यह सिफारिश की थी कि इस पर खण्डवा—हिंगोली कड़ी के साथ विचार किया जाये । खंडवा—हिंगोली कड़ी को प्राथमिकता दी गई है, ताकि उत्तर और दक्षिण के मीटर गेजों को मिलाया जा सके । दक्षिणी मीटर गेजों को मिलाने के लिये बंगलौर से सलेम तक की वैकल्पिक कड़ी अधिक वांछनीय बताई गई है । बंगलौर—सलेम लाइन की लागत और यातायात की सम्भावना जानने के लिये एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है और चामराजनगर—सत्यमंगलम परियोजना और बंगलौर—सलेम लाइन के गुणावगुण पर विचार किया जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव ने विजयवाडा—गुदूर लाइन की प्रस्तावित दोहरी व्यवस्था की आलोचना की है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस मामले पर दक्षिण रेलवे से बातचीत हो चुकी है और काजीपुर से मछलेरे और कुम्बुम बड़ी वैकस्पिय लाइन बनाने के लिये जांच करने का आदेश दिया गया है ।

अब मैं दरों और किरायों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा । बढ़ते हुये व्यय को देख कर ही मैं ने इन में थोड़ी सी वृद्धि करने का सुझाव दिया था । मैं ने इस मामले पर पूरा विचार किया है और जनसाधारण पर जो थोड़ा सा भार पड़ेगा, उसको अनुभव किया है । यह वृद्धि कम से कम है, जो कि की जा सकती थी । श्रीमती सिन्हा, श्री सोमना और डा० कृष्णास्वामी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और म इस के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । किन्तु इस सदन में और दूसरे सदन में जो चर्चा हुई है, उस से प्रकट होता है कि इस विषय में सदस्यों की निश्चित भावनायें हैं । मैं स्वयं नहीं चाहता कि कोई एसा परिवर्तन किया जाय, जिस से जनसाधारण को कष्ट हो । इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि यद्यपि किरायों का वर्द्धमान आधार बनाये रखा जाये साधारण गाड़ियों द्वारा तीसरे दर्जे की ऐसी यात्रा के लिये जो ५० मील से कम हो किराये न बढ़ाये जायें । इस से रेलवे को लगभग १ करोड़ रुपये की हानि होगी । चूंकि अधिक दूरी के यात्री डाक अथवा एक्सप्रैस गाड़ियों से जाते हैं अतः उन के हित के लिये वर्द्धमान आधार के किराये शरू करना आवश्यक है । अतः मैं ने आय-व्ययक भाषण में जिस आधार का उल्लेख किया था, उसे कायम रखा

[श्री एल० बी० शास्त्री]

जायेगा । तथापि यदि हमारी वित्तीय स्थिति अनुकूल हुई, तो बाद में मैं वृद्धि के प्रस्ताव सदन के सामने रखूंगा ।

फुटकर माल की दरों में वृद्धि और सरचार्ज लगाने की भी आलोचना की गई है । इस से आय कमाने का कोई इरादा नहीं था । केवल जनता द्वारा प्रयोग के लिये अधिक डिब्बे उपलब्ध कराना था । परन्तु मेरा प्रस्ताव यह है कि फुटकर माल के मामले में २० मन तक सरचार्ज १२½ प्रतिशत से घटा कर ६¼ प्रतिशत कर दिया जाये और फुटकर माल के लिये कम से कम भाड़ा १ रुपये ८ आने की बजाय १ रुपया रखा जाये । इन प्रस्तावों से बचत तो अवश्य कम हो जायेगी किन्तु सदन को संतोष होगा ।

श्री घूसिया (जिला बस्ती—मध्यपूर्व व जिला. गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । मिनिस्टर साहब ने बहुत से सवालों का जवाब दिया लेकिन मुझे दुःख है कि उन्होंने रेलवे सर्विसेज में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भरती के बारे में कुछ नहीं कहा । प्राविंसेज के एजूकेशन मिनिस्टर और सेंटर के एजूकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों की मांग पूरी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गयी है । इसलिये वह सब को स्कालरशिप नहीं दे सकते । दूसरी तरफ हमारे लड़के जो रेलवे सर्विसेज के लिये एप्लाई करते हैं तो रेलवे आथारिटीज़ कहती है कि हमको आपके ठीक आदमी नहीं मिलते हैं । इसलिये मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह बतलाने की कृपा करें कि अब शिडयूल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब वालों के रिक्रूटमेंट के बारे में उनकी क्या नीति रहेगी ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं ने इस चीज़ पर इसलिये ज्यादा नहीं कहा कि कटमोशन्स में यह सवाल उठने वाला है और उस पर काफी बहस भी होगी । लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी पालिसी इस सम्बन्ध में बहुत साफ है, और हम चाहते हैं कि जो कोटा हरिजन भाइयों के लिये मुक़र्रर है वह पूरा किया जाय । उनको यह भी मालूम है कि इस सिलसिले में इधर रेलवे में काफी तरक्क़ी हुई है और जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट वालों की तादाद काफी बढ़ी है :

श्री घूसिया : परन्तु उतनी नहीं जितनी कि होनी चाहिये ।

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो मैं खुद मान रहा हूं । मैं यह नहीं कहता कि पूरा हो गया । मैं यह कहता हूं कि संख्या बढ़ी है । और माननीय सदस्य को यह भी मालूम है कि हमने लगभग साठ साठ जगहों के लिये विज्ञापन दिया है और उसमें कहा है कि उनमें केवल शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ही लिये जायेंगे और दूसरे नहीं लिये जायेंगें, ताकि कमी को पूरा किया जाय । तो हमारी कोशिश निरन्तर उसी तरफ है। उनको यह भी मालूम है कि हमने कमीशन में शिड्युल्ड कास्ट को मेम्बर भी बनाया है ताकि भरती के बारे में यह शिकायत न रहे कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । अब यह सिलेक्शन का, इन्टरव्यूज़ का और इम्तिहान का मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें आप यह आशा रखें कि जितने आपके आदमी आते हैं वह सब के सब ले लिये जायें । इम्तिहान होगा, नम्बर मिलेंगे । कुछ लोग रह ही जायेंगे । तो इस भावना से प्रेरित हो कर बात नहीं कहनी चाहिये कि जबरदस्ती हो रही है और बेइन्साफ़ी हो रही है । मैं यह नहीं कहता कि जितना करना चाहिये उतना हो चुका है ।

उसमें कमी है उसको मैं मानता हूं । उससे मुझे इन्कार नहीं है । लेकिन आपको अपने दिल में यह ख्याल नहीं रखना चाहिये कि मेरे दिल में कुछ और है या मैं यह नहीं चाहता कि हरिजन भाइयों का जो कोटा है वह ज्यादा से ज्यादा पूरा न हो ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : चूंकि रेलवे मंत्री ने दुर्घटना जांच समिति की मूल रिपोर्ट प्रकाशित करने के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय मंत्री श्री शाहनवाज खां का भाषण सुन चुके हैं । यदि उन्हें कोई और सुझाव देना है, तो मुझ से कहें । मेरे विचार में श्री शाहनवाज़ मूल रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करना चाहते ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें--रेलवे

सभापति महोदय : अब हम दूसरी अवस्था, अनुदानों की मांगों पर मतदान शुरू करेंगे । सदस्यों ने बहुत से कटौती प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं । माननीय सदस्य और ग्रुपों के नेता जो कटौती प्रस्ताव चुनें, उन की संख्यायें सचिव को दे दी जायें । यदि माननीय सदस्य उपस्थित हों और प्रस्ताव स्वयं नियमानुकूल हों, तो इन्हें प्रस्तुत समझा जायेगा ।

श्री नम्बियार : किन्तु हम मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड पर चर्चा शुरू कर सकते हैं ।

मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये, 'रेलवे बोर्ड' के निमित्त राष्ट्रपति को ४२,४३,००० रुपये तक की राशि दी जाये"।

श्री नम्बियार : मैं अपने कटौती प्रस्ताव नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इन की संख्या दे रहा हूं । मैं कुछ और संगत बातें कहना चाहता हूं ।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुये]

दुर्भाग्यवश सामान्य चर्चा के दौरान में हम रेलवे प्रबन्ध के प्रशासनीय पहलू पर सविस्तार चर्चा नहीं कर सके थे । किन्तु रेलवे बोर्ड एक ऐसा विशाल विषय है, कि रेलवे प्रशासन के सब पहलू इस की चर्चा के अधीन लिये जा सकते हैं । हम रेलवे बोर्ड के निवृत्त और नये सदस्यों का बहुत आदर करते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन--दक्षिण) : प्रश्न काल के बाद यह निर्णय किया गया था कि जो सदस्य सामान्य चर्चा में भाग ले चुके हैं, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा, बल्कि अन्य सदस्यों को दिया जायगा ।

सभापति महोदय : यह कोई कठोर नियम नहीं हो सकता । जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें भी समय दिया जाना है । किन्तु जो सदस्य अब बोल लेंगे, उन्हें उसी मांग पर फिर बोलने का अवसर नहीं दिया जायगा । अब मांग संख्या १ और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री नम्बियार : हम गत रेलवे बोर्ड के लिये आदर का भाव रखते हैं और आशा करते हैं कि नया रेलवे बोर्ड और अधिक सन्तोषजनक कार्य कर के दिखायगा, क्योंकि कई एक विषय ऐसे हैं जिन्हें गत बोर्ड ठीक प्रकार नहीं निपटा सका है ।

[श्री नम्बियार]

कमचारियों के विषय को ही लीजिये। बहुत कम लोगों को छोड़ कर शेष सभी कर्मचारी रेलवे प्रशासन के बरताव से दुखी हैं। रेलवे बोर्ड अथवा मुख्य प्रबन्धकों को भेजे जाने वाले अभ्यावेदनों का उत्तर तक भी नहीं मिलता। दक्षिण रेलवे पर आठ महीने से १२ महीने तक शेष यात्रा भत्ता देने में लग जाते हैं। इस प्रकार रेलवे प्रशासन में अकार्यकुशलता बढ़ रही है।

रेलों का विलय तो हुआ है किन्तु वह कहां तक सफल रहा है यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। दक्षिण रेलवे में ६,००० मील लाइन का विस्तृत क्षेत्र है जिस में कितनी ही पुरानी रेलें सम्मिलित हैं। यह रेलें पूना से लेकर टूटीकोरिन तक फैली हुई हैं। इस में से पांच भाषाभाषी क्षेत्र आ जाते हैं। इन सब के लिये मद्रास में एक मुख्य प्रबन्धक बिठा दिया गया है जिस से आशा की जाती है कि वह इस सारे ढांचे को संभाल सकेगा। यह कहने को तो आसान सी बात जान पड़ती है किन्तु वास्तव में कार्यकुशलता का अभाव ही रहता है। टूटीकोरिन के किसी कर्मचारी को बदल कर पूना भेजा जा सकता है जिस से प्रायः न केवल एक तामिल भाषाभाषी व्यक्ति महाराष्ट्रीय क्षेत्र में जा नियुक्त होता है अपितु वह एक नवीन वरिष्ठता सूची में जा पड़ता है।

अब एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण को लीजिये। रेल कर्मचारियों को इस न्यायाधिकरण के बारे में बहुत कुछ शिकायतें हैं क्योंकि इसे नियक्त हुये तो तीन वर्ष हो चुके हैं किन्तु वह कुछ अधिक काम नहीं कर पा रहा है। अब तक तीन हज़ार याचिकायें उस के सामने आ चुकी हैं, जिनका निर्णय करना उसके लिये असम्भव सी बात है। और बहुत संकुचित प्रकार के वाद-विषय उसके सामने उठाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ कर्मचारियों की छुट्टी की बात तो इनके सामने लाई जा सकती है किन्तु यह प्रश्न उनके निर्देश-पदों में सम्मिलित नहीं है कि क्या केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की अभिपूर्ति ठीक ढंग से हो रही है या नहीं। इसके निर्देश-पदों का विस्तार होना अनिवार्य है। यदि मंत्री महोदय इन में कुछ एक विषय और सम्मिलित करने को उद्यत हों तो मैं कुछ एक सुझाव इस विषय में दे सकता हूं कर्मचारियों का उनके काम का गुण प्रकार के अनुसार उचित रूप से वर्गीकरण होना चाहिये। वर्तमान वर्गीकरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। कई एक कर्मचारी लगभग एक ही प्रकार का कार्य करते हुये भिन्न भिन्न वेतन प्राप्त कर रहे हैं। एक इंजन ड्राइवर को दूसरे इंजन ड्राइवर से केवल इसी कारण कम वेतन दिया जा रहा है कि एक मैट्रिक पास है और दूसरा मैट्रिक पास नहीं है।

उत्तरदायित्व वही है। फिर भी केवल इसलिये उसको हानि उठानी पड़ती है कि उसने मैट्रीकुलेशन की परीक्षा नहीं पास की होती है। ऐसी पाबन्दी यदि किसी ऐसी टेकनिकल परीक्षा के लिये होती, जिसमें उत्तीर्ण होना ड्राइवर होने से पहले आवश्यक होता, तो बात और थी। यही बात फायरमैन के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को अभी और समय की आवश्यकता होगी। इसलिये अब हम ग़ैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य को आरम्भ करेंगे।

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

सभापति महोदय : सभा को ज्ञात होगा कि हमें श्री आल्तेकर के २४ दिसम्बर, १९५४ के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करना है। उसी के साथ २४ दिसम्बर, १९५४ का श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का एक संशोधन भी है। अब मैं देखता हूं कि उसी प्रकार का एक और विधेयक है और उसी प्रकार का एक और संशोधन भी है। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती उपस्थित नहीं हैं। फिर भी मैं आज प्रत्येक सदस्य को जिसने आज संशोधन रखा हो बोलने का अवसर दूंगा।

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : इस विधेयक का देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। इसका उद्देश्य बिजली संभरण समवायों के लाभ को एक नई रीति से आंकना है और इसमें लाभ आंकने में कर्मचारियों की बोनस की मांग को भी सम्मिलित कर लिया जाना भी अभिप्रेत है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका सम्बन्ध केवल नियोजकों के लाभ से ही नहीं है वरन् देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से है। इस लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वर्ग 'क' में रखे जाने योग्य है।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : इसी वर्गीकरण के सम्बन्ध में सभा का मत लिया जाने वाला था। २२ नवम्बर, १९५४ को श्री साधन गुप्त के विधेयक पर समिति में चर्चा हुई थी परन्तु उस समय वह उपस्थित नहीं थे। समिति ने, उन सब विधेयकों को देखते हुये, जो उसके सामने रखे गये थे, यह निर्णय किया था कि इस विधेयक को वर्ग 'ख' में रखा जाये। १६ दिसम्बर, १९५४ को सभा ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया, और पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर चर्चा की गई और फिर सभा से उसको स्वीकार करने की सिफारिश की गई। इसके पश्चात् श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के विधेयक के वर्गीकरण पर विचार किया गया और समिति ने सिफारिश की उसे वर्ग 'ख' में रखा जाये। यह ठीक है कि सभा फिर से विचार कर सकती है परन्तु एक बार निर्णय करने के बाद सभा को यह निर्णय करना होगा कि क्या वह फिर से विचार करने को तैयार है।

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधन पर सभा का मत लूंगा।

सभापति महोदय द्वारा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री आल्तेकर के मूल प्रस्ताव पर सभा का मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से, जो २२ दिसम्बर, १९५४ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से, जो २ मार्च, १९५५ को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

[श्री आल्तेकर]

यह प्रतिवेदन उन विधेयकों के लिये समय का नियतन करने के सम्बन्ध में है जिनका उल्लेख आज की कार्य सूची में किया गया है तथा उन दो विधेयकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में है जो समिति के सामने रखे गये थे । मैं सभा से इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से, जो दो मार्च, १९५५ को, सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खान (संशोधन) विधेयक

धारा ३३ तथा ५१ का संशोधन

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

नये परिच्छेद ५कक की प्रविष्टि

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा २४ दिसम्बर, १९५४ को श्री डी० सी० शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी । प्रस्तावक अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं । श्री आर० के० चौधरी बोल रहे थे ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मुझे जो कुछ कहना था वह मैं लगभग कह चुका था परन्तु मैं एक दो बातें पूछना चाहता था । इस विधेयक के प्रस्तावक ने भारतीय वन अधिनियम, १९२७ तथा बम्बई सिंचाई अधिनियम को अपवाद के रूप में रखा है । मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक इन दो अधिनियमों का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों के काम के घंटे वही होंगे जो अपनी इच्छा से काम करने वाले श्रमिकों के होते हैं या उन से अधिक समय तक काम कराया जा सकेगा । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भारतीय वन अधिनियम, जिसके अनुसार सब श्रमिकों को नक़द मज़दूरी देना आवश्यक ठहराया गया है, आसाम राज्य में भी लागू होगा ।

आसाम राज्य में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसे "वन-ग्राम" कहते हैं इसके अनुसार कुछ भूमि ग्रामवासियों को दे दी जाती है जिस के लिये सरकार उनसे कोई लगान नहीं लेती है परन्तु उसके स्थान पर सरकार साल में कई बार उन से काम कराने का अधिकार रखती है जिसके लिये उनको कोई नग़द मजूरी नहीं दी जाती है। काम न करने पर उन को इस "वन-ग्राम" में रहने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इसकी भूमि सरकारी सम्पत्ति होती है। यह एक प्रकार का बलात् श्रम है जिससे जनता में बड़ा रोष उत्पन्न होता है। इससे तो अच्छा यह है कि जिस भूमि पर ग्रामवासी रहते हैं वह उन को लगान पर दे दी जाय और उन से जो काम लिया जाये उसके लिये उनको नक़द मजूरी दी जाया करे।

बलात् श्रम कराना एक बहुत ही पुरानी प्रथा है जिसका अब प्रायः लोप हो चुका है। इस अपराध का दोषी भविष्य में राज्य ही पाया जायेगा। इस लिये मेरा सुझाव है कि चूंकि कहीं कहीं बलात् श्रम कराने का चलन अब भी पाया जाता है इस लिये नियम यह बना दिया जाये कि बलात् श्रम के लिये हर दशा में मजूरी दी जाये। ऐसे स्थानों में, जैसे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण, जहां ऐच्छिक मज़दूर कठिनाई से मिलते हैं कभी कभी थोड़े बहुत मज़दूरों की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ जाती है जैसे सरकारी नौकरों या स्वयं राज्यपाल के दौरे के समय। यदि यह अधिनियम वहां लागू कर दिया गया तो सरकारी काम के लिये भी किसी से बलात् श्रम नहीं लिया जा सकता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार को चाहिये कि कुछ श्रमिकों को स्थायी रूप से नौकर रख ले, चाहे उनके लिये सारे समय का काम न हो, और आवश्यकता पड़ने पर उन से काम लिया जाये। साथ ही साथ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न न होने पाये कि वे अनुचित रूप से अधिक मजूरी मांगने लगें।

सरकार इस विधेयक को मने चाहे न माने पर मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक के मूलभूत सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार करेगी।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं भी त्रिपुरा का प्रतिनिधि हूं जहां बलात् श्रम कराया जाता है। त्रिपुरा में एक प्रथा 'टाइरान' के नाम से प्रसिद्ध है। वह प्रथा यह है कि ग्रामवासियों से सरकारी अधिकारियों के लिये बलात् काम कराया जाता है और उन को किसी प्रकार की मजूरी नहीं दी जाती है। यदि कोई इनकार करे तो उस को तुरन्त ही शारीरिक दण्ड दिया जाता है। पद्माबिल नामी एक ग्राम में हो कर एक सचिव गुजर रहा था। वह व्यक्ति सम्भवतः अब भी त्रिपुरा सरकार का सचिव है रामकुमार ठाकुर नामक एक सरदार गांव में गया और उसने गांव वालों से सहायता करने को कहा। उस समय गांव में के सभी पुरुष खेतों में काम करने गये हुये थे केवल स्त्रियां ही गांव में उपस्थित थीं जो उसकी आवाज़ पर उसकी सहायता के लिये तुरन्त ही उपस्थित नहीं हुईं। इस पर सरदार ने स्त्रियों को मारना आरम्भ कर दिया उसके बाद गोली चलाई गई जिस में तीन लड़कियां जान से मारी गईं। इस मामले की जांच कराने की भी मांग की गई परन्तु कोई जांच नहीं की गई।

त्रिपुरा की जनता इस प्रथा से इतनी घृणा करती है कि कितने ही ज्ञापन इसके विरुद्ध सरकार के पास भेजे जा चुके हैं त्रिपुरा की यह प्रथा सरदारों के द्वारा चलाई जाती है। ऐसी प्रथाओं को अनुसूचित जाति आयुक्त के प्रतिवेदन में "मुतादार" प्रणाली

[श्री बीरेन दत्त]

कहा गया है । सब से विचित्र बात तो यह है कि इस क्षेत्र में प्रजातन्त्र को क्रियान्वित करने के लिये बड़े विचित्र तरीक़े अपनाये जा रहे हैं । यही मुतादार लोग, जो अत्याचार और दमन करते हैं और अपने तथा राज्य के लिये बलात् श्रम कराते हैं, दिल्ली में आदिम जातीय जनता के प्रतिनिधि बनाकर लाये जाते हैं । २६ जनवरी के उत्सव के लिये, सरदार राम कुमार ठाकुर और उसके साथी, जिनके विरुद्ध न्यायालय में बलात् श्रम कराने के और लोगों को जान से मार डालने के मामले चल रहे हैं, मुख्य आयुक्त द्वारा आदिम जातीय जनता के प्रतिनिधि चुने गये थे और वे सरकार के खर्च पर यहां आये थे ।

जब तक त्रिपुरा में वन अधिनियम लागू नहीं था या जनता को जंगली क्षेत्र से लाभ उठाने की कुछ रियायतें प्राप्त थीं परन्तु अब तो सारा त्रिपुरा ही रक्षित बन्य प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इस जंगली क्षेत्र के निवासियों से सरकार तीन चार मास मुफ्त श्रम कराती है और जब ये लोग जंगल को साफ कर चुकते हैं, उसको जला चुकते हैं, तो उन को कोई भी मजूरी दिये बिना दूसरे क्षेत्रों में भगा दिया जाता है और उस भूमि को सरकार दूसरे धनी व्यक्तियों को लगान पर दे देती है । जब वे नये क्षेत्र में आकर बस जाते हैं तो उसी 'टाइटन' प्रथा के अनुसार उनसे कहा जाता है कि तुम सरकारी जंगल का प्रयोग कर रहे हो इस लिये तुम्हें काम करना पड़ेगा ।

वन विभाग यह काम पेट्रोल पुलिस के द्वारा कराता है । जब वहां के स्थानीय आदमियों ने, जो पुलिस विभाग में थे, इस प्रकार आदिम जातीय व्यक्तियों पर अत्याचार करने से इनकार कर दिया तो भारत सरकार ने इस काम को करने के लिये त्रिपुरा में गढ़वाली सैनिकों का एक दस्ता भेजा जिसे इस प्रकार का बलात् श्रम कराने के लिये काम में लाया जाता है । आदिम जातीय व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार करते करते अधिकारियों का साहस इतना बढ़ गया है कि जो अभागे शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर त्रिपुरा में आये हैं और जिन को जंगली क्षेत्र में कुछ भूमि का आवंटन कर दिया गया है उन से भी वह पुनर्वास के नाम पर इसी प्रकार काम कराते हैं । परन्तु जब यह शरणार्थी भूमि को साफ कर लेते हैं तो आस-पास के धनी व्यक्ति आकर उस भूमि को क्रय कर लेते हैं या नीलाम में लेते हैं, उन बेचारे शरणार्थियों को यह विश्वास नहीं होता है कि उन को भी इस भूमि पर खेती करने का अवसर भी मिलेगा ।

मैं श्री आर० के० चौधरी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार का बलात् श्रम कराये बिना प्रशासन चल ही नहीं सकता है । मुख्य आयुक्त और उसके कर्मचारियों से जब हम लोग इस अत्याचार की शिकायत करते हैं तो वह भी ठीक यही उक्ति पेश करते हैं । कुछ भी हो हमारे मित्र श्री आर० के० चौधरी ने यह तो स्वीकार किया ही है कि जब कभी बलात् श्रम कराया जाये तो उसकी मजूरी अवश्य दी जाये ।

मेरा यह निवेदन है कि बलात् श्रम (बेगार) को किसी प्रकार से भी प्रोत्साहन न दिया जाय । त्रिपुरा में और अन्य कई स्थानों पर बेगार ली जा रही है । वेतन देने का प्रश्न दूसरा है और यह प्रश्न दूसरा है जो सामन्तशाही के कारण पैदा हुआ । हमें वन अधिनियमों का इस प्रकार से संशोधन करना चाहिये जिससे कि बलात् श्रम (बेगार) न लिया जा सके

और सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में जनता का सहर्ष सहयोग प्राप्त हो सके ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : जो बिल शर्मा जी ने हाउस के सामने प्रस्तुत किया है, उसके जो स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं उसमें उन्होंने इन बातों का खास तौर पर उल्लेख किया है । एक बात तो यह है कि जबर्दस्ती लोगों से मजदूरी के बगैर काम न लिया जाय और दूसरी बात यह है कि उस काम के लिये जितनी मजदूरी उसे वाजिब मिलनी चाहिये उससे कम मजदूरी देकर उनसे काम न लिया जाय । इस क़िस्म की बेगार लेने की एक दो मिसालें मैं सिर्फ पंजाब के मुताल्लिक़ रखूंगा क्योंकि जो हालात पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं उनमें से एक का तो उल्लेख हमारे आसाम के एक सदस्य ने कर दिया है । चूंकि में भी एक ऐसे इलाक़े से आता हूं, जहां जंगलात ही हैं वहां तीन तरह के फारेस्ट हैं । रिजर्व्ड फारेस्ट, प्रोटेक्टेड फारेस्ट और तीसरे हमारे विलेज फारेस्ट हैं यानी जो हमारी पंचायतों के जंगलात हैं । इन तीन क़िस्म के फारेस्ट्स में पहले दो क़िस्म के जो फारेस्ट्स हैं उन में हमारे उपर एक पाबन्दी आयद होती है और वह यह है कि उन जंगलात की हिफ़ाज़त का जो काम है, वह हमारे ज़िम्मे होता है, जैसे अगर किसी समय उन में आग लग जाये, तो जितने इर्द गिर्द के गांव होते हैं वहां के सब रहने वालों को आग बुझाने के काम में बांध लिया जाता है और उन्हें जगलात में जाकर आग बुझाने का काम करना पड़ता है लेकिन उसके लिये किसी किस्म की मज़दूरी किसी शख्स को नहीं दी जाती है । हमारे कुछ राइट्स भी वहां पर मौजूद हैं और वह यह हैं कि दरख्त हमें बजाय बाजारी शरह के जमींदारी शरह पर मिलते हैं । यह राइट या सहूलियत हमें हासिल है । लेकिन साथ ही वहां पर जब काम होता है तो किसी क़िस्म की कोई छुट्टी नहीं मिलती और हमारे लोगों को वहीं पर जाकर काम करना पड़ता है, कोई आदमी तब घर पर नहीं रह सकता । इसलिये में समझता हूं कि जो पुराने रूल बने हैं जिनकी वजह से पब्लिक को खास तौर पर तकलीफ होती है उनको बदलने की सख्त ज़रूरत है । यह सही है कि भारत के संविधान में यह चीज़ आ चुकी है कि सब तरह की बेगार बन्द की जाती है लेकिन अगर इस क़िस्म की बेगार कहीं पर रायज है और जबरदस्ती लोगों से काम कराया जाता है, तो आज जब कि संविधान में हम हर प्रकार की बेगार को अनुचित क़रार दे चुके हैं, बेगार को बन्द करने के लिये उसमें और ज्यादा मुनासिब तबदीली की जरूरत है । इसी प्रकार आप देखेंगे कि जहां शर्मा जी ने इसका लुब्बे लुआब बयान किया है वहां उन्होंने यह साफ़ कर दिया है कि अगर किसी को कम मज़दूरी देकर काम कराया जाता है तो वह भी फोर्स्ड लेबर की डेफीनिशन में आ जाता है । हमारे पंजाब में जो कमीन लोग हैं उनकी मज़दूरी आजकल के हालात में बिलकुल मुनासिब नहीं है । हमारा जो दस्तूरुल अमल और वाजिबुल अर्ज़ हैं, हर एक गांव का जुदा जुदा दस्तूरुल अमल है और उस दस्तूरुल अमल में कमियां हैं जिनको कि सुधारना निहायत जरूरी है । उस के अनुसार यह जो बैकवर्ड क्लासेज हैं जैसे लुहार, तरखान, चमार और कोहनी वगैरह जो कैनाल से पानी देने का काम करते हैं, ये जितने भी आदमी हैं उनके वास्ते १८६८ के दस्तूरुल अमल में इन्दराज हुआ था, वही चीज १८९१ में चली आई और वही १९१२ में भी क़ायम रही कि उनके काम के एवज में एक खास जिनस का मियार मुक़र्रर है कि इससे ज्यादा दाने उनको मजदूरी के रूप में नहीं दिये जायेंगे, मजदूरी में उनको

[श्री हेम राज]

दाने दिये जाते है । मैं समझता हूं कि यह भी एक क़िस्म की फोर्स्ड लेबर है क्योंकि उनसे हर एक जगह जो गांव के जमींदार होते हैं वह उनसे काम लेते हैं और अगर वह काम करने को तैयार न हों, तो उनको अपने अपने गांव में भूखा मरना पड़ता है । आज इस जमाने में जब कि सारी जरूरी चीजों के भाव चढ़ गये हैं, क़ीमतें बहुत ज्यादा हो गयी हैं उनको वही सेर या दो सेर देना या तो पांच सेर दाने दे देना, और वह भी जब वह एक एक या छै छै महीने काम कर चुके होते हैं, छै महीने के बाद जिस वक्त कि फ़सल पक जायगी उसके अन्दर उनको पांच या छै सेर दाना दे देना उस सारे काम के लिये जो उन्होंने छै महीने तक किसी ज़मींदार के यहां किया है, आज की हालत में बिल्कुल मुनासिब नहीं है और बजाय मज़दूरी में उनको दाना देने के मैं चाहूंगा कि उनको उनकी उचित मज़दूरी नक़द दी जाय, कैश पेमेंट किया जाय । मैं समझता हूं यह भी फोर्स्ड लेबर की डेफिनिशन में आता है और इस क़िस्म का जो रिवाज़ चला आता है वह भी बन्द करने के क़ाबिल है । चूंकि आप भारतवर्ष को एक वेलफेबर स्टेट में या कल्याणकारी राज्य में तब्दील कर रहे हैं इस लिये इस तरह की फोर्स्ड लेबर जो है, जो हमारे नाम पर एक कलंक सी है, उस को हटाने की जरूरत है ।

इस के साथ ही मैं एक अर्ज़ यह भी कर देना चाहता हूं कि आज आप ने मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू कर दिया है, लेकिन इस के साथ ही मैं यह देखता हूं कि मेरे अपने जिले में जो चाय के बागात हैं उन में जो लड़के काम करते हैं उन को तीन तीन आने वेजेज मिलती हैं या यूं कहिये कि तीन तीन आने से ले कर पांच पांच आने तक मिलते हैं । क्या आप समझते हैं कि आज जब कि इतनी महंगाई का ज़माना है, उस वक्त इन मज़दूरों का काम ठीक से चल सकता है ? आज चाय के बागान में पुरुष को ८ आने मिलेंगे, स्त्री को ६ आने मिलेंगे और लड़के जो हैं उन को ३ आने से ५ आने तक मिलेंगे । ऐसी सूरत में अगर घर के सारे के सारे लोग काम करने चले जायें तो भी क्या एक कुटुम्ब का पेट अच्छी तरह इतने कम पैसों में भर सकता है ? ऐसी हालत में जो बिल शर्मा जी लाये हैं वह बहुत वाजिब है और उस को मंजूर कर लेना चाहिये । आज इस सम्बन्ध में जो भी खराबियां हैं, खास तौर पर बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को जो तक़लीफें हैं उन को दूर करने का मौक़ा आ गया है और यह बिल जो आया है वह बहुत हद तक इस मसले को हल करता है ।

इन शब्दों के साथ मैं शर्मा जी के बिल को सपोर्ट करता हूं ।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस बिल के लिये प्रोफेसर शर्मा को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ पेश की है, और इस में किसी को भी कोई इख्तलाफ़ नहीं हो सकता है । लेकिन मैं जिस चीज़ की तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह थोड़ी सी इस से हट कर है । जहां हम बेगार देखते हैं देहात में, गांवों में ज़मींदारों के द्वारा, मालिकों के द्वारा या और किसी एजेन्सी के द्वारा, वहां एक चीज़ यह भी देखने में आ रही है कि खुद गवर्नमेंट भी बेगार लेती है और वह बेगार होती है हमारे दफ्तरों में । बेचारे क्लर्क और हमारे दूसरे सरकारी कर्मचारी पांच बजे के बाद भी दो दो, तीन तीन घंटे, यहां तक कि चार चार और छः छः घंटे तक दफ्तरों में बैठे रहते हैं । कई बार तो रात में भी देर तक बैठे रहते हैं, फिर भी

उन को कोई मुआवज़ा या हरजाना नहीं मिलता। छोटे दर्जे के लोगों के बारे में खास तौर पर मुझे जो बात कहनी है वह यह है कि हमारी लोकल बाडीज़ के जो छोटे मुलाज़िम हैं, स्वीपर्स और स्कैवेन्जर्स के नाम पर जो मुलाज़िम रक्खे जाते हैं उन से भी फोर्स्ड लेबर ली जाती है। अभी मैं परसों नाभा से आया हूं वहां सफाई पेशा मज़दूरों का एक डिस्प्यूट था। जब वहां बातचीत की तो मालूम हुआ कि वह लोग सुबह ९ बजे काम पर जाते हैं और १० बजे दिन को उन की ड्यूटी खत्म होती है। २ बजे फिर वह आते हैं। यह जो दरम्यान का वक्त उन को खाने पीने और आराम करने के लिये मिलता है उस में भी उन के आफिसर्स उन से वह काम लेते हैं जो कि उन की ड्यूटी नहीं है। एक शख्स को, जो कि झाड़ू लगाता है, ईंटें उठाने के काम में लगा दिया जाता है, कभी बजरी वगैरा को उठाने के काम में लगा दिया जाता है। और जो वक्त उन को १० बजे से २ बजे तक खाना खाने और आराम करने के लिये मिलता है वह इस तरह से चला जाता है। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूरतों में यह ग़रीब मुलाज़िम बेगार करने में मुब्तला हैं। म्युनिसिपैल्टियों के मुलाज़िम हर तरह के कामों के लिये मजबूर किये जाते हैं। मेजें उठाने के लिये, कुर्सियां उठाने के लिये और दूसरी सब बेगारों के लिये बंधे होते हैं। कोई शख्स उफ नहीं कर सकता है, जबान तक नहीं हिला सकता है क्योंकि उन की मुलाजमतों के लिये अभी तक गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया है, उन की हिफ़ाजत का कोई इन्तजाम नहीं है, अगर वह कुछ बोलते हैं तो वह दूसरे दिन मुलाजमत से अलग कर दिये जाते हैं।

इस लिये बहुत ज्यादा न कहते हुये मैं यही कहूंगा कि जहां हम प्राइवेट क्षेत्र में बेगार को बन्द करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं वहां हम को यह चीज़ भी देखनी है कि खुद हमारी सरकारी मैशिनरी में काम करने वाले आदमी जो बेगार में लगा दिये जाते हैं, वह भी रुके। एक मिनिस्ट्री के एक नौजवान ने मुझे बतलाया कि वह कालेज में ला की तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन उस गरीब को शाम को दो, तीन घंटे काम पर लगा दिया जाता है और पिछली बार २६ जनवरी तक को वह काम पर लगा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि युनिवर्सिटी ने कहा कि चूंकि तुम्हारे लेक्चर कम है इस लिये तुम इम्तहान में नहीं बैठ सकते। यह बड़े दुख की चीज है और इस तरफ हम को ध्यान देना है। जब हम फोर्स्ड लेबर बन्द कर रहे हैं तो चाहे वह हमारे घर के अन्दर हो या बाहर उस को हर जगह पर बिल्कुल बन्द करना चाहिये ताकि जो हमारी गरज़ है वह पूरी हो।

इन शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर शर्मा बिल की ताईद करता हूं।

श्रम मंत्री (श्री खड़ूभाई देसाई) : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, माननीय प्रस्तावक का यह उद्देश्य है कि बेगार किसी भी रूप में न ली जाय। संविधान के अनुच्छेद २३ में भी यह उपबन्ध दिया गया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७४ में बेगार कराने वाले के लिये दण्ड का विधान है। इस विधेयक में इस अपराध को हस्तक्षेप बनाने की प्रस्थापना है। देखने में यह विधेयक बड़ा सरल जान पड़ता है किन्तु इस की क्रियान्विति बहुत कठिन हो जायगी। यदि कोई विधान व्यवहार में न आ सके तो उस का सारा महत्व ही समाप्त हो जाता है।

चार पांच खण्डों के इस छोटे से विधेयक में श्री डी० सी० शर्मा ने काम के घन्टे और वेतन की दरें भी जोड़ दी हैं। जैसा कि सभा को ज्ञात है काम के घंटे या तो फैक्टरी अधि-

[श्री खंडूभाई देसाई]

नियम द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं या नगरीय क्षेत्रों में दूकान सहायक अधिनियम द्वारा। जहां तक वेतन का प्रश्न है वे न्यूनतम मजूरी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। मुझे सभा के सन्मुख न्यूनतम मजूरी अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिये एक विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत करना होगा। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित उद्योगों के लिये उपबन्ध है। जहां तक अनुसूची १ का सम्बन्ध है, लगभग सभी राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। अनुसूची २ में कृषि सम्बन्धी श्रम का निर्देश है, और यद्यपि कुछ स्थानों पर इसे लागू करने का प्रयत्न किया गया है फिर भी यह काम अभी नहीं हो पाया है। अभी हम भूमि सुधार के कार्य को प्रारम्भ ही कर रहे हैं, इसलिये भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। जब न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू हो जायगा तब हम जान सकेंगे कि इन क्षेत्रों में कितनी मजूरी दी जानी चाहिये। यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया तो इसे लागू करने के लिये भी एक बड़े शासन यंत्र की आवश्यकता होगी। यह बात भी सभा को ध्यान में रखनी चाहिये।

मैं जानता हूं कि भाग ख में के राज्यों में बेगार बहुत ली जाती थी। सम्भव है उन राज्यों में बेगार अब भी हो, अतः उन से कहा गया है कि वे इसे दूर करने के लिये नियम बनायें और वे संविधान में किये गये उपबन्ध के अनुसार समुचित कार्यवाही कर रहे हैं; फिर भी यहां जो चर्चा हुई है वह बड़ी उपयोगी है और ये बातें विभिन्न राज्यों को बता दी जायेंगी जिससे कि वे संविधान के अनुसार अपने नियमों को सुधार लें।

पुराने वन अधिनियमों के अनुसार कुछ वन्य प्रदेशों में प्रचलित बेगार के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु इसे हम पूर्णरूपेण बेगार नहीं कह सकते हैं क्योंकि आसाम और अन्य अर्द्धविकसित क्षेत्रों में बहुत सी भूमि कम लगान पर या बिना लगान दी जाती है और उस के बजाय उन से कुछ काम करने को कहा जाता है, जिसे वे स्वेच्छापूर्वक करते हैं। फिर भी ये बातें राज्य सरकार को अवश्य बताई जायेंगी। ताकि सब काम समय के अनुसार होता रहे और आशा है कि राज्य सरकारें इसे अवश्य स्वीकार करेंगी। जहां तक धारा ३७४ का प्रश्न है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसे हस्तक्षेप्य अपराध बनाया जाय या नहीं।

सभा को मैं ने जैसा आश्वासन दिया है उस के अनुसार मैं आशा करता हूं कि श्री डी० सी० शर्मा अपने विधेयक को वापस ले लेंगे क्योंकि उन का और सरकार का दृष्टिकोण एक ही है। सरकार स्वयं बेगार के विरोध में है। सभा में जो चर्चा हुई है उस की ओर सरकार ही नहीं अपितु समस्त देश का ध्यान आकर्षित हुआ है और जैसा मैं ने कहा है, संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार राज्यों से पहले ही अनुकूल नियम बनाने के लिये कह दिया गया है।

श्री डी० सी० शर्मा : इस विधेयक को इतना समर्थन देने के लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति ने इस को अधिक समय नहीं दिया तथापि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री नम्बियार (मयूरम) : इस का तो निर्विरोध समर्थन किया गया है।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने भाग ख में के राज्यों पर यह आरोप लगाया है कि वहां बेगार अभी तक प्रचलित है किन्तु उन्हें ज्ञात होगा

कि भाग क में के राज्य भी इस से मुक्त नहीं हैं । मेरे पास अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त का १९५३ का प्रतिवेदन है जिस में हैदराबाद तथा अन्य राज्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है । मद्रास के विषय में भी पृष्ठ ४१ पर कहा गया है कि आदिम जातियों में मुतादार की वही स्थिति है जो अन्य स्थानों पर ज़मींदार की थी । वह लोगों से बेगार लेता है । इसी प्रकार बम्बई के लिये भी कहा गया है । वहां एक रुपया चार आने की सामान्य मजूरी के स्थान पर केवल छै आने मजूरी दी जाती है । यह मामला हम सब का है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है । जो स्वेच्छा से कार्य करते हैं उन्हें भी उचित मज़दूरी नहीं दी जाती है । संविधान में इसका उल्लेख होने पर भी गत सात वर्षों में कुछ नहीं किया गया है ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : श्रमदान भी तो मुफ्त में कराया गया कार्य है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य श्रमदान के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं करते हैं । यह कार्य तो शास्त्रविहित है और भारत के बड़े से बड़े नेताओं ने इसे प्रोत्साहन दिया है ।

माननीय मंत्री ने अन्य प्रदेशों में काम करने वालों के लिये कहा है कि उन्हें भूमि दी जाती है, किन्तु मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह बहुत कम है और उस की अपेक्षा काम कहीं अधिक लिया जाता है । इस प्रकार की बेगार अवांछनीय है । सभा में तो यहां तक कहा गया है कि बेगार बन्द कर दी गई है किन्तु मैं अनेक उदाहरण ऐसे प्रस्तुत कर सकता हूं जिन में बड़ी क्रूरता के साथ बेगार ली जाती है ।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को समस्त राज्यों में परिचालित किया जाय और उन की सम्मति ज्ञात की जाय । माननीय मंत्री ने आश्वासन तो बहुत दिया है किन्तु यह नहीं बताया है कि वह इस विषय में क्या कार्यवाही करेंगे । मुझे इस विधेयक को वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मुझे विश्वास हो जाये कि सरकार इस विषय पर शीघ्र ही ध्यान देगी और उचित कार्यवाही करेगी ।

डा० एन० बी० खरे : माननीय सदस्य ने मेरे कथन से शायद यह समझ लिया है कि मैं इस विधेयक का विरोधी हूं । उन्होंने शास्त्रों का भी उल्लेख किया है । मैं तो उन से केवल यह पूछता हूं कि क्या श्रमदान को हम मुफ्त श्रम कार्य नहीं कह सकते हैं ?

सभापति महोदय : आप निश्चित रहिये, आप के कथन से कोई सन्देह उत्पन्न नहीं हुआ है । विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाती है ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती जयश्री (बम्बई--उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

> "महिला तथा बाल संस्थाओं का विनियमन तथा अनुज्ञापन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय ।"

हम सब जानते हैं कि निर्धनता के कारण, असैनिक नियमों के एकपक्षीय होने के कारण और बाल विवाह, दहेज आदि अनेक कुप्रथाओं के कारण महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार किया जाता है । अतः हम उन को सहायता देना तथा

[श्रीमती जयश्री]

अनाथों और निराश्रितों को आश्रय देना चाहते हैं ।

भारतवर्ष में अनेक संस्थायें ऐसी हैं जो महिलाओं तथा बच्चों के हित में लगी हुई हैं । ऐसी संस्थायें बम्बई में भी हैं और देश के अन्य भागों में भी वे कार्य कर रही हैं, किन्तु अनेक संस्थायें ऐसी हैं जो परोपकार की आड़ में भ्रष्टाचार की केन्द्र हैं और जिन में स्त्रियों तथा बच्चों की बड़ी दुर्गति हो रही है ।

अतः यह विधेयक ऐसी संस्थाओं पर कठोर नियंत्रण करने के लिये प्रस्तुत किया गया है और साथ ही इस से सुन्दर संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपना काम सुचारु रूप से कर सकेंगी ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि :

> "कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी से लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी भी नाम से कोई बाल या महिला संस्था नहीं स्थापित करेगा या चलायेगा और किसी महिला या बालक को उस के पति, माता-पिता या वैधानिक संरक्षक के बिना न प्राप्त करेगा और न देखरेख करेगा"

और इस कार्य के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि :

> "ऐसी किसी संस्था के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के हेतु निर्धारित प्रपत्र पर लिखा गया आवेदन पत्र महिलाओं तथा/अथवा बालकों की देखरेख करने वाली संस्था के मैनेजर के द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकार को भेजा जायेगा ।"

अखिल भारतीय नैतिक तथा सामाजिक आरोग्य-विज्ञान-संस्था ने अपने १९५३ के प्रतिवेदन में कहा है कि :

> "इस वर्ष अखिल भारतीय नैतिक तथा सामाजिक आरोग्य-विज्ञान संस्था ने इस व्यवसायिक पाप का नियंत्रण करने के लिये दो महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारूपण किया । एक समस्त भारत में अनैतिक पण्य को रोकने के विषय में था । यह अनुभव किया गया कि इस सम्बन्ध में कोई एकरूपा केन्द्रीय विधान होना चाहिये । एक प्रारूप भारत सरकार के गृह-मंत्रालय को भेजा गया है ।"

> "दूसरा विधेयक महिलाओं तथा बालकों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के पंजीयन, वार्षिक अनुज्ञापन तथा सुपरिवीक्षण के सम्बन्ध में था। ऐसे विधान की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं कि . . ।"

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्या को बता दूं कि इस विधेयक पर इस सभा में दो बार चर्चा हो चुकी है । दूसरे अवसर पर इस विधेयक पर चर्चा सरकार के इस आश्वासन पर कि सरकार स्वयं एक ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत करने को थी, अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित कर दी गई थी । विधि मंत्रालय में मंत्री ने कहा था कि जहां तक कि महिलाओं के अनैतिक पण्य को रोकने तथा महिलाओं तथा बालिकाओं की संस्थाओं के अनुज्ञापन के प्रश्न का सम्बन्ध था, यह सब बातें सरकार द्वारा २० दिसम्बर, १९५४ को पुरःस्थापित किये गये महिला तथा बालिका अनैतिक पण्य दमन विधेयक के अन्तर्गत आ जाती थीं । जहां तक बालकों का सम्बन्ध है अपेक्षित उपबन्ध बाल विधेयक में, जिसे राज्य सभा

ने २८ अप्रैल, १९५४ को पारित किया था, कर दिया गया है। अतः माननीय सदस्या को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

इस विधेयक पर चर्चा के लिये एक घन्टे का समय निश्चित किया गया है।

श्रीमती जयश्री : मैं यह कह रही थी कि यह दो प्रारूप नैतिक तथा सामाजिक आरोग्य-विज्ञान संस्था द्वारा भेजे गये थे। हम यह प्रतीक्षा करते रहे कि शायद गृह मंत्रालय इस विधान को पुनःस्थापित करे। परन्तु क्योंकि ऐसा नहीं किया गया अतः यह गैर-सरकारी विधेयक लाना आवश्यक हुआ।

महिलाओं तथा बालिकाओं के अनैतिक पण्य के दमन के सम्बन्ध में १९५० में पारित किया गया जिनिवा अभिसमय का अनुच्छेद २७ यह उपबन्ध करता है कि इस अभिसमय में भाग लेने वाला प्रत्येक देश अपने संविधान के अनुसार इस अभिसमय को लागू करने का सुनिश्चय करने के लिये आवश्यक विधान बनायेगा। हमें यह आशा थी कि सरकार कोई ऐसा विधान प्रस्तुत करेगी परन्तु हमारी आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि मूल प्रारूप में एक खंड १९ जोड़ा गया है जिसमें यह उपबन्ध है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत जितने चाहे आश्रित गृह खोल सकती है और उनकी देख रेख कर सकती है। साथ ही यह भी उपबन्ध है कि राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई अनज्ञप्ति के अलावा कोई आश्रित गृह न स्थापित कर सकता है और न उसकी देख रेख कर सकता है।

मुझे आशा है कि बाल विधेयक में भी इस प्रकार का उपबन्ध किया जायेगा क्योंकि अनैतिक पण्य दमन विधेयक केवल महिलाओं पर ही लागू होता है। पिछले अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार एक बाल विधेयक पुनःस्थापित करने का विचार कर रही थी। उपेक्षित तथा अपचारी बालकों की समस्या पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित बाल विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह भाग 'ग' में के राज्यों पर भी लागू होता है। राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और अब इसे लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस विधेयक में यही त्रुटी है कि यह सभी राज्यों के लिये एक आदर्श विधेयक नहीं है। कई राज्यों के बाल अधिनियम इस विधेयक से कहीं अधिक प्रगतिशील हैं। बम्बई राज्य के बाल अधिनियम में तो ऐसे गृहों के सार्वधिक निरीक्षण का उपबन्ध है उनका किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है।

एक आदर्श बाल विधेयक बनाने के लिये एक समिति १९४९ में नियुक्त की गई थी, और हमने उससे बहुत आशायें लगाई थीं। परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आशाये दुराशायें मात्र बन कर रह गई हैं। अतः मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे और राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक में सुधार करेंगे।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर)। मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक बिल्कुल वही है जो श्रीमती मणिबेन पटेल और श्रीमती उमा नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जो भी आश्वासन उस समय दिये गये थे वह वर्तमान विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।

जिनिवा अभिसमय का निर्देश किया गया था। वह १९५० में हुआ था। माननीय गृह मंत्री ने महिलाओं तथा बालिकाओं के

[श्री पाटस्कर]

अनैतिक पण्य का दमन करने के लिये एक विधयक पुरः स्थापित कर दिया है । उस विधेयक का खंड १९ सरकार को ऐसी संस्थाओं को जो महिलाओं तथा बालिकाओं की देख रेख करने के लिये चालू की गई हों अनुज्ञप्तियां देने का अधिकार देता है । अतः महिलाओं तथा बालिकाओं की समस्या पर समग्र रूप से विचार करते हुये वह विधेयक महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षण प्रदान करेगा ।

सरकार कुछ छुपाना या गुप्त रखना नहीं चाहती है। परन्तु हमारे समक्ष जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ किया जाना शेष है तथा उसे किस प्रकार किया जाना चाहिये इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिये । मैं सभी तथ्य माननीय सदस्यों के समक्ष रख देना चाहता हूं । मेरे विचार से यह सभी बातें माननीय गृह मंत्री द्वारा गत दिसम्बर में पुरःस्थापित विधेयक में आ जाती हैं । इस सभा को उस पर चर्चा करने का शीघ्र ही अवसर प्राप्त होगा ।

अब प्रश्न बालकों का रह जाता है । मेरा निवेदन है कि इस के सम्बन्ध में भावुकता प्रकट करना ही पर्याप्त नहीं है, हमको देखना यह है कि हमारी क्षमता कितनी है। संविधान के अनसार हम केवल भाग 'ग' में के राज्यों के सम्बन्ध में बालगृह स्थापित करने, उनका निरीक्षण किये जाने, उनके अनुज्ञापन के विषय में हम विधान बना सकते हैं। अतः माननीय शिक्षा मंत्री ने बाल विधेयक पुरःस्थापित किया । यह केवल भाग 'ग' में के राज्यों के लिये है । यह केवल अपचारी बालकों के सम्बन्ध में ही है ।

राज्य सूची की प्रविष्टि ४ कारागारों, सुधारालयों, बोर्स्टल संस्थाओं तथा वैसी ही अन्य संस्थाओं तथा उनमें निरुद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में है । राज्य सूची की प्रविष्टि ११ शिक्षा का निर्देश करती है । यह सभा केवल समवर्ती सूची की प्रविष्टि २८ के अन्तर्गत जो दान तथा धर्मादा संस्थाओं के सम्बन्ध में है, कार्यवाही कर सकती हैं। यह भी संदेहास्पद है कि क्या हम इस प्रविष्टि के आधार पर कोई अखिल भारतीय विधान बना भी सकते हैं या नहीं। वैसे तो अनैतिक पण्य दमन विधेयक में भी कुछ संवैधानिक कठिनाई है उसके लिये हमें एक दूसरी प्रविष्टि पर निर्भर रहना है । जब हमारा देश किसी अन्य देश के साथ कोई करार करता है अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार या अभिसमय में एक पक्ष होता है केवल तभी हम उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के आधार पर ही कोई अखिल भारतीय विधान बना सकते हैं। अतः वह विधेयक केवल महिलाओं तथा बालिकाओं के लिये ही पुरःस्थापित किया गया था। इस का यह अर्थ नहीं है कि हमारा बालिकाओं के प्रति कुछ पक्षपात है और हम बालकों की उपेक्षा करते हैं। क्योंकि उक्त अभिसमय के अन्तर्गत हम केवल महिलाओं तथा बालिकाओं के सम्बन्ध में ही विधान प्रस्तुत कर सकते थे, अतः यह संदेहास्पद है कि हम बालकों को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं या नहीं । तथापि यह एक ऐसा विषय है जिस पर विधेयक पर चर्चा होते समय विचार किया जा सकता है ।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं । हम नहीं चाहते थे कि इस विधेयक में कोई ऐसी बात रखी जाये कि जिससे सारा विधेयक ही शक्ति परस्तात होने के कारण खतरे में पड़ जाये, अन्यथा सरकार को थोड़े से बालकों को इस से बाहर रख कर क्या प्राप्त होता है ? यदि उन्हें इस में सम्मिलित किया जा सकता तो हम कर लेते । दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका । जैसा कि मैं ने कहा है, सरकार उसी समय से राज्य सरकारों से पत्र-

व्यवहार करती रही है जब से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। कई राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये विधि बनाने की सहमति प्रकट की है क्योंकि मुख्यतया तो यह राज्य सरकारों का ही कर्तव्य है। यदि केन्द्र इस सम्बन्ध में कोई विधि पारित भी कर दे तब भी विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये निरीक्षक आदि तो राज्य सरकारों को ही नियुक्त करने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि सरकार थोड़े से बालकों के हितों की ओर ध्यान नहीं देती अथवा वह बालिकाओं को प्राथमिकता देती है। हमारे लिये सभी बच्चे समान हैं। यह जो कठिनाई है, वह संविधानिक है और यह मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैं इसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकता। जहां तक इन बच्चों का सम्बन्ध है उनके बारे में वैध रीति से क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिये माननीय सदस्यों को देखने का अवसर मिलेगा। यदि यह सम्भव हुआ और यदि हम उस प्रथा को इतना विस्तृत कर सके कि लड़कों को भी सम्मिलित कर लिया जाये तो कोई कारण नहीं कि उन्हें सम्मिलित न किया जाये। मैं यह बार-बार कह चुका हूं कि सरकार स्वयं इस कार्य को करने के लिये बहुत उत्सुक है। इसे इधर उधर करने अथवा लम्बित रखने की सरकार की कोई इच्छा नहीं है।

इसके पश्चात् पूछा जा सकता है कि इस विधेयक को क्यों न लिया जाये? इस सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई यह है—यदि आप विधेयक में की परिभाषाओं को देखें तो पता लगेगा कि—

> "'संस्था' में अनाथशाला, देखरेख गृह, सहायता गृह, आश्रम और अन्य ऐसी शालायें जो सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा चलाई गई हों, सम्मिलित हैं.."

राज्य सरकारों ने अपने अधिकारों में जो संस्थायें चलाई हैं हम उन के लिये अनुज्ञप्तियां कैसे जारी कर सकते हैं। महिला सदस्य ने कहा है कि बम्बई राज्य का अधिनियम इससे उत्तम है और वहां पर राज्य सरकार कार्य को अच्छे ढंग से चला रही है। यदि यही बात है तो फिर हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यतया यह कृत्य राज्य सरकार का है। आखिर जब अधिनियम बना भी दिया गया तब कौन इसको लागू करेगा? इसे लागू तो राज्य सरकारों ने ही करना है। मैं इसमें इन सरकारी संस्थाओं के सम्मिलित किये जाने का कोई कारण नहीं समझ रहा। सरकारी संस्थाओं को किन्हीं अनुज्ञप्तियों की आवश्यकता नहीं है।

अब इस विधेयक में, जिसे कि समझौते के आधार पर लाया गया है जिसमें हमने भी भाग लिया था, हम बालकों को सम्मिलित नहीं कर सकते। सारांश यह है कि किसी माननीय सदस्य के मन या मस्तिष्क में यह सन्देह नहीं रहना चाहिये कि हम बालकों के बारे में किसी प्रकार का मतभेद कर रहे हैं क्योंकि अपराधी बालकों की व्यवस्था अन्य अधिनियमों के अधीन भी होती है। जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, वहां तो पहले ही एक ऐसी धारा है जिस के अन्तर्गत उन्हें निरीक्षण करने के अधिकार हैं।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): बम्बई में तो है किन्तु बिहार जैसे अन्य राज्यों में तो नहीं हैं।

श्री पाटस्कर: मैं माननीय महिला सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि बिहार वालों ने इस प्रकार की विधि बनाना स्वीकार कर लिया है। सम्भवतया उन्होंने इस प्रकार

[श्री पाटस्कर]

का एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया है और अभी वह पारित नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में केवल इसी स्थान पर विचार ही नहीं हो रहा। समस्त देश सारा समाज इस समस्या के बारे में सतर्क है। सारी राज्य सरकारें इस की समर्थक हैं। कई राज्य सरकारों ने विधियां बना दी हैं और कई बनाने को तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इस मामले में यथासम्भव कार्यवाही करेंगी।

मैं ने इस विधेयक पर पर्याप्त समय लिया है, क्योंकि में इसके समर्थकों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि जो कुछ भी सम्भव ह—वह इस सम्बन्ध में किया जा रहा है—और सरकार इस बारे में पूरी तरह जागरूक है। जो लोग इस विधेयक में रुचि रखते है, उन्हें चाहिये कि इस मामले को उस समय उठायें जब बाल-विधेयक सभा के समक्ष आ जाये। उन्हें उन राज्य सरकारों के द्वारा भी ऐसा कार्य करना चाहिये जिन में अभी ऐसी विधि नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस विधेयक के उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत है। केवल केन्द्रीय सरकार ही नहीं, किन्तु राज्य सरकारें भी इस विधि की समर्थक हैं और उस दशा में समस्त सम्भव कार्यवाही करने का प्रयास कर रही हैं।

मेरे विचार में इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुये इस विधेयक पर आगे चलना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे पर्याप्त उलझनें पैदा हो जायेंगी। सरकार ने बालिकाओं सम्बन्धी एक विधेयक तो प्रस्तुत कर ही रखा है, तो फिर सरकारी संस्थाओं के बारे में दूसरे विधेयक की क्या आवश्यकता है। यदि बाल विधेयक तथा महिला विधेयक इतने व्यापक नहीं हैं तो उसके कारण कुछ संविधानिक कठिनाइयों से सम्बन्धित हैं— क्योंकि सरकार के मार्ग में कुछ इसी प्रकार की अड़चनें आती हैं। किन्तु इस विषय में सरकार भी उतनी ही उत्सुक है जितनी कि अन्य कोई और। मेरे विचार में इस विधेयक के समर्थक इस आश्वासन से सन्तुष्ट हो जायेंगे।

सभापति महोदय : क्या माननीय महिला सदस्य चाहती हैं कि उनका प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा जाये ?

श्रीमती जयश्री : आश्वासन को दृष्टि में रखते हुये मैं चाहती हूं कि मेरे इस विधेयक पर विचार स्थगित किया जाये।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक

(नयी धारा १५ क का रखा जाना)

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम १९२६, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं इस श्रेष्ठ सभा में ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधेयक द्वारा यह मांग की गई है कि सरकार तथा नियोजक विद्यमान विधि के अधीन निर्मित कार्मिक संघों को मान्यता दें। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस विधयक की धारा १५ के पश्चात्

एक नई धारा रखी जाये—जिसका सारांश यह है : कि प्रत्येक पंजीबद्ध कार्मिक संघ को सरकारी अथवा गैर-सरकारी नियोजक मान्यता देगा ।

परन्तु ऐसे संघ की सदस्यता कुल कार्मिकों की सख्या का ५ प्रति शत अवश्य हो और यदि दर्ज हुये सदस्यों के दावों के सम्बन्ध में झगड़ा हो जाये तो मान्यता देने के प्रयोजन से सारे नियुक्त कर्मचारियों का गुप्त मत लिया जाये ।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में, मैंने बता दिया है कि यह विषय आरंभ से ही विवादास्पद रहा है । आरंभ से ही नियोजक कार्मिक संघों को मान्यता देने में इन्कार ही करते रहे हैं । श्रमिकों का यह बुनियादी अधिकार है कि वे ऐसे संघ बनायें और किसी सभ्य देश में उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाता । किन्तु हमारे महान देश में नये संविधान के होते हुये भी मान्यता देने से इन्कार ही किया जाता है । यह हमारा दुर्भाग्य है । भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६, में १९४७ में एक संशोधन प्रस्तुत हुआ था और अनिवार्य मान्यता देना सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर लिया गया था । केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसमें यह भी था कि किस प्रकार से संघों को पंजीबद्ध किया जाये तथा मान्यता दी जाये । उसमें यह उपबन्ध भी था कि इस विधि को सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर लागू करेगी—किन्तु अभी तक वह अधिसूचना नहीं निकाली गई है । उसी कारण से अब अनिवार्य मान्यता दिये जाने से इन्कार किया जाता है ।

यदि वह सिद्धान्त उस विधेयक में लगा दिया गया होता तो मुझे यह विधेयक प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता न होती । मैं आपको बता सकता हूं कि सरकार ने किन कारणो से इस बात की स्वीकृति नहीं दी—कारण यह है कि इस देश के बड़े बड़े नियोजक इस काम का विरोध करते हैं—इसलिये सरकार ने उन लोगों के दबाव में आकर मामले को खत्ते में डाल दिया । खैर, आवड़ी अधिवेशन के बाद तो सरकार के पास मान्यता के अधिकार न देने के लिये कोई कारण नहीं हैं । अब तो हमने अपने समाज के लिये एक समाजवादी ढांचा स्वीकार किया है । संभव है कि अब माननीय मंत्री यह कहदें कि वह अधिसूचना जारी करने के लिये तैयार हैं । किन्तु यह तो उनका काम है ।

१९४७ की असफलता के बाद श्री जगजीवन राम, जो उस समय श्रम मंत्री थे, ने भी एक और प्रयत्न किया था और एक विधेयक प्रस्तुत किया था । उस विधेयक की कड़ी आलोचना हुई थी और उसको इस देश के श्रमिक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे—यह सब ठीक है—किन्तु उस विधेयक के अध्याय ५ में भी कार्मिकों के संघों को मान्यता देने का उपबन्ध था । उसमें समझौता कराने वाले अधिकारियों के रखे जाने तथा सामूहिक व्यवसाय, आदि के भी उपबन्ध थे ।

इसका अर्थ है कि मान्यता के सिद्धान्त को हम लोग दो बार स्वीकार कर चुके हैं । मैं सभा को विभिन्न रुचि के दलों तथा श्रम मंत्री के आश्वासनों के बारे में भी बताना चाहता हूं—किन्तु इतना कुछ होने पर भी कुछ नहीं किया गया है ।

निस्सन्देह मुझे यह पता है कि अब श्रमिकगण डर रहे हैं—और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं—इसका परिणाम यह हुआ है कि नियोजक कुछ तो झुकने लगे हैं ।

किन्तु मान्यता के यह अधिकार देने में वे लोग अब भी आनाकानी कर रहे हैं । भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री वी० वी० गिरि ने भी यह आश्वासन दिया था कि वह एक व्यापक श्रम विधेयक पुरःस्थापित करेंगे—

[श्री नम्बियार]

खैर ! वह तो अब मंत्री नहीं रहे किन्तु उनके उत्तराधिकारी जो कि एक विख्यात श्रमिक नेता हैं, अवश्य ही श्री गिरि के पद-चिन्हों पर चलेंगे । यद्यपि यहां के श्रम मंत्री श्रमिकों से सहानभति रखते हैं, फिर भी उनके लाभ के लिय कुछ नहीं किया जाता ।

श्री गिरि ने अक्तूबर, १९५२ म नैनीताल में भाषण देते हुये यह बात कही थी कि राज्य सरकारें ऐसे मिश्रित संघों को मान्यता देने से इन्कार करने के पक्ष में है जिनमें सारे के सारे असैनिक कर्मचारी न हों। श्रमिकों के संगठन भी इस बात का विरोध करते हैं। यह वचन १९५२ में दिया गया था।

इस के बाद फिर यह बात माननीय मंत्री ने स्पष्ट कर दी थी "कि जहां तक मान्यता देने का सम्बन्ध है इस विषय में विभिन्न रायें हैं—एक तो यह है कि सब से अधिक सदस्यों वाले संघ को नियोजक मान्यता दे, और दूसरे यह कि कई संघों को मान्यता दी जाये । नियोजकों के संगठन केवल एक ही संघ का मान्यता देने के पक्ष में हैं । बहुत सी राज्य सरकारों का भी यही विचार है—अधिक लोगों की यही राय थी ।"

इसका अर्थ यह है कि मान्यता देने के प्रश्न पर तो कोई विवाद नहीं है । इसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न संगठनों ने स्वीकार किया है । किन्तु विवादास्पद बात यह थी कि मान्यता कैसे और किसे दी जाये । श्री गिरि ने इसी बात को स्वीकार किया है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । मैं सभा के सामने कुछ एक कर्मचारी संघों के दृष्टिकोण भी रखूंगा ।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी सन्था के श्री जी० जी० मेहता ने नैनीताल सम्मेलन में कहा था कि श्रम सम्बन्धों के विनियमन के लिये पहली बात यह होनी चाहिये कि नियोजकों को बाध्य किया जाये कि वे पंजीबद्ध कार्मिक संघों को अनिवार्य रूप में मान्यता प्रदान करें ।

इसके बाद श्री वी० वी० द्रविड, जो कि मध्य भारत के श्रम मंत्री हैं, ने भी उस सम्मेलन में यही कहा था ।

मध्य भारत के श्रम मंत्री, बम्बई के श्रम मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के श्री हाल्डैर सभी ने एक मत से यह कहा है कि कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य है ।

सभी उपयुक्त व्यक्ति साम्यवादी नहीं हैं । तथापि इस सम्बन्ध में सभी का निर्विवाद मत यह है कि कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता प्रदान करना आवश्यक है । मेरा निवेदन है कि इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय तथा उसी के आधार पर विधान निर्मित किया जाय ।

मैं ने अपने विधेयक में मान्यता देने की पद्धति पदाधिकारी तथा उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी संकेत किया है तथापि ये केवल सुझाव हैं । पहिली बात यह है कि मान्यता अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिये ।

दूसरा प्रश्न यह है कि मान्यता देने की शर्तें तथा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में विभिन्न संघों के पृथक् पृथक् मत हैं । उदाहरणार्थ यदि अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस जिसका मैं एक सदस्य हूं सभी वर्तमान संघों को अनिवार्य मान्यता देने की सिफारिश करती है तो 'इनटक' की सम्मति है कि केवल अधिकतम समर्थन प्राप्त संघों को ही मान्यता प्रदान की जाय । अन्य संघों में भी इस मामले

में मतभेद है। ब्रिटेन में यह उपबन्ध है कि सभी कार्मिक संघों को, सम्मान प्रदान किया जाता है, उनका पंजीयन होता है और उन्हें मान्यता दी जाती है।

मैं ने अपने विधेयक में इस सम्बन्ध में यह रियायत दी है कि न्यूनतम ५ प्रतिशत सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिये।

भारत में पेहिले कार्मिक संघों को पंजीयित किया जाता है, तत्पश्चात् उन्हें सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा ऐसी ही अन्य बातों के लिये सरकार से, न कि नियोजक से मान्यता मिलती है। राज्य सरकारें भी इन संघों को पंजीयन तथा प्राप्ति आदि के प्रयोजन से मान्यता प्रदान करती हैं। मान्यता प्रदान करने में उपयुक्त शर्तों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये, किन्तु ये शर्तें उचित और सुसंगत होनी चाहियें तथा सरकारी सदस्यों को इनके सम्बन्ध में हमसे परामर्श करना चाहिये। यही मेरा मुख्य प्रश्न है।

अब नियोजकों का प्रश्न आता है। वे इस प्रश्न को अधिक दिनों तक नहीं टाल सकते हैं। इन्हें अवश्य ही इसको मान्यता प्रदान करनी पड़ेगी। सरकार इन्हें समझा सकती हैं, इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मान्यता के प्रश्न पर हमें झगड़ना नहीं चाहिये। हम इस पर इस सभा में चर्चा कर के उचित निर्णय कर सकते हैं।

यदि सरकार इस काम को शीघ्रता से नहीं कर सकती तो एक अन्य विकल्प भी है: वह यह कि १९४७ का अधिनियम सरकारी सूचनापत्र में एक अधिसूचना के द्वारा पुनः लागू किया जाय। इससे कार्मिक संघों को मान्यता भी मिलेगी तथा कुछ अधिकार भी प्राप्त होंगे।

अब मैं उन औद्योगिक सघों के सम्बन्ध में कहूंगा जहां सरकार स्वयं ही नियोजक है। कुछ समय पहिले रेलवे मंत्री ने कहा था कि किसी भी कार्मिक संघ को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न तब तक नहीं उत्पन्न होता जब तक कि वह रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के ही किसी अवयव से सम्बन्धित न हो। चाहे स्वयं कर्मचारी संघ को न माने और न संघ (फैडरेशन) को माने, लेकिन चूंकि सरकार ऐसा कहती है, रेलवे मंत्रालय ऐसा कहता है, अतः कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। एक जनतंत्रवादी देश में समाजवादी रूप रेखा की समाज की यह आधुनिकतम प्रणाली है।

६,००० मील चलने वाली दक्षिणी रेलवे में ही १३,००० कर्मचारी हैं तब भला मद्रास में हुई एक बैठक देश के अन्य भागों के कर्मचारियों का हित किस प्रकार कर सकती है?

भूतपूर्व श्रम मंत्री ने अपने एक सुझाव में कहा कि १० लाख रेलवे श्रमिकों के लिये केवल एक संघ होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार सम्भव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकारी उद्योगों तथा रेलवे, डाक और तार तथा रक्षा विभाग के असैनिक संगठनों तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को अपना गत निश्चित करना चाहिये। सरकार को यह कहना चाहिये कि वह प्रतिनिधित्व करने वाले संघों को मान्यता प्रदान करेगी। एक विशेष संख्या में सदस्यों वाले संघों को मान्यता प्राप्त होनी चाहिये। एक उद्योग के लिये एक संघ का आदर्श वास्तव में आकर्षक है किन्तु जिस प्रकार हम समाजवादी रूपरेखा का आदर्श नहीं प्राप्त कर सके उसी प्रकार एक उद्योग का एक संघ का आदर्श भी ऊपर से नहीं थोपा जाना चाहिये।

श्रमिकों को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह जिस संघ में चाहें, उसमें सम्मिलित

[श्री नम्बियार]

हो सक । कुछ समय पश्चात् ये विभिन्न संघ सहयोग से एक हो जायेंगे, तो एक संघ का आदर्श प्राप्त हो सकेगा ।

सरकार को श्रमिक मंडलों के नेताओं का स्वागत करने, उनसे वार्ता करने तथा उनके पत्रों के उत्तर देने से कोई हानि नहीं होगी । सरकार को इससे भयभीत नहीं होना चाहिये ।

यदि वे सोचते हैं कि राजनैतिक दलों द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाया जायेगा, तो मैं भी यह कह सकता हूं कि सरकारी पक्ष के सदस्य भी संघ के कार्यों में बहुत हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस, कांग्रेस के उच्च कोटि के नेताओं द्वारा संचालित हुआ करती है । उसके भूतपूर्व सभापति आज श्रम मंत्री हैं तथा उसी के एक सक्रिय सदस्य आज उप-मंत्री हैं ।

संघों में भेदभाव तथा भ्रान्ति उत्पन्न करने के हेतु दलबन्दी का प्रश्न नहीं लाना चाहिये ; तथा श्रमिकों की मांगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम कार्मिक संघों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

अन्त में मैं सभा तथा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उन्हें अनिवार्य मान्यता का सिद्धान्त मान लेना चाहिये तथा अन्तिम विधेयक के आने तक उन्हें १९४७ का संशोधक अधिनियम लागू कर देना चाहिये तथा विधेयक में न केवल निजी क्षेत्रों के संघों को ही मान्यता दी जानी चाहिये, प्रत्युत सरकारी क्षेत्रों जैसे रेलवे, डाक और तार इत्यादि को भी इन्हीं में सम्मिलित किया जाना चाहिये । सरकारी क्षेत्र को आगे बढ़ कर निजी क्षेत्रों का मार्ग-प्रदर्शन करना चाहिये, यदि वे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इस सभा में विधान पारित कर उन्हें इसके लिये विवश करेंगे ।

मैं ने कोई अभिनव क्रान्तिकारी कार्य नहीं सुझाया है । मैं तो अधूरे कार्य को पूरा कर रहा हूं । मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कम-से-कम आवड़ी अधिवेशन के पश्चात् कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिये ; और रेलवे, डाक और तार दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यदि माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहें तो मैं उनसे बोलने को कहूंगा ।

श्री नम्बियार : इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) मैंने अपने मित्र श्री नम्बियार का भाषण बड़े हर्ष से सुना है । एक समय था जबकि स्वयं अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने यह नारा लगाया था कि उद्योग क्षेत्र में केवल एक संघ होना चाहिये । उस समय जिन लोगों का उक्त संस्था से राजनैतिक मतभेद था उन्होंने अपने संघ बनाये । तब उन्हें देशद्रोही तथा फूट पैदा करने वाले कहा गया । उस समय 'इनटक' तथा एच० एम० एस० को देशद्रोही क़रार दे दिया गया किन्तु जब किन्हीं कारणों से श्रमिक लोग 'इनटक' की ओर खिंच गये तो उन्होंने यह कहना प्रारम्भ किया कि हमें सभी पंजीयित संघों को मान्यता प्रदान करनी चाहिये तथा उन्हें

नियोजक से वार्ता करने का अधिकार मिलना चाहिये ।

यदि हम इस प्रमेय की परीक्षा करें तो भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम १९२६ के अनुसार—प्रत्येक ७ व्यक्ति, यदि वे कुछ औपचारिक कार्यवाहियां करें तो एक संघ बना सकते हैं—रेलवे में एक लाख से अधिक संघ बन जायेंगे और रेलवे बोर्ड को इन सबसे उलझना पड़ेगा । ऐसी स्थिति निस्सन्देह उपहासास्पद होगी ।

यदि श्री नम्बियार ने इस प्रमेय को संकल्प के रूप में लाया होता कि सरकार उपयुक्त कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न करे तथा इस प्रयोजन के लिये वैधानिक सुविधायें दे तो मैं अवश्य ही उनका समर्थन करता, किन्तु अपने विधेयक के द्वारा उन्होंने श्रमिकों के कार्मिक संघों के अधिकारों को निर्मूल कर दिया है ।

यदि इसकी स्वीकृति दी जायेगी तो संघों की वृद्धि हो जायेगी । संघों की संख्या में वृद्धि होने से उसके कार्य में बाधा होती है । और वे परस्पर ही झगड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप श्रमिक अपने उचित अधिकारों को भी नहीं प्राप्त कर सकते । अतः श्री नम्बियार विभेद तथा फूट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिससे श्रमिकों की अधिक या कम काम की क्षमता का क्षय होगा ।

तिस पर केवल 'मान्यता' का कुछ अर्थ नहीं होता है जब तक कि मान्यता की व्याख्या न की जाय । अधिनियम में इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि मान्यता के क्या अधिकार हैं । कार्मिक संघ अधिनियम, १९४७ की धारा २८ (च) में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ के अधिकार दिये हुये हैं ।

इसलिये अन्तिम विश्लेषण से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संघ की शक्ति और श्रमिकों की एकता पर ही सौदेबाजी की क्षमता निर्भर है । केवल टैकनिकल तथा वैधानिक मान्यता से कुछ नहीं होता है । श्रमिकों को उनके उचित अधिकार दिलाने का उपयुक्त तरीक़ा उनकी संगठन शक्ति के द्वारा ही सम्भव है । मेरे विचार से संघों के लिये ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत तथा फेडरेशन (संघों) के लिये २० प्रतिशत न्यूनतम शक्ति से अधिक या कम काम की क्षमता प्राप्त हो सकती है ।

इस देश के औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह निश्चित किया है कि संघों की मान्यता का प्रश्न औद्योगिक झगड़ों के अन्तर्गत नहीं आता । मैं इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों से मतभेद रखता हूं और मेरे विचार से मान्यता देने का प्रश्न भी औद्योगिक झगड़ों के अन्तर्गत आना चाहिये तथा इसके लिये उचित तरीक़ा यह है कि औद्योगिक झगड़ों की परिभाषा में एक ऐसा परन्तुक जोड़ दिया जाय कि कार्मिक संघ की मान्यता का प्रश्न औद्योगिक झगड़ा ही समझा जायेगा ।

मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कार्मिक संघ की मान्यता के प्रश्न पर औद्योगिक न्यायाधिकरण ही विचार करे ; वही इस बात का निश्चय करे कि किसी विशेष संघ को मान्यता प्रदान की जाय अथवा नहीं ।

मैं अपने मित्र श्री नम्बियार से सहमत हूं कि आज कर्मचारियों को न्यायालय में जाने या किसी प्राधिकारी के पास जाने या अपनी यूनियन को निर्वाचक शक्ति मानने का कोई अधिकार नहीं है, अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उसमें यूनियन का मान्यता सम्बन्धी विवाद भी सम्मिलित हो जाये ।

इसके अतिरिक्त मेरे माननीय मित्र ने अन्य यूनियनों और समाज के सभी समाजवादी रूप आदि के सम्बन्ध में बहुत सी व्यंगपूर्ण

[श्री वेंकटरामन]

बातें कहीं जो विधेयक की दृष्टि से अप्रासंगिक थीं ।

आवडी अधिवेशन का संकल्प एक समाजवादी समाज की स्थापना की बात कहता है । उसका कार्मिक संघ की मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है । यूनियन में केवल ५ प्रतिशत सदस्य होते हैं, वह अल्पसंख्या में होते हैं उनको कर्मचारियों का विश्वास भी प्राप्त नहीं होता इस प्रकार श्री नम्बियार इस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिस में केवल ५ प्रतिशत लोग शेष ९५ प्रतिशत जनता पर अपनी बात लाद सकेंगे ।

यूनियनों को मान्यता देते समय उनके ऊपर कुछ कर्त्तव्यों का भार भी डालना चाहिये । विभिन्न यूनियनों के आपसी विवादों के कारण भारत में सदा से फूट रही है । मान्यता उसी यूनियन को दी जानी चाहिये जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक हो । कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन प्रति वर्ष उनके नये चुनाव होने आवश्यक हैं । मैं एक साथ २ या ३ यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के पक्ष में नहीं हूं । जिस यूनियन को कर्मचारियों का सर्वाधिक सहयोग प्राप्त हो उसे ही मान्यता दी जानी चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने रेलवे के राष्ट्रीय संघ, एकक यूनियनों और कर्मचारियों के संगठनों की बात की चर्चा की । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने एक संघ बनाया था जिसे मान्यता प्रदान की गयी थी । बाद में एक और संगठन उक्त संघ के विरोध में बनाया गया । उसे उस समय मान्यता नहीं दी गयी । श्री नम्बियार स्वयं इस नये संघ के विरोध में थे । बाद में इस संघ ने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली और श्री नम्बियार के सभापतित्व या मंत्रित्व में जब दक्षिण भारत रेलवे मज़दूर संघ की हड़ताल असफल रही तो इस संघ को मान्यता प्रदान की गयी । हम को अब इस प्रकार के सभी तर्क छोड़ देने चाहिये जिनसे कर्मचारियों को हानि हो । मान्यता प्राप्त करने का केवल एक यही उपाय है कि औद्योगिक विवाद विधेयक का संशोधन इस प्रकार किया जाय कि न्यायाधिकरण को अधिकार हो कि वह पता लगा सके कि एक विशेष यूनियन को मान्यता दी जाय या नहीं । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह कर्मचारियों के हित में बाधक है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : मैं ने अपने मित्र श्री वेंकटरामन् की बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं । उनके दृष्टिकोण विचारणीय हैं । मैं ने सोचा था कि कार्मिक संघों की मान्यता के प्रश्न पर दलबन्दी के दृष्टिकोण से विचार न किया जायेगा । पर दुर्भाग्य से वाद विवाद में यह बात लाई गयी है । अतः मैं इन संगठनों के इतिहास पर कुछ विचार करना चाहूंगा ।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये अखिल भारतीय कार्मिक संघ की स्थापना की गयी थी । वाद में बहुत से कार्मिक संघ बने और २-३ वर्षों तक कई केन्द्रीय कार्मिक संघ चलते रहे । बाद में सभी यूनियनें मिल गयीं और अखिल भारतीय कार्मिक संघ बन गया । दूसरे विश्व युद्ध के समय भारतीय श्रमिक संघ स्थापित किया गया । दूसरे महा युद्ध के बाद भी अखिल भारतीय कार्मिक संघ को ही प्रतिनिधि संगठन माना गया । बहुत से लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की पर वह वैसा ही रहा । उस समय और भी बहुत से दल थे । उक्त

संघ में साम्यवादियों की संख्या अधिक तो थी पर उनका प्रभुत्व नहीं था। यद्यपि उस समय अखिल भारतीय कार्मिक संघ के सदस्यों की संख्या ७५ या ८० प्रतिशत थी पर उन्होंने अपने किसी अधिवेशन में किसी अन्य यूनियन को मान्यता देने का विरोध नहीं किया।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य कुछ अधिक समय लेना चाहते हैं ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जी हां।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें--रेलवे

मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड

मांग संख्या १ पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :--

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
		रुपय
श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा--पश्चिम)।	रेलवे सेवाओं में आदिम जातीय लोग	१००
,,	करीमगंज से अगरतला तक रेलवे सम्पर्क	१००
,,	नये रेल सम्पर्क का पाथर कंडी होते हुये पुराने अगरतला स्टेशन तक बढ़ाया जाना।	१००
,,	त्रिपुरा में रेलवे लाइनों का निर्माण	१००
,,	आसाम को त्रिपुरा से मिलाने वाली नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण।	१००
,,	त्रिपुरा की राज्य संचार समिति को दिया गया ज्ञापन।	१००
श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	रेलवे में उच्च पदों के वेतन-क्रमों को कम करना	१००
,,	क्षेत्रों के आर्थिक विकास के अनुसार सर्वेक्षण तथा निर्माण।	१००
,,	रैचूर ज़िले में नये रेलवे निर्माण में तुंगभद्रा परियोजना सम्बन्धी लाइन	१००
,,	हट्टी स्वर्ण खान तथा इल्कल को रेचूर तथा बंगलकोट के बीच मिलाने वाली नई रेलवे शाखा का निर्माण।	१००
,,	रेलवे विभाग के कार्य चालन-व्यय में मितव्ययता	१००
श्री बोगावत (अहमदनगर--दक्षिण)	किराये तथा भाड़े में वृद्धि	१००
,,	रेलवे कर्मचारियों में तपेदिक़ की वृद्धि, उनका उपचार तथा वेतन अनुदान।	१००
,,	भाग 'ग' क्षेत्रों के कर्मचारियों के आवास किराया भत्ते पर आधे महंगाई भत्ते को वेतन में मिला देने का प्रभाव।	१००

कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
		रुपये
श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण)	ढौंड-मन्मड लाइन पर प्लेटफार्मों आदि का अभाव।	१००
,,	खंडवा-हिंगोली के नये रेल सम्पर्क का विस्तार	१००
,, . .	बीर उस्मानाबाद, अहमदनगर तथा पूना में रेलवे लाइन का निर्माण ।	१००
श्री बीरेन दत्त	कल्कली घाट और अगरतला नगर के बीच रेल सम्पर्क	१००
,,	त्रिपुरा में कल्कलीघाट से सुब्रोम तक रेलवे लाइन।	१००
,,	करीमगंज और धरताना तक सीधी रेल सेवा के लिये अगरतला स्टेशन का प्रयोग करने के विषय में पाकिस्तान सरकार से बातचीत।	१००
श्री बोगावत .	रेलवे बोर्ड में प्रतिनिधान . .	१००

इसके पश्चात लोक-सभा शनिवार, के लिये स्थगित हुई।
५ मार्च १९५५ के ग्यारह बजे तक